खण्ड-273, अंक-7
सोमवार, 19 आषाढ़, शक संवत् 1889
(10 जुलाई, 1967 ई0)

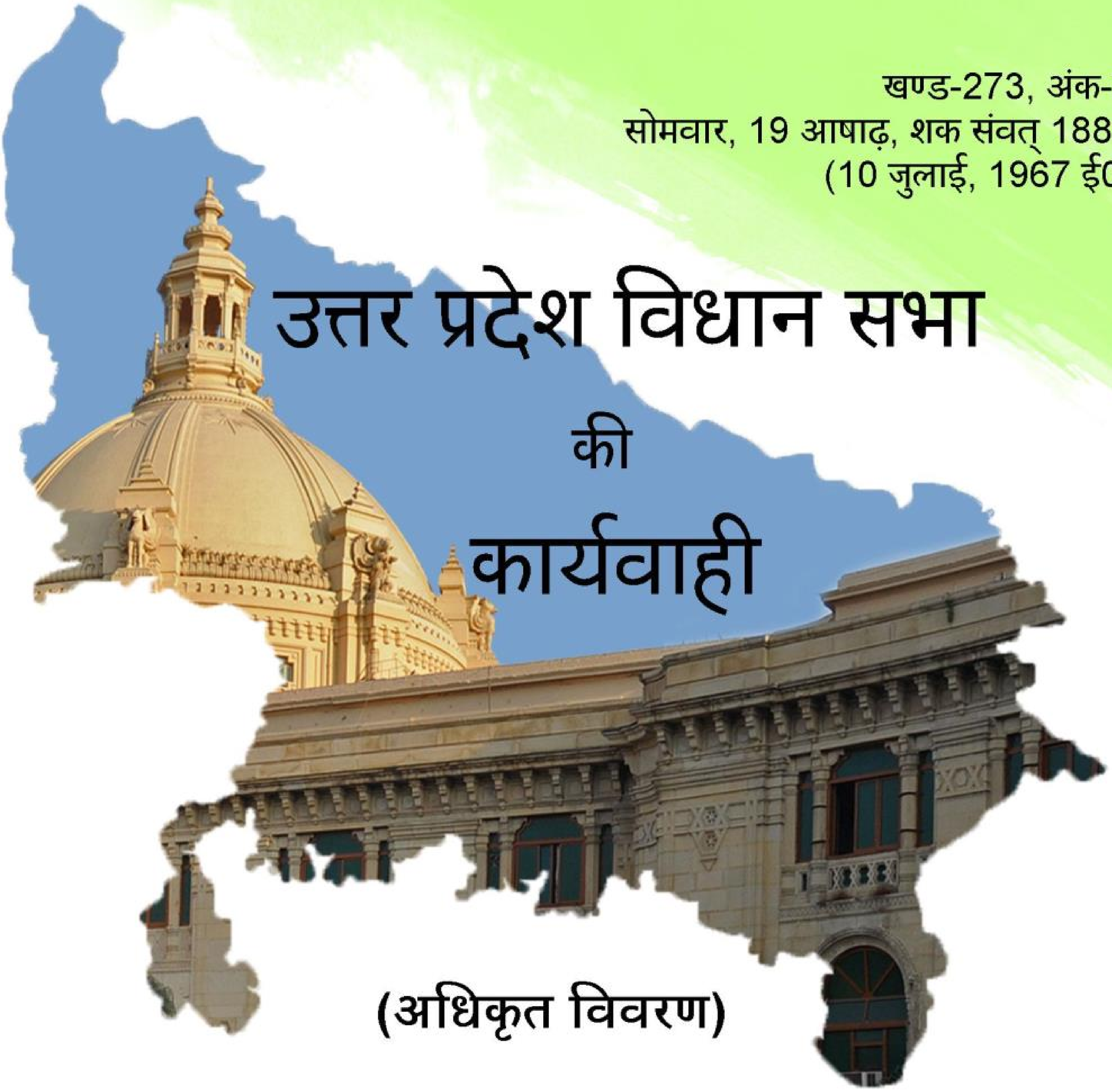

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 273 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५१७–५२१
प्रश्नोत्तर	५२१–५४३
प्रश्न सूची में अधिक प्रश्न रखने पर आपत्ति	५४३–५४४
परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को आवर्तन द्वारा परिषद् का सदस्य नियुक्त करने की नियमावली (सदन के पटल पर रखी गई) ..	५४४
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४४
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४४
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४५
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया)	५४५
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (संशोधन) नियमावली १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	५४५
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में हुए प्रख्यापित संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया)	५४५–५४६
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४६
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४६
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४६
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में प्रख्यापित संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया)	५४६–५४७
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (सातवां संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४७
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गयी)	५४७
प्रपत्र जिनमें और अन्तराल, जिन पर परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विवरणियां और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जायेंगे, नियत करने के सम्बन्ध में नियमावली (सदन के पटल पर रखी गई)	५४७–५४८
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भवन में परिवर्तन करने या उसे गिराने के व्यय की वसूली) नियमावली, १९६६ (सदन के पटल पर रखी गई) ..	५४८

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री केदारराज जंग बहादुर राणा द्वारा कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना	५४८
दैनिक 'स्वतन्त्र भारत' में विधायक श्री इन्द्रलाल का नाम गलत प्रकाशित करने के सम्बन्ध में आपत्ति	५४८
विधान सभा के अधिकारियों पर विधान भवन के परिसर में कथित आक्रमण के सम्बन्ध में राज्य सभा के सदस्य श्री राजनारायण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	५४९–५५७
१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४१—लेखन-सामग्री और मुद्रण (स्वीकृत)	५५८
अनुदान संख्या २५—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४६—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	५५८–५९३
राज्य सभा के सदस्य श्री राजनारायण सिंह द्वारा सदन के सदस्यों तथा अधिकारियों पर कथित आक्रमण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (अनुमति नहीं दी गयी)	५९३–५९५
नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें (अनुमति नहीं दी गयी) ..	५९५
मिर्जापुर, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों में खरीफ की बोवाई के लिए बीज तथा तकावी न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	५९६–६०२
नत्थियां	६०३–६१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा सचिवालय पटना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८८

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खाँ, श्री
अजीतप्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खाँ, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झाँसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अवधेशप्रताप मल, श्री
अवेधनाथ, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपालसिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयप्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदितनारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम्प्रकाश, श्री
ओम्प्रकाश सिंह, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झाँसी)
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलाप्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमलाप्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम कुलन गुरु)
कल्याणसिंह, श्री
कामतासिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरीलाल, श्री
केशवदेव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री

गंगाप्रसाद, श्री (इटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगा राम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल चौधरी
गिरिराजसिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार श्री,
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर , श्री
जगतसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकीप्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैवरसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दुगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवीसहाय वाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेंलाल, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणसिंह, श्री

नित्यानन्द पांडेय, श्री
निआज हसन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पच्चरराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंजरंगबली, ब्रह्मचारी,
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू लाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधीराम, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहनदास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगातीप्रसाद वर्मा, श्री
भगूराम, श्री (उपनाम भुगु नाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भरतदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मदनमोहनसिंह, श्री
मधुकर दिवे, श्री
मन्नालाल श्री
मन्नीलाल श्री
मन्सादीन श्री
मलिखानसिंह श्री
महरमसिंह श्री
महिपालसिंह श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह कुंवर
महेशकुमार श्री
माता प्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे श्री
मुक्तिनाथ राय श्री
मुजफ्फर हसन श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मल्कीराज, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
योगेश्वरप्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथसिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री

रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रामवल्लभ, मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुरचन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
रामअचल सिंह सेंगा, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
राम दुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (खड़गाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसंजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसरन, सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
विशुनप्रतापसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साह)
विश्वनाथसिंह, श्री

विष्णुस्वरूप, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकरसिंह चौधरी, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शफकत अंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालोशर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिकराम, श्री
सि राम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्कलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुधामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन ाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
। होरीलाल यादव, श्री

नोट—उप मुख्य मंत्री श्री राम प्रकाश तथा मंत्री श्री प्रभु नारायणसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार १० जुलाई, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद जिले में आटा में मिलावट

*१—श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री को यह सूचना है कि मुरादाबाद जिले में आटा में गन्ने की पिसी हुई खोई और मूंगफली का पिसा हुआ छिलका मिलाया जा रहा है? क्या इसी प्रकार मिलावट करने वाले एक व्यापारी की दूकान से हाल ही में २० बोरी मशीन से पिसी हुई गन्ने की खोई पकड़ी गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मन्त्री (श्री झारखंडे राय)—

उत्तर संलग्न सूची में दिया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६०३ पर)

गाजीपुर जिले से गल्ला उगाही योजना का विरोध

*२—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मुख्य मन्त्री को गाजीपुर में जिला कांग्रेस कमेटी से एक पत्र हाल ही में भेजा गया है, जिसमें गाजीपुर में अकाल की स्थिति होने के कारण अनिवार्य गल्ला उगाही योजना का विरोध किया गया है? क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिला में सूखा के कारण इस वर्ष किसी भी किसान के पास अन्न देने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है?

खाद्य उपमन्त्री (श्री शमीम आलम)—

मुख्य मन्त्री को तो नहीं अपितु खाद्य मन्त्री को संबोधित एक पत्र, जिस पर अध्यक्ष, जिला परिषद्, गाजीपुर तथा अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, गाजीपुर तथा अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, अवश्य प्राप्त हुआ था जिसमें गाजीपुर जिले में अकाल की स्थिति को देखते हुए अनिवार्य गल्ला उगाही योजना का विरोध किया गया था।

बहुत से किसानों के पास नियमानुसार गल्ला देने के लिये उत्पादन हुआ है और उन्हीं से वसूली की गयी है।

*३—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त पत्रक में किसानों को लगान, सिंचाई कर तथा सभी प्रकार की सरकारी वसूली माफ करने की मांग की गई है?

श्री शमीम आलम—

उपरोक्त पत्रक में तो नहीं अपितु खाद्य मंत्री को संबोधित एक अन्य पत्रक में, जिस पर अध्यक्ष, जिला परिषद्, गाजीपुर तथा अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, गाजीपुर व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, किसानों की लगान, सिंचाई कर तथा सभी प्रकार की सरकारी वसूली माफ करने की मांग की गई थी?

श्री कृष्णानन्द राय—

जब अकाल की स्थिति की चर्चा उस पत्रक में की गयी थी तो सरकार ने वहां के जिलाधीश से वहां की स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट मांगी है और यदि है, तो वह क्या है?

श्री झारखंडे राय—

वहां से रिपोर्ट मंगायी गयी है। रिपोर्ट में अकाल की स्थिति का कोई जिक्र नहीं है, अत्यन्त अभाव की चर्चा और खासकर जमनिया का और कुछ बस्तियों के बारे में कुछ चर्चा है और लिखा हुआ है कि उसके अनुसार कार्यवाही की गयी है और की जा रही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)—

क्या खाद्य मंत्री को सूचना है कि गाजीपुर और आजमगढ़ जिलों में सूखा के फलस्वरूप एक लम्बे क्षेत्र में लोग उपवास कर रहे हैं और खाने को नहीं मिल रहा है?

श्री झारखंडे राय—

यह सही है कि पिछले तीन साल के सूखे से और पिछले साल के अभूतपूर्व सूखे से सभी जिलों में स्थिति खराब हो रही है और पूर्वांचल में, जिसका जिक्र त्रिपाठी जी ने किया, स्थिति खराब है। उपवास की सूचना हमारे पास नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि उपवास जरूर होते होंगे, इसमें संदेह नहीं है।

श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन इलाकों में यह गल्ला वसूल किया जा रहा है वहां गल्ले की कमी से सरकार वहां गल्ले को भेज भी रही है ?

श्री झारखंडे राय---

क्या यह बात सही है कि जिनके ऊपर लेवी लगी और देने योग्य समझे गये उनसे लिया गया और जो जरूरतमन्द हैं उनके लिये भेजा भी जा रहा है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

जब मंत्री जी ३ साल के सूखे से त्रस्त इन क्षेत्रों के संबंध में जानकारी रखते हैं तो पिछली बकाया क्यों वसूल की जा रही है और तकावी वगैरह भी वसूल की जा रही है जब कि स्वयं मालूम है कि वह स्थिति में नहीं हैं कि कोई वसूली हो ?

श्री झारखंडे राय---

जहां तक छूट का सम्बन्ध है और जहां तक तकावी के स्थगन का सवाल है, जो नियमानुसार का र्य ही है वह जिलाधीशों ने किया और जहां तक कि वसूली का सवाल है, मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले के कुल ३,०७,७०७ खाते हैं जिनमें से केवल २,७४३ पर ही वसूली हुई और इस साल ५३७ टन गल्ला वसूली का लक्ष्य था जिसमें से ५०३ टन वसूल हो चुका है । यह नीति कितनी उदार रही है यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ०.९ प्रतिशत ही गल्ला लेवी में लिया गया है यानि एक प्रतिशत से भी कम ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

क्या माननीय खाद्य मंत्री को स्मरण है कि सरकार में आने से पूर्व वे स्वयं इन इलाकों को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करने की मांग करते थे ?

श्री झारखंडे राय---

जिस समय मैंने अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी वह १९५४-५५ में की थी और उस जमाने में सचमुच अकाल की स्थिति थी । इस समय अत्यन्त अभाव की स्थिति है विशेष कर जमनिया क्षेत्र में । वहां कोई वसूली नहीं हो रही है और कोई लेवी नहीं ली गयी है । वहां गल्ला काफी मात्रा में दिया जा रहा है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सन् १९५४-५५ से आज स्थिति वहां की ज्यादा खराब है या अच्छी ?

श्री झारखंडे राय---

प्रश्नकर्ता महोदय स्वयं सिंचाई मंत्री रह चुके हैं उन्होंने वहां पर कुछ सिंचाई की व्यवस्था समय की थी, उसके कारण वहां की पैदावार कुछ बढ़ी है, यह मेरा निजी अनुभव है ।

श्री शफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

क्या कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य किसी राजनीतिक पार्टी वालों ने भी इन क्षेत्रों को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के लिये सरकार को लिखा है ?

श्री झारखंडे राय---

चूंकि प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित था, इसलिये उन्हीं के मेरे पास सूचना है, रिजवी साहब के सवाल के लिये सूचना की आवश्यकता होगी, किन्तु जब मैं उस जिले में गया था तो सभी पार्टियों के लोग मुझ से मिले थे और उन सब ने एक स्वर से इसके लिये कहा था ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने खाते वालों ने यह प्रार्थना पत्र दिये कि उनसे गल्ला वसूल न किया जाये और उनमें से कितनों की प्रार्थना पत्र स्वीकार की गयी ?

श्री झारखंडे राय—

इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी । मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो गल्ला गाजीपुर जिले में जा रहा है वह खुले बाजार में बिक रहा है या सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा ?

श्री झारखंडे राय—

जैसा पहले इस संबंध में नियम था उसी के अनुसार सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा यह दिया जा रहा है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

इस बात को देखते हुये कि जमनिया तहसील में चन्द्रप्रभा नहर ने बिलकुल पानी नहीं दिया और जो दूसरी एक दो नहरें हैं उनमें भी पिछले दो तीन साल से पानी नहीं है, माननीय मंत्री जी क्या इसकी जांच करायेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था होने से कुछ पैदावार अच्छी हुई है ?

श्री झारखंडे राय—

यह बात सही है कि जिस क्षेत्र की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं वहां जो नहरें हैं उनमें पानी नहीं है । ऐसी सूचना मुझे भी वहां दी गयी । यह दुर्भाग्य ही है कि नहर वहां पर बनी है और उसमें पानी नहीं है । इस विषय में सिंचाई विभाग कार्य करेगा । जहां तक जमनिया ग्राम के अत्यन्त अभावग्रस्त होने का सवाल है मैंने पहले भी कह दिया कि मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और उसमें जितनी भी हम सहायता कर सकेंगे करने की कोशिश करेंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी दो बातों का ध्यान रखते हुये कि सभी राजनैतिक दलों का उनके सामने स्पष्ट मत है कि यह क्षेत्र अकालग्रस्त सा होता जा रहा है, कांग्रेस का तो कहना है ही और सभी की राय है और उनकी स्वयं की भी जानकारी है, जो कृषि लगान और बकाया की वसूली की जा रही है, इन सबको स्थगित करने के आवश्यक आदेश देंगे ?

श्री झारखंडे राय—

यह लगान वसूली के स्थगित करने का संबंध हमारे विभाग से नहीं है लेकिन जो सूचना जिलाधीश से प्राप्त है उसके अनुसार इस क्षेत्र के काफी हिस्से में वसूली स्थगित की जा चुकी है और तकावी की वसूली नियमानुसार माफ नहीं की जा सकती है । उसके विषय में नियमानुसार कार्यवाही की गई और जो अन्य अफसरों के कार्य हैं वे किये जा चुके हैं अगर माननीय सदस्य को किसी एरिया विशेष के बारे म जानकारी हो तो मैं दिखवा दूंगा । जहां तक सूचना है सब स्थगित है ।

श्री राम सुन्दर शास्त्री—

श्रीमन्, जमानियां तहसील में नहर द्वारा पानी दो तीन सालों से नहीं गया मंत्री जी ने इसे खुद भी स्वीकार किया । परन्तु जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय कुछ किसानों पर मुकदमें चल रहे थे इस संबंध में, क्या वे तमाम मुकदमें वापिस करने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

यह विषय तो बिलकुल सिंचाई विभाग का है लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अगर वे इस विषय में सिंचाई मंत्री को लिख दें तो जरूर कार्यवाही की जावेगी। मेरी सूचना यह है कि नहरों, ट्यूबवैलों और अन्य सिंचाई के रेट्स के माफ करने की कार्यवाही हो रही है।

गाजियाबाद में सड़क बनाने की मांग

*४—श्री प्यारे लाल—(जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पार भुड़ भारत नगर में बसी लगभग १५,००० जन-संख्या के लिये आने-जाने के लिये सड़क के निर्माण कराने की योजना विचाराधीन है यदि हां, तो कब तक ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)—

जी हां। ऐसी एक योजना गाजियाबाद इंम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के विचाराधीन है। इस सड़क के निर्माण के लिये गाजियाबाद इंम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। भूमि पर कब्जा मिलने के बाद सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा।

श्री प्यारे लाल—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे यह सूचना किस आधार पर दे रहे हैं जब कि उस सड़क के लिये किसी भी भूमि अधिग्रहण की न जरूरत पड़ती है और न कब्जा के लिये ही जरूरत है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो इस सड़क के लिये कार्यवाही कर रहा है वहां के अधिकारियों की यह रिपोर्ट है जिसके आधार पर यह सूचना सदन में रखी गयी है।

श्री प्यारे लाल—

यह सूचना सरासर गलत है, कई सड़कें जाती हैं .....

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना न दें, इस प्रश्न के आधार पर कोई प्रश्न करें।

श्री प्यारे लाल—

यह देखते हुये कि वहां की आबादी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, यह सड़क कब तक बन जायगी ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

लैंड एक्वीजीशन के सेक्शन ४ की कार्यवाही हो चुकी है। सेक्शन ६ का कार्य प्रारम्भ है। जमीन मिलते ही सड़क बनाना प्रारम्भ हो जायगी।

श्री मोहनलाल गौतम—

क्या सरकार को मालूम है कि एक पुराना सर्कुलर या आदेश है कि पहले डेवलपमेंट हो, तब आबादी बसायी जाय ? अगर यह सर्कुलर अभी कैंसिल नहीं हुआ है तो यह आबादी कैसे हुई और उस नियम का पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

यह इलाका इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या नगरपालिका, गाजियाबाद के अन्तर्गत नहीं आता है। वहां की जनता की सुविधा का ध्यान रख कर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ की है।

श्री मोहन लाल गौतम—

क्या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के रुपये को उस जमीन पर खर्च किया जा सकता है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

लोगों के कष्ट को ध्यान में रख कर ऐसा किया जा रहा है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायेगी और वह सड़क बनना कब प्रारम्भ हो जायगी ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

सेक्शन ६ की कार्यवाही में शीघ्रता करने पर भी २, ३ महीने का समय लग सकता है।

श्री मोहन लाल गौतम—

जब वह जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के दायरे में नहीं आती है तो उसे खर्च करने का क्या अधिकार है ? उसके लिये दूसरी जगह से पैसा आना चाहिये।

श्री बरमेश्वर पांडेय—

किसी जमीन में सड़क नहीं बन रही है। उस आबादी और नगरपालिका के बीच का मार्ग बनाने के लिये वह जमीन पतली-सी एक्वायर की जा रही है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या उस गांव का एरिया जहां से प्रारम्भ हुआ है, उसके उधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, तो इन-बिटवीन जो जगह है वहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट रुपया खर्च कर रहा है न कि उस जगह जो उसके इलाके या नगर के बाहर है।

श्री प्यारे लाल—

वह इलाका गाजियाबाद से बिलकुल मिला हुआ है और एक गज का भी फासला नहीं है। २३ जुलाई, १९६० को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अधीन वह आता है, तो क्यों वह म्युनिसिपल बोर्ड की हद में नहीं लिया गया और क्यों नहीं वहां सड़क बनायी जाती है जबकि वहां खाली जमीन पड़ी हुई है और एक्वायर करने का सवाल नहीं है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

सूचना की आवश्यकता है।

[१० जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्टेट ऐग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग में अनियमित नियुक्तियां

*१—श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)—

क्या कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि स्टेट ऐग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग में जो नियुक्तियां अप्रैल, १९६७ में की गयी हैं, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से बिना नाम मांगे ही कर दी गई हैं और क्या ऐसे भी व्यक्ति रखे गये हैं जो निर्धारित उम्र से अधिक हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री रूपनाथ)—

जी हां। अप्रैल, १९६७ में तीन नियुक्तियां की गई। जिन में दो थोड़े समय के लिये Leave Vacancy के कारण थीं। इन में कुछ अनियमिततायें हो गई थीं। अब स्थिति ठीक कर दी गई है और जो व्यक्ति अनियमित रूप से नियुक्त हो गये थे, अब हट गये हैं।

श्री राधेश्याम कपूर—

ये अनियमिततायें क्या थीं ?

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

दो जगह तो लीव वैकेन्सी की थीं। उन में तो एक महिला की नियुक्ति हो गई जो वैसे तो काफी होशियार थीं और ग्रेजुएट थीं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा थी। नियुक्ति करने के समय इसका ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन अब उनकी सेवा समाप्त हो गई। वह १२ अप्रैल से १३ जून तक रहीं। दूसरी वेकेंसी जूनियर कल्र्क की थी। उसके बारे में ३० जुलाई, सन् १९६५ का एक आदेश है कि कल्र्कों की खाली होने वाली जगहों में नये व्यक्ति नियुक्त न होकर निकाले हुये व्यक्ति उन पर रखे जावें। लखनऊ एम्पलायमेंन्ट एक्सचेन्ज के पास कोई रिट्रेन्च्ड आदमी नहीं था। फिर ऐसे एक आदमी को जो डिप्टी डाइरेक्टर काटन के यहां काम कर रहा था और वह एप्रूव्ड एप्रेंटिस है, रखा गया। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उनकी नियुक्ति नियमानुसार एप्रूव्ड एप्रेंटिस पर नहीं थी, क्योंकि डिप्टी डाइरेक्टर काटन ने संयुक्त उपनिदेशक प्रशासन से यह अनुमति नहीं ली थी कि उनको नियुक्त किया जाय। तब उन्हें हटा दिया गया।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज के कितने आदमियों की नियुक्ति की गई थी और अनियमिततायें दूर करने के लिये कितने आदमियों को हटाया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

३ जगह थीं। इनमें से २ तो लीव वेकेन्सी ३ महीने से कम की थीं। उसके लिये नियम यह है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज से कोई सिफारिश मांगने की जरूरत नहीं होती है। भूल अब ठीक कर दी गई है।

खरीफ फसल की सुरक्षा

*२—श्री श्रीनारायण तिवारी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस १९६७–६८ की योजना में फसल खरीफ के अन्तर्गत अच्छे बीज, खाद तथा कीटाणुनाशक दवाइयों और ऋण का क्या टारगेट है ?

श्री जयराम वर्मा—

प्रश्नगत लक्ष्य इस प्रकार है—

		मैं० टन
(क)	उन्नत बीज	९,७९२ मैं०टन
(ख)	खाद—	
	नत्रजन	९२,२०६ मैं०टन
	फासफेटिक एसिड	२८,९११ मैं०टन
	पोटाश	२२,१४३ मैं टन
(ग)	कीटनाशक दवाइयां	८,४०० मैं०टन
(घ)	ऋण	८,६४,७५,५०० रु०

नगरपालिकाध्यक्ष बदायूं का उपमंत्री श्री असरार अहमद से झगड़ा

*३—सर्वश्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित) सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर,) नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर) तथा कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर),—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं में १६ मई, १९६७ को उपमंत्री लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बदायूं नगरपालिका का निरीक्षण करने गये तो क्या वहां उनके और चेयरमैन नगरपालिका के बीच कोई झगड़ा हुआ ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और सरकार ने उस पर क्या कदम उठाया ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

१६ मई, १९६७ को उपमंत्री, स्वायत्त, शासन बदायूं नगरपालिका के कार्यालय में कुछ शिकायत के संदर्भ में आकस्मिक रूप से जानकारी करने गये थे। अध्यक्ष नगरपालिका ने निरीक्षण के दौरान उपमंत्री के काम में बाधा डाली, बुरा-भला कहा और हमला करना चाहा।

अध्यक्ष, नगरपालिका बदायूं के विरुद्ध धारा ३५३/५०६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा रजिस्टर किया गया। सब-इंस्पेक्टर पुलिस को जो उस समय ड्यूटी पर थे निलंबित किया गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका, बदायूं ने कोई रिपोर्ट उपमंत्री जी के खिलाफ भी पुलिस में लिखाई है, यदि हां, तो किस दफा में लिखाई गयी है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बदायूं नगरपालिका की ऐसी कौन सी शिकायतें थीं, जिनकी जांच करने के लिये उपमंत्री जी वहां गये थे और क्या जांच से पहले उन्होंने कोई सूचना वहां के अध्यक्ष को दी थी ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

श्रीमन्, नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध बहुत-सी शिकायतें थीं और उसका प्रमाण यह कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शासन ने उनको सस्पेंड भी किया। इसी सिलसिले में उपमंत्री जी वहां गये थे ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि म्युनिसिपिल बोर्ड एक स्टेटुटरी बाडी है परन्तु फिर भी माननीय उपमंत्री जी बिना किसी अधिकारी की आज्ञा लिये ही वहां गये ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

उपमंत्री वहां के कार्यालय को देखने के लिये गये थे और जो शिकायतें आई थीं उनकी जानकारी के लिये गये थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वहां के अध्यक्ष की अनुमति के बिना वे वहां गये थे अथवा उनकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

इसकी मुझे इस समय जानकारी नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या उनके पास ऐसी कोई शिकायत आयी थी कि नगरपालिका, बदायूं के अध्यक्ष ने कुछ गोलमाल किया है, इसलिये भी उपमंत्री को भेजा था ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

श्रीमन्, शिकायतों में गबन के चार्जेज व और दूसरी शिकायतें थीं, यह बात सही है । तभी उसके ऊपर कार्यवाही की गयी थी ।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या यह बात सही है कि उपमंत्री जी भी उस शहर के रहने वाले हैं जहां का यह मामला है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

जी हां ।

श्री फूलसिंह—

क्या इन हालात में यह मुनासिब था कि माननीय मंत्री जी बिना नोटिस के चले जायें और वहां का इंस्पेक्शन करें ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

श्रीमन्, इसलिये वहां पर सूचना नहीं दी गयी कि सूचना होने के बाद संबंधित कागजात गायब हो सकते थे और अध्यक्ष के विरुद्ध वह कार्यवाही नहीं हो सकती थी जो की गयी । इसलिये आकस्मिक जांच के लिये उपमंत्री गये थे ।

श्री मोहन लाल गौतम—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कितनी म्युनिसिपैलिटीज की गबन की शिकायत आयीं थीं और कितनी जगह उपमंत्री को भेजा गया ? क्या मंत्री जी उपमंत्री को जांच के लिये नहीं भेज सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

पहली बात तो यह है कि जहां तक मैं सुन रहा था ऐसा उन्होंने नहीं किया कहा । मंत्री जी क्या आपने अपने उत्तर में यह कहा था कि "मैंने भेजा" ।

श्री वरमेश्वर पांडेय—

जी नहीं, मैंने नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने भी नहीं सुना ।

श्री मोहन लाल गौतम—

माननीय उग्रसेन जी ने यह प्रश्न किया था कि क्या उनकी गबन की शिकायतें आयी थीं । उसके उत्तर में क्या जवाब दिया कि हां भेजा था या वहां गये थे, या शिकायत नहीं आयी थी वैसे ही चले गये थे ? माननीय उग्रसेन द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

वह कह चुके हैं शिकायतें आयी थीं और उसके बाद गये थे ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या उप मंत्री महोदय ने वहां जाने के पश्चात् कोई रिपोर्ट मंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत की ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट थी ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

वहां पर जाने के बाद जो कुछ भी उन्होंने देखा, अनियमिततायें पायीं, उसकी रिपोर्ट यहां पर उन्होंने दी है ।

श्री प्रताप नारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

मंत्री जी बतायेंगे कि यदि गबन या अनियमितताओं की शिकायतें हों तो उसके लिये पूर्व सूचना दे करके ही जाने की आवश्यकता है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

श्रीमन्, अगर किसी भी गलत बात की जानकारी कोई करना चाहे तो उसको पूर्व सूचना देने के बाद आज तक का इतिहास यही है कि वह नहीं मिलती है । इसलिये आकस्मिक कार्य करना जरूरी हो जाता है ।

श्री नवल किशोर—

मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिकायतें जो, उन्होंने कहा अध्यक्ष के खिलाफ आयी थीं, ये शिकायतें कब आयी थीं ? और क्या उसकी जानकारी करने के वास्ते उप मंत्री गये थे या उसकी जांच करने के लिये गये थ ?

श्री अध्यक्ष—

जानकारी और जांच में कोई फर्क है ?

श्री नवल किशोर—

बड़ा फर्क है, श्रीमन् ।

श्री बरमेश्वर पांडेय—

शिकायतें काफी दिनों से आयी थीं और उसकी जानकारी ही करने गये थे कि वाकई सत्यता क्या है ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी राय में जानकारी और जांच एक ही बात हुई ।

श्री राम मूर्ति—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह जानते हुये कि म्युनिसिपल बोर्ड एक स्टेट्यूटरी बाडी है और यदि उसके खिलाफ कोई शिकायत आई है तो क्या आपने यह मुनासिब नहीं समझा कि प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के जरिये से चेयरमैन का कोई ऐक्सप्लेनेशन काल किया जाय ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

वह तो पब्लिक प्लेस है ही, लेकिन चेयरमैन से भी पूछ तांछ की गयी । बाकायदा कलेक्टर, कमिश्नर द्वारा जो कार्यवाही होती है वह सब हुआ, उनसे भी जानकारी प्राप्त की गई ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका, बदायूं, के अध्यक्ष जो हैं वह काफी लम्बे अर्से से चेयरमैन हैं और एक साल में ६ महीने पहले से उनके खिलाफ बराबर शिकायतें चलती रही हैं तो जो इससे पहले शिकायतें आयी हैं उनके संबंध में क्या जानकारी हुयी ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

सारे कागजात शिकायतों के पत्रावली में मौजूद थे और सब पर एक साथ विचार करके वह कार्यवाही की गयी है ।

श्री नवल किशोर—

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि चूंकि उप मंत्री महोदय स्वयं बबायूं से आते हैं और एक जमाने से उनका और नगरपालिका के अध्यक्ष का पोलिटिकल झगड़ा चला आता है इस कारण से वह वहां म्युनिसिपल बोर्ड में गये थे ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

श्रीमन्, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी ने इस मामले को पुरानी शिकायत होने के नाते असरार साहब से कुछ सलाह मशिवरा करके भेजा है या यों ही बलि का बकरा बनाने के लिये भेजा था ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

सरकार के पास जब किसी नगरपालिका, नगर महापालिका, नोटीफाइड और टाउन एरिया की शिकायत आती है तो उस पर तुरन्त जिलाधीश को आदेश दिये जाते हैं उसकी जांच करने के लिये । इसलिये किसी से बीच में पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ जो गबन की शिकायतें थीं वे सही पायी गयी हैं और अब उनको पुलिस के सिपुर्द करने जा रहे हैं ? और क्या अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

उनको जब निलम्बित किया गया तो मामला उच्च न्यायालय में है इसलिये ज्यादा बातें तो नहीं कह सकता लेकिन यह तय है कि वह कांग्रेस पार्टी के हैं और उनके खिलाफ चार्जेज सही पाये गये, इसलिये यह कार्यवाही हुई ।

श्री अध्यक्ष—

पुलिस को दिया गया या नहीं, यह भी उन्होंने पूछा था ।

श्री बरमेश्वर पांडेय—

अभी तो यह मामला हाई कोर्ट में है । उसके बाद पुलिस की कार्यवाही की जायगी ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या यह सही है कि इस अध्यक्ष ने जब वह उप मंत्री हुये थे तो अभिनन्दन पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस अभिनन्दन पत्र में उनकी क्या तारीफें की गयी थीं, यह बतायेंगे ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

यह तो जानकारी है कि अभिनन्दन पत्र दिया था लेकिन उसमें क्या क्या लिखा था, वह अभिनन्दन, श्रीमन्, आज्ञा हो तो किसी दिन पढ़ दिया जाय ।

कानपुर में राधेलाल गोयल, वेलफेयर अफसर, एलगिन मिल्स, को जमीन देने की शिकायत

*४—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि १९६१ से मार्च, १९६७ के भीतर कानपुर शहर तथा कानपुर के समीप ग्राम पंचायतों की नगर महापालिका द्वारा अधिग्रहण

[श्री भीखालाल]

की गई जमीनों से श्री राधेलाल गोयल, वेलफेयर अफसर, एलगिन मिल्स नं० १, कानपुर, के नाम पावर आफ एटारनी की बिना पर बहुत सी जमीनें दी गईं ? यदि हां, तो उनको कितनी जमीनें कब-कब दी गईं और नगर महापालिका द्वारा उनके मूल्य कब निश्चित किये गये ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

नगर महापालिका, कानपुर, द्वारा अधिग्रहण की गई ऐसी कोई जमीन श्री राधेलाल गोयल को नहीं दी गई ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्री राधेलाल जी, जो वेलफेयर आफिसर हैं, इनके नाम से कोई जमीन नहीं दी गयी तो क्या एलगिन मिल के किसी और प्रतिनिधि के नाम से जमीन ली गई ? यदि हां, तो कितनी और कब ली गयी ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

क्या ऐसे सभी मामलों में माननीय मंत्री जी ने कोई जांच कराने का इन्तजाम किया है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

जी हां । ऐडमिनिस्ट्रेटर को सरकार न ऐसा लिखा है कि इसकी छानबीन वह करें ।

सिकन्दराराऊ तहसील में गल्ले की खरीद में अनियमितता

*५—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह सही है कि सिकन्दराराऊ तहसील (अलीगढ़) में गल्ला केन्द्रों पर जब किसान गल्ला देते हैं तो उनको उस पेमेन्ट के लिये हफ्ता-डेढ़ हफ्ता लग जाता है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शमीम आलम—

जी नहीं । केवल रबी का गल्ला केन्द्र पर एजेन्ट द्वारा तुरन्त भुगतान मई के अन्तिम कुछ दिनों में नहीं किया गया था । ऐसा एजेन्ट की असमर्थता व ढिलाई के कारण हुआ था ।

*६—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि सिकन्दराराऊ तहसील (अलीगढ़) में बजाय लोहे के किलो के, पत्थर व ईंटों के बांटों से गल्ला तौला जा रहा है जिससे किसानों को बड़ी हानि होती है ? इसकी पूर्ति विभाग ने कब-कब जांच की ?

श्री शमीम आलम—

सभी केन्द्रों पर तौल लोहे के प्रमाणित बांटों से की गई है, पत्थर व ईंटों के बांटों का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है ।

इसकी जांच खाद्य तथा रसद विभाग व माल विभाग के अधिकारियों ने समय-समय पर क्रय केन्द्रों पर की है ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने दिन तक और कितना रुपया किसानों को नहीं मिला, इसकी सूचना उनको है ?

श्री झारखंडे राय---

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा---

मैंने, श्रीमन्, एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न दिया था । उस वक्त आपकी आज्ञा हुई कि आप प्रश्न करिये । जब मैंने प्रश्न किया तो माननीय मंत्री जी को सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप और प्रश्न करें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं बता रहा हूं कि सूचना में क्या कठिनाई है । व्यवस्था प्रश्नों पर न हो तो अच्छा है

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

सरकार की तरफ से प्रश्नों के उत्तर में अगर अव्यवस्था की जाय और प्रश्नों में व्यवस्था का प्रश्न न उठाया जाय तो इस सदन में प्रश्नों के समय में बैठना बेकार है ।

श्री अध्यक्ष---

आप इसको देख लें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इसको तो मैं देख लूंगा । मेरा प्रश्न यह है कि अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाया तो आपने कह दिया कि प्रश्न कर लीजिये । इसके बाद उनको चिट्ठी भी लिखी । फिर भी उनको सूचना नहीं है । इससे ज्यादा लापरवाही और क्या हो सकती है ? आपकी तरफ से आदेश आना चाहिये कि लापरवाही हुई या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया उससे स्पष्टीकरण की गुंजायश है । अगर संतोष न हो तो नियमों में प्राविधान है । आप चर्चा मांग सकते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा---

श्रीमन्, मैं कोई प्रश्न करना नहीं चाहता हूं । संसदीय परम्परा यह है और मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में भी लिखा हुआ है कि प्रश्नों के इवेसिव उत्तर देना और तथ्यों को छिपाना, इससे ज्यादा दुनियां में और कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता है । मैं प्रोटेस्ट में प्रश्न करना नहीं चाहता हूं ।

श्री झारखंडे राय---

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रश्नकर्ता के सवाल पर जांच पड़ताल की गई । उससे मालूम हुआ कि केवल एक खरीद केन्द्र पर ऐसा हुआ कि एक एजेन्ट की लापरवाही से रुपया नहीं दिया जा सका । उसको हटा दिया गया यानी, फौरन कार्यवाही की गई । इससे उनको संतोष होना चाहिए । नया एजेंट नियुक्त किया गया है। उसने रुपये का भुगतान कर दिया है । इसके बाद कोई शिकायत नहीं मिली है। इतनी कार्यवाही की गई है ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी कानपुर के संबंध में जानकारी और कार्यवाही करेंगे ?

श्री आरखंडे राय---

कानपुर के संबंध में आप लिखकर दे दें । मैं जरूर कार्यवाही करूंगा और जांच करूंगा ।

गांव सभाओं का चुनाव

*७---श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायतों का चुनाव कब होने जा रहा है और इस चुनाव में पिछले चुनाव की अपेक्षा कौन-कौन मुख्य सुधार या परिवर्तन करने जा रहे हैं ?

कृषि उप मंत्री (श्री महीलाल)---

गांव सभाओं के आम चुनाव इस वर्ष के अंत तक कराने की चेष्टा की जा रही है । सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गांव सभाओं के चुनाव विधान सभा मतदाता सूची के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा करायें जायें । इस सम्बन्ध में यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, को संशोधित करने के लिये एक विधेयक इस सदन में शीघ्र ही लाया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विधान सभा की मतदाता सूची में बहुत से लोगों के नाम छूट गये हैं और गांव सभाओं का चुनाव होने जा रहा है तो जिनके नाम छूट गये हैं उनके नाम बढ़ाने की व्यवस्था कर दी है ?

श्री जयराम वर्मा---

विधान सभा सूची में नियमानुकूल जो संशोधन होता है वह इसमें भी हो सकेगा ।

श्री माता प्रसाद---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो पंचायतों का चुनाव होने जा रहा है उसमें पहले २५० की आबादी के जो गांव थे उनकी एक सभा मानी जाती थी, उसमें क्या उन्होंने कोई परिवर्तन किया है ? उनकी आबादी की सीमा कहां से कहां तक रहेगी ?

श्री जयराम वर्मा---

गांव सभाओं की साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

आगामी चुनाव के लिये गांव सभा को वार्ड में बांट कर चुनाव करवाने का इरादा है ?

श्री जयराम वर्मा---

चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा । उनका विभाजन कांस्टीट्युएन्सीज़ में होगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि सूचियों में जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिये विभागीय आदेश देंगे या लोगों को ठीक करने के लिये प्रार्थना-पत्र देने होंगे ? यदि हां, तो किस समय प्रार्थना-पत्र दिये जायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा---

नियमानुकूल कार्यवाही की जायगी । जब वक्त आयेगा तो उनको मौका दिया जायगा ।]

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

खुद ठीक करवाने के आप आदेश देंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

ऐसा नहीं होता है कि सरकार खुद ठीक करवाये । साल भर के बाद क्लेम और एक्जेक्शन्स होते हैं ।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा नियमों में प्राविधान है कि ढाई सौ की आबादी पर ग्राम सभा बनायी जाय, पिछली ग्राम सभाओं में जो गांव ढाई सौ की आबादी से कम थे, वह दो गांव एक में मिला दिये गये थे, अब क्या जांच करवायेंगे कि जिन गांवों की ढाई ढाई सौ की आबादी हो गयी है, उनकी पृथक गांव सभायें स्थापित की जायं ?

श्री जयराम वर्मा—

यह जरूरी नहीं है कि यहां से कुछ किया जाय । एक गांव सभा एक रेवेन्यू विलेज की हो सकती है और कई एक को मिला कर हो सकती है । अगर वहां से कोई सुझाव आयेगा तो विचार किया जायगा ।

जिला परिषद्, लखनऊ के कम्पाउन्डरों को नया वेतन-क्रम न मिलना

*८—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जी० ओ० नं० ४४२-बी/ग्यारह-सी० आई० एम० पी०-९९-१९६, दिनांक २७ फरवरी, १९६३ के द्वारा स्वायत्त शासन विभाग ने परिषद् के अस्पतालों के कम्पाउन्डरों का वेतन-क्रम ४५ से १०० के बजाय ७५ से १२० कर दिया है, किन्तु यह नया वेतन-क्रम लखनऊ जिले में नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महीलाल—

जी हां । प्रासंगिक शासनादेश नगरपालिका विभाग से जारी हुये थे । अतः जिला परिषद्, लखनऊ, ने समझा कि उक्त आदेश जिला परिषदों पर लागू नहीं होंगे । जिला परिषद् को सही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और जिला परिषद् अपने अस्पतालों के कम्पाउन्डरों को नया वेतन-क्रम देनेके बारे में आगामी बैठक में विचार करेगी ।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय मंत्री जी जानकारी कर लेंगे कि जिस एक जिले की सूचना मुझे मिली उसके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी कहीं ऐसी गड़बड़ियां तो नहीं हैं और अगर ऐसी गड़बड़ियां हैं तो दुरुस्त करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

अगर कोई ऐसा जिला होगा तो उसका परिहार हो जायगा ।

सीतापुर जिले में क्षेत्र विकास अधिकारी

*९—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में ऐसे विकास खंड अधिकारी कौन-कौन हैं जो कि ३ वर्ष से अधिक अवधि से अपने इसी पद पर उस ब्लाक पर बने हुये हैं ? उनके स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रूपनाथ—

सीतापुर जिले में ऐसे निम्नलिखित चार क्षेत्र विकास अधिकारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से वर्तमान विकास क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । श्री एच० एस० शुक्ला जिनको ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं उनका स्थानान्तरण वर्तमान विकास क्षेत्र से किया जा रहा है । अन्य, क्षेत्र विकास अधिकारी के स्थानान्तरण न किये जाने का कारण यह है कि शासकीय आदेश संख्या यू० ओ० ३४९४/अड़तीस ए–दिनांक ९–११–६४ के अनुसार साधारणतया क्षेत्र विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण एक विकास क्षेत्र में ५ वर्ष पूर्ण होने पर किया जाता है ।

नाम विकास खण्ड अधिकारी		जिस तिथि से कार्य कर रहे हैं
१—श्री यच० यस० शुक्ला, रामपुर मथुरा	.. ..	१–२–६१
२—श्री ए० ए० सिद्दीकी, खैराबाद	.. ..	११–११–६३
३—श्री सुरेन्द्र सिंह, गोन्दलामऊ	.. ..	२४–१२–६३
४—श्री एम० एन० मिश्र, बेहटा	.. ..	१२–६–६४

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो लिस्ट उन्होंने दी है उसमें बी०डी०ओ०, रेवसा, का नाम नहीं है जिनका कार्यकाल चार साल पूरा हो चुका है, और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, क्या माननीय मंत्री जी जांच करवायेंगे कि उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी जांच क्यों नहीं की गयी ? और उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

अभी तो वह शिकायत नहीं आई । अगर आ जायगी तो जरूर इसकी जांच कराई जायगी ।

श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन विकास अधिकारियों की आपके पास सूची है, उनके खिलाफ कोई शिकायत आप के पास आई है ?

श्री जयराम वर्मा—

इसक बारे में निश्चित सूचना नहीं है । अगर शिकायत आयगी तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी ।

*१०—११—श्री नाथूराम शिक्षक—

[२४ जुलाई, १९६७, के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२—श्री रामायण राय तथा श्री कृष्णानन्द राय—

[२४ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया ।]

राज्य व्यापार का विस्तार तथा किसानों के लिये गल्ला रखने की सीमा

*१३—श्री रामायण राय (जिला देवरिया), श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री धर्मराज सिंह (जिला हरदोई)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार व्यवसायियों की ही भांति किसानों पर भी अन्न रखने की सीमा को प्रतिबन्धित करने जा रही है ?

श्री शमीम आलम—

किसानों पर अन्न रखने की सीमा पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*१४—श्री रामायण राय, श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री धर्मराज सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार राज्य व्यापार योजना को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये कोई योजना लागू करने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री शमीम आलम—

गल्ले की सरकारी खरीद और सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर वितरण द्वारा अनाजों में राज्य व्यापार का श्री गणेश पहले ही हो चुका है। किसानों से सीधे रबी के अनाजों की सरकारी खरीद से राज्य व्यापार का विस्तार हुआ है। खरीफ फसल के अनाजों की खरीदारी करके राज्य व्यापार को और विस्तृत किया जायगा ।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं खाद्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किन कारणों से किसानों के अन्न रखने पर सीलिंग लगाने का विचार कर रहे हैं ।

श्री झारखंडे राय—

शिकायत इस बात की मिली है कि बड़े किसान प्रदेश के खुद गल्ला चोरी करते हैं और बिना लाइसेन्स लिये हुये गल्ले का व्यापार चुपचाप करते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यापारियों से षड़यन्त्र करके खरीदा हुआ गल्ला अपने घरों में रखते हैं । धीरे धीरे व्यापारियों को इस बात का मौका देते हैं कि वह बाजार में गल्ला बेंचे और व्यापारी लोग सारा गल्ला गोदामों में नहीं रखते इस डर से कि सरकार कोई कार्यवाही करेगी तो गल्ला पकड़ा जायगा । इन दोनों कारणों से उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाने का विचार किया जा रहा है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूचना उन्होंने सदन को दी है उसका आधार क्या है ? उन्होंने कोई जांच की है या किसी के कहने पर यह तथ्य उन्होंने सदन को दिया है ?

श्री झारखंडे राय—

सरकार के पास विभिन्न जरिये से जो रिपोर्ट आती है खुफिया तौर पर वही जरिये होते हैं। इसके अलावा बहुगुणा जी जैसे प्रतिष्ठित सम्भ्रान्त लोग जो देहरादून से बलिया तक फैले हुये हैं हर दलों के लोग, उनसे भी समाचार मिलते हैं । इसके अलावा जनता के जरिये से जो गरीब किसान हैं उनके जरिये से भी समाचार आते हैं । इन तीनों तरीके से समाचार मिलते हैं जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि बड़े किसान गल्ले की चोरी बड़े पैमाने पर करते हैं ।

श्री रामायण राय—

मैं खाद्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनके मंत्री बनने के पूर्व व्यापारियों के गल्ला रखने की क्या सीमा थी और इस समय गल्ला रखने की उनकी क्या सीमा निर्धारित है ?

श्री झारखंडे राय—

गल्ला रखने की सीमा उनके लिये जैसे पहले थी वही है; केवल परिवर्तन इतना किया गया है कि एक प्रकार के गल्ला रखने की संख्या २५० क्विंटल थी । अब एक प्रकार का गल्ला वह कोई भी व्यवसायी एक हजार क्विंटल तक रख सकता है । २ प्रकार का, ३ प्रकार का मिलाकर

[श्री झारखंडे राय]

और चाहे तो एक प्रकार का भी रख सकता है । इतना अन्तर रखा गया है इस आशा से कि बाजार में जरूर आ सके लेकिन सीलिंग जो पहले थी वही है ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

मैं यह जानना चहता हूं कि किसानों के पास जो गल्ला जमा हो गया है व्यापारियों के द्वारा खरीदा हुआ उसकी सूचना उन्होंने सूत्रों से प्राप्त हुई बताई लेकिन सरकारी मशीनरी का कहीं जिक्र नहीं है । तो क्या सरकारी मशीनरी से उन्होंने काम लेना बन्द कर दिया है या सरकारी मशीनरी ने काम देना बन्द कर दिया है ?

श्री झारखंडे राय--

मैंने बताया कि जिलों से जो गुप्त रिपोर्ट आती है उनके जरिये से समाचार मिलता है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--

ऐसे किसानों के लिए जो सीमा निर्धारित की जायगी, तो जो सीमा व्यापारियों के लिये निर्धारित है उससे ज्यादा की जायगी या उतनी ही की जायगी ?

श्री झारखंडे राय--

यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

यह देखते हुए कि गल्ले का पूर्ण व्यापार अभी राज्य सरकार अपने हाथ में नहीं लेने जा रही है और व्यवसायियों के हाथ में गल्ले का व्यापार होगा । जब किसानों पर सीमा निर्धारित होगी, तो वह मजबूर होगा कि व्यापारी के हाथ बेचे ; तो इस योजना से सरकार व्यापारियों को लाभ पहुंचाने नहीं जा रही है ?

श्री झारखंडे राय--

व्यापारियों के गल्ला रखने की सीमा तय हो चुकी है । उससे अधिक वह नहीं रख सकते हैं चाहे दूसरा रखे या न रखे ।

श्री फूल सिंह--

किसानों के गल्ले की व्यापार की शिकायत जो है वह किस तरह से मन्त्री जी किसानों को गल्ले के व्यापार करने के काम से अलग कर सकेंगे ?

श्री झारखंडे राय--

किसी भी किसान को कुछ मात्रा में गल्ला रखने का अधिकार है और वह बेचता है, लेकिन यह निश्चित बात है कि बड़े किसान बड़े पैमाने पर गल्ला बेचते हैं जबकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है । लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, व्यापारी और किसानों में षड़यन्त्र हो गया है वह चिन्ताजनक बात है । उसको रोका न गया तो मंहगाई के ऊपर नियन्त्रण करना सम्भव नहीं है ।

देवरिया जिले की मंडियों में खाद्यान्नों के भाव

*१५--श्री गेंदा सिंह तथा श्री रामायण राय--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश की कितनी मन्डियों में अन्न का बाजार भाव एकत्रित तथा संग्रह किया जाता है तथा देवरिया जिले के तमकुही रोड (सेवरही) तथा उस के निकटवर्ती बाजारों का अन्न का भाव जून, १९६७, के पहले सप्ताह का क्या है ?

श्री शमीम आलम--

प्रदेश की लगभग १८२ मन्डियों से इस समय अन्न के भाव एकत्रित किये जाते हैं। देवरिया जिले के तमकुही रोड (सेवरही) का बाजार भाव एकत्रित नहीं किया जाता है। इस के निकटवर्ती पड़रौना बाजार में, जून के पहले सप्ताह के अन्न के भावों की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६०४ पर।)

*१६--श्री गेंदा सिंह तथा श्री रामायण राय--

देवरिया जिले के कितने गांव कारोइडोर के क्षेत्र में हैं और उन गांवों में अन्न पहुंचाने की क्या योजना इस समय लागू है ?

श्री शमीम आलम--

देवरिया जिले में ७८६ गांव कारोइडर के क्षेत्र में हैं। इन गांवों में इस समय ८२ सस्ते गल्ले की दुकानें चल रही हैं जिन के द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाता है। इस के अतिरिक्त इस क्षेत्र के व्यापारियों को भी जिलाधीश बिक्री हेतु खाद्यान्न ले जाने के लिए परमिट देते हैं।

श्री गेंदा सिंह--

क्या यह सही है कि सेवरही और उस के पास के बाजारों का भाव भी इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इसमें जो बाजार भाव दिया गया है १६९ रुपये क्विंटल, उस की जगह पर वहां सवा दो सौ रुपये क्विंटल चावल है, इस मसलहत से ही इस को नहीं बताया जा रहा है ?

श्री झारखंडे राय--

जो जिलों की सूचना मिली है, उसक अनुसार ही भाव बतलाया गया है। अगर उन की सूचना सही हो तो वह दे दें, मैं जांच करा लूंगा। मुमकिन है कि उनकी बात सही हो।

श्री गेंदा सिंह--

मैं समझता हूं कि खाद्य मन्त्री जी एक दिन मेरे साथ वहां चलने की तकलीफ करें और उग्रसेन जी भी साथ चलें। वहां २०० और २५० रुपये क्विंटल चावल का भाव है।

श्री झारखंडे राय--

तारीख तय हो जाय तो मुझे एतराज नहीं है।

खाद्यान्नों के बढ़ते भाव

*१७--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ३१ मार्च, सन् १९६७ से १५ मई, सन् १९६७, तक खाद्यान्न के भावों में विशेषतया गेहूं, चना, गुड़ चीनी, चावल, दाल (अरहर) में किस प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हुई है ? तथा सरकार ने इसकी रोकथाम हेतु क्या क्या कदम उठाये ?

श्री झारखंडे राय--

प्रश्न के पहले भाग से सम्बन्धित वांछित सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है, जिससे यह विदित होगा कि गेहूं, चना, जौ, मक्का व बाजरा के भावों में ३१ मार्च की अपेक्षा १५ मई को बढ़ोत्तरी नहीं हुई, परन्तु चावल, ज्वार, अरहर तथा गुड़ के भाव बढ़े।

नोट--ता० प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

खुले बाजार में खाद्यान्नों के बढ़ते हुए भाव को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने के अभिप्राय से जखीरेबाजी को रोकने के लिए व्यापारियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध सख्ती के साथ लागू किये गये हैं।

(२) प्रदेश में उपलब्ध गल्ले की प्राप्यता सुनिश्चित करने के लिए अवैध रूप से बाहर जाने वाले गल्ले पर कड़ी रोक लगा दी गयी है। इस प्रदेश की सीमा पर चेक पोस्ट बना दिये गये हैं जहां कि पुलिस तैनात कर दी गयी है। पुलिस की भ्रमण करने वाली टुकड़ियां (मोबाइल स्क्वैड) बना दी गयी हैं।

(३) प्रदेश में उचित मूल्य पर जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष रबी के खाद्यान्नों की खरीदारी सीधे उत्पादकों से की गयी है। अब तक लगभग १,९५,००० मि० टन रबी का अनाज खरीदा जा चुका है। इस अनाज के भण्डार द्वारा सरकार भविष्य में अनाजों की कीमतों में वृद्धि को कुछ हद तक रोक सकेगी।

(४) सस्ते गल्ले की दूकानों द्वारा जनता में वितरण हेतु अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध किये गये हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के शहरी भागों में, जहां राशन की मात्रा ४ किलो प्रति यूनिट प्रति माह थी उसे बढ़ाकर ५ किलो प्रति यूनिट प्रति माह किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६०५ पर।)

शाहजहापुर जिले से बोरिंग सेट हटाना

*१८—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि जून, १९६७, के प्रथम सप्ताह में एक आदेश जारी कर के राज्य सरकार ने जिला शाहजहांपुर के ब्लाकों से ५० फी सदी बोरिंग मशीन तथा बोरिंग सेट विदड्रा कर लिये हैं, जिससे कुओं के बोरिंग का कार्य एक दम रुक गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं। यह आदेश अवश्य हुये हैं कि इस जिले के २१ बोरिंग सेटों में से ७ पूर्वी जिलों को हस्तान्तरित कर दिये जायं। यहां कोई बोरिंग मशीन नहीं है तथा उन के हटाने का प्रश्न नहीं उठता। निजी फार्मों के उपलब्ध होने के कार्य में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सुविधायें देने की सिफारिश

*१९—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य सुविधायें देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री परमेश्वर पांडेय—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

*२०—श्री इन्द्रलाल—

[१७ जुलाई, १९६७, के लिए स्थगित किया गया।]

विकास क्षेत्र औराई के ग्राम सेवकों का बकाया वेतन

*२१--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र औराई, जिला वाराणसी, के ग्राम सेवकों को सन् १९६१ का बकाया वेतन अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री परमेश्वर पांडेय—

जी हां। विकास क्षेत्र औराई के दो ग्राम सेवकों को सन् १९६१ का बकाया वेतन नहीं दिया जा सका है। श्री बलराम शर्मा को अप्रैल, १९६१ का तथा श्री बृज मोहन लाल को दिसम्बर, १९६० से जून १९६१ तक की वेतन-वृद्धि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है।

श्री बलराम शर्मा, ग्राम सेवक, को भुगतान न किये जाने का कारण तत्कालीन लेखा लिपिक की लापरवाही है जो अब शासकीय कार्य से मुक्त किये जा चुके हैं। श्री बृज मोहन लाल के अवशेष वेतन वृद्धि के भुगतान के सम्बन्ध में जो विलम्ब हुआ है, उसके बारे में पूरी सूचना जिला कार्यालय से शासन को प्राप्त नहीं हो सकी है।

उपरोक्त दोनों बिल अब पुनः प्राप्त कर लिये गये हैं और जिला नियोजन अधिकारी, वाराणसी, के द्वारा महांकिक (एकाउन्टेन्ट जनरल), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, को प्री-आडिट हेतु भेजे दिये गये हैं।

इन दोनों मामलों में जो विलम्ब हुआ है उसकी पूरी छानबीन करके दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी को दण्ड देने के आदेश उप विकास आयुक्त, वाराणसी, को भेजे जा रहे हैं।

रामपुर नगरपालिका अध्यक्ष की मुअत्तली

*२२--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामपुर नगरपालिका के अध्यक्ष को सरकार द्वारा निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर और कब से ?

श्री परमेश्वर पांडेय—

जी हां।

सफाई मजदूरों को ऊनी जर्सियों के बजाये सूती जर्सियां खरीदने तथा इस सम्बन्ध में नगरपालिका फन्ड के २,०६३.६० रु० के दुर्विनियोग (Misappropriate) किये जाने तथा नगरपालिका के उक्त धनराशि का दुरुपयोग करने के आरोप पर उन्हें शासन के दिनांक ४-५-६७ के आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था। यह आदेश जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अध्यक्ष को दिनांक १४-५-६७ को प्रेषित किया गया।

*२३--श्री श्रीराम तिवारी—

क्या यह सही है कि उपरोक्त नगरपालिका के उपाध्यक्ष का चुनाव भी अभी तक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री परमेश्वर पांडेय—

नगरपालिका, रामपुर, के उपाध्यक्ष का चुनाव ३०-६-६७ को हो गया है।

बिनौली के गल्ला संग्रह एजेंट के खिलाफ शिकायत

*२४—श्री आचार्य दीपंकर—

क्या खाद्य मन्त्री को मेरठ के दौरे के समय बिनौली के गल्ला संग्रह एजेंट की धांधली के खिलाफ किसानों ने ३ भ्रष्टाचार सम्बन्धी गम्भीर शिकायतें पेश की थीं ? यदि हां, तो मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या आवश्यक कदम उठाये हैं ?

श्री झारखंडे राय—

जी हां। इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी व जांच के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सफाई कर्मचारियों का वेतन

*२५—श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय निकायों में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों का वेतन राज्य के अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर करने पर सरकार कोई विचार कर रही है ? अगर विचार कर रही है, तो वह कब तक अन्तिम निर्णय की घोषणा कर देगी ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

स्थानीय निकायों में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के वेतन के पुनरीक्षण का प्रश्न सरकार द्वारा नियुक्त मेहतरों की द्वितीय वेतन समिति के विचाराधीन है।

समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार उसकी संस्तुतियों पर समुचित निर्णय लेगी।

*२६—श्री गुप्तार सिंह—

[१७ जूलाई, १९६७, के लिए स्थगित किया गया।]

गल्ला वसूली

*२७—श्री मंगला प्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो काश्तकार गल्ला देने की स्थिति में नहीं हैं, सरकार उनसे नकद रुपया वसूल कर मार्केट से गल्ला खरीदती है ?

श्री झारखंडे राय—

जी नहीं।

आजमगढ़ जिले के सप्लाई अफसर के खिलाफ शिकायत

*२८—श्री मारकंडे (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के सप्लाई अफसर के विरुद्ध मई, १९६७ ई०, में कोई मेरा शिकायती पत्र भ्रष्टाचार सम्बन्धी उन्हें मिला था ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अफसर द्वारा करायी गयी और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री झारखंडे राय—

जी हां। उसकी जांच जिलाधीश, आजमगढ़ द्वारा करवायी गयी थी और उचित कार्यवाई की जा चुकी है।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री मुल्की राज—

[१७ जूलाई, १९६७, के लिए स्थगित किये गये ।]

अनाज की जिलेवार वसूली

३—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रत्येक जिले से १५ जून, १९६७, तक कितना-कितना अनाज लेवी से वसूल हुआ है, तथा प्रत्येक जिले का क्या टारगेट था ?

श्री झारखंडे राय—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६०६-६०८ पर ।)

जिला परिषद् जालौन के सेनिटरी इन्सपेक्टर

४—श्री राधेश्याम कपूर (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला परिषद्, जालौन, ने हाल ही में बीस-बीस वर्ष पुराने सनिटरी इन्स्पेक्टरों की सेवायें समाप्त कर दी हैं और इनके स्थानों पर नयी भर्ती कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

परिषद् द्वारा हाल ही में न तो इस प्रकार की कोई सेवाएं समाप्त की गयी और न कोई भरती की गयी ।

प्रश्न सूची में अधिक प्रश्न रखने पर आपत्ति

श्री मारकण्डे (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एजेन्डा में बहुत से सवाल रख दिये जाते हैं और पूरक प्रश्नों में ज्यादा समय दे दिया जाता है । इस कारण अन्त के सवालों पर कोई विचार नहीं होता और प्रश्नकर्त्ता को सवाल की अहमियत जाहिर करने का अवसर नहीं मिलपाता । तो इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रश्न थोड़े रखे जायं और यदि अधिक रख दिये जाते हैं तो उनके लिए अधिक समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात और भी माननीय सदस्यों की ओर से आती रही है । मैं पूरक प्रश्नों का समय काट सकता हूं किन्तु प्रश्नों की संख्या पर मेरा कोई अधिकार नहीं है । मैं इस बात का प्रयत्न कर सकता हूं कि पूरक प्रश्न कम हों, लेकिन फिर भी कई प्रश्न नीति सम्बन्धी इस प्रकार के आ जाते हैं कि सभी माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और मुझे उस के लिए अधिक समय देना पड़ता है । आप ने देखा होगा कि लोक सभा में प्रश्नों का घंटा समाप्त हो गया । मैं फिर भी प्रयत्न करूंगा कि जहां तक हो सके पूरक प्रश्न कम करने का अवसर दूं ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

एक निवेदन यह है कि अगर पूरे सप्ताह का कार्यक्रम सोमवार को सदन के समक्ष आ जाया करे तो उससे हम लोगों को बड़ी सुविधा होगी ।

श्री अध्यक्ष--

इस समय तो एक सप्ताह के आगे तक का कार्यक्रम आपके सामने है । हर रोज कौन:-सी मांग प्रस्तुत होगी, वह कार्यक्रम में दिया हुआ है और वह आपको मिल गया होगा ।

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)--

मेरा सुझाव है कि कभी कभी समय बच जाता है, सारे काम रोज के हो जाने के बाद, तो वह समय प्रश्नों के लिए दे दिया जाया करे ।

श्री अध्यक्ष--

यह सम्भव नहीं होगा ।

परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को आवर्तन द्वारा परिषद् का सदस्य नियुक्त करने की नियमावली*

वन उपमंत्री (श्री अनन्त राम)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्राविधिक शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८७८-टी/१८-य-३० (एस० बी०)-६५, दिनांक १ अप्रैल, १९६६, द्वारा प्रख्यापित 'परिषद से सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को आवर्तन द्वारा परिषद का सदस्य नियुक्त करने की नियमावली' को, जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा २२ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ११ अगस्त, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गयी थी, और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा, नियमावली १९६६*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५५६७/११-ए-८९८-५७, दिनांक ९ जुलाई, १९६६, द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, १९६६, को, जो उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार दिनांक ११ अगस्त, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६*

स्वायत शासन मंत्री (श्री वरमेश्वर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०१३९/११-ए-११२(१)-६६, दिनांक १० अक्तूबर, १९६६, द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) सेवा (संशोधन) नियमावली, १९६६, को, जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार दिनांक ६ दिसम्बर, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

* छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर नियमावली, १९६६*

वन उप मंत्री (श्री अनन्त राम)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (नियोजन एवं संशोधन) विभाग की विज्ञप्ति संख्या पी–१८१९/१०–३०२–१९६५, दिनांक २० मई, १९६६, के उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में प्रकाशित 'उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर नियमावली, १९६६' को, जो उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५, की धारा २४ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ११ अगस्त, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४, में प्रख्यापित संशोधन*

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४, में, नियुक्ति (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४१/४–६६–नियुक्ति (ख), दिनांक ३ सितम्बर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को, जो "भारत का संविधान' के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अनुसार दिनांक ३० नवम्बर, १९६६ को सदन के पटल पर रखे गये थे और जिनके सदन के पटल पर रहने की कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (संशोधन) नियमावली १९६६*

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३३३४/९(२)–२–६६, दिनांक ३१ अगस्त, १९६६, द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (संशोधन) नियमावली, १९६६, को जो उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२, की धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३० नवम्बर, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गयी थी, और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में हुए प्रख्यापित संशोधन*

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री कृष्ण बहादुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२४४–टी–एम/३०–ख–४४–पी–६३, दिनांक २८ फरवरी, १९६६, के शुद्धि-पत्र के साथ पठित विज्ञप्ति संख्या एम-बी–आर–ए–५५–२७९३–टी–एम–पी/३०–४४

---

* छापी नहीं गई।

[श्री कृष्ण बहादुर]

–पी–६३, दिनांक १६ नवम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ११ अगस्त, १९६६, को सदन के पटल पर रखे गये थे और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६*

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री कृष्ण बहादुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम–बी–आर (एम)–३४४३–टी एम/३०–दी–८६–पी–६४, दिनांक १९ मई, १९६६, द्वारा प्रख्यापित यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६, को, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अनुसार दिनांक १२ अगस्त, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६*

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री कृष्ण बहादुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-बी-टी-आर (ए–एम)–२१८७–टी–एम/३०–ख–४५–पी–६३, दिनांक १८ अप्रैल,, १९६६, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६, को, जो यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५, की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार दिनांक १२ अगस्त, १९६६, की सदन को पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६६*

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री कृष्ण बहादुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-बी०-आर०/ए–एम–१९६७–टी–एम/३०–ख–९५–पी–६४, दिनांक १७ मई, १९६६, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९६६ को, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३० नवम्बर, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में प्रख्यापित संशोधन*

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री कृष्ण बहादुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में, शुद्धि-पत्र संख्या २२२०–टी–एम/३०–ख–१६६–पी–६१, दिनांक २२ जून, १९६६, के साथ पठित

*छापी नहीं गई ।

परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-बी-आर-ए-एम-६५-८-जी०-टी/३०-ख-१६६-पी-६१, दिनांक २४ जुलाई, १९६५, द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३० नवम्बर, १९६६, को सदन के पटल पर रखे गये थे और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-बी-आर-ए-एम-६-१६५८-टी/३०-बी-१२३-पी-६२, दिनांक २९ अगस्त, १९६६, द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३० नवम्बर, १९६६, को सदन के पटल पर रखे गये थे और जिनके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (सातवां संशोधन) नियमावली, १९६६*

स्वास्थ्य उप मंत्री (श्री कृष्ण बहादुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २९९४-टी/३०-ख-४८-पी-६२, दिनांक २२ सितम्बर, १९६६, द्वारा प्रख्यापित 'यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (सातवां संशोधन) नियमावली, १९६६, को, जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ६ दिसम्बर, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६*

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री कृष्ण बहादुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५४३२-टी-/३०-ख-५-पी-६२(२), दिनांक १५ अक्टूबर, १९६६, द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६, को, जो उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२, की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ६ दिसम्बर, १९६६ को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रपत्र जिनमें और अन्तराल, जिन पर परिषद् द्वारा राज्य सरकार की विवरणियों और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायगे, नियत करने के संबंध में नियमावली*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शुद्धि-पत्र संख्या २-एच-३७-१६ (९) (१)-६६, दिनांक ९ सितम्बर, १९६६, के साथ पठित निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या २-एच-३७-क-१६(९)-(१)-६६, दिनांक २८ जून, १९६६, द्वारा प्रख्यापित प्रपत्र जिनमें और अन्तराल,

---

* छापी नहीं गई।

[श्री बरमेश्वर पांडेय]

जिन पर परिषद् द्वारा राज्य सरकार की विवरणियों और प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायंगे, नियत करने के सम्बन्ध में नियमावली को, जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३० नवम्बर, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गई थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास (परिषद् भवन में परिवर्तन करने या उसे गिराने के व्यय की वसूली) नियमावली १९६६*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५४१-एस/३७-१६ (९)-१६-६६, दिनांक २० अक्टूबर, १९६६, द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (भवन में परिवर्तन करने या उसे गिराने के व्यय की वसूली) नियमावली, १९६६, को, जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५, की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक ३० नवम्बर, १९६६, को सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन के कारण पूरी नहीं हुई है, पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री केदारराज जंगबहादुर राणा द्वारा कांग्रेस दल की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे सदन को दो सूचनायें देनी हैं। एक तो माननीय केदारराज जंगबहादुर राणा ने सूचना भेजी है कि "निवेदन है कि मैं इस पत्र द्वारा सूचित करता हूं कि मैं कांग्रेस दल में शामिल हो गया हूं। कृपया इसकी सूचना सदन को दे दें।" इसी के साथ कांग्रेस दल के मंत्री ने भी मुझे लिखा है कि श्री राणा को कांग्रेस विधायक दलकी सदस्यता स्वीकृत कर दी गयी है।

दैनिक "स्वतंत्र भारत" में विधायक श्री इन्द्रलाल का नाम गलत प्रकाशित करने के संबंध में आपत्ति

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना श्री इन्द्रलाल ने दी है—उन्होंने लिखा है—"दिनांक ७-७-६७ को हाउस में नियम ५१ के अन्तगत लेवी के सम्बन्ध में मेरी जो सूचना पढ़ी गयी थी उसकी कार्यवाही का प्रकाशन "स्वतन्त्र भारत" समाचार पत्र ने मेरा नाम गलत प्रकाशित करके दी जो कि समाचार "स्वतन्त्र भारत" दैनिक अखबार के पेज तीन में तारीख ८-७-६७ को छपा है जिसका शीर्षक "गल्ला वसूली में अत्याचार : खाद्य मंत्री वक्तव्य देंगे।" इसमें मेरा नाम इन्द्रलाल के बजाय इन्द्रपाल प्रकाशित हुआ है जिस पर मुझे आपत्ति है। कृपया इस प्रकाशन को शुद्ध प्रकाशन करा दिये जाने की कृपा करें।" इसे सम्बन्धित समाचार-पत्र कृपया शुद्ध कर दें।

---

* छापी नहीं गई।

विधान सभा के अधिकारियों पर विधान भवन के परिसर में कथित आक्रमण के संबंध में राज्य सभा के सदस्य श्री राजनारायण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना माननीय कृष्णानन्द राय जी ने दी है जो इस प्रकार है—"मैं राज्य सभा के सदस्य श्री राजनारायण सिंह के विरुद्ध सदन के अवमान करने तथा उसकी विशेषाधिकार की अवहेलना करने की सूचना प्रस्तुत करता हूं। दिनांक ९ जुलाई, ६७ को दिन में दोपहर के करीब राज्य सभा के सदस्य श्री राजनारायण सिंह ने विधान सभा के सचिव श्री देवकीनन्दन मिश्रा, उप सचिव, श्री श्रीपति सहाय तथा मार्शल के ऊपर विधान भवन के परिसर में आक्रमण किया, उनको धक्का दिया और उन पर हाथ छोड़ा। यह सभी व्यक्ति विधान सभा के अधिकारी हैं और विधान भवन के परिसर में बिना किसी अवरोध के काम करने तथा अपना कर्तव्य निवाहने का विशेषाधिकार प्राप्त है। विधान सभा के संवैधानिक कार्यों जिसमें विधान सभा को राज्य सभा तथा विधान परिषद् के अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, में अधिकारी विधान सभा के परिसर में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और ऐसी स्थिति में उन पर आक्रमण करना तथा उनके अधिकृत कार्यों में अवरोध पहुंचाना है और यह सदन का सबसे बड़ा अवमान है। अतः राज्य सभा के सदस्य, श्री राजनारायण सिंह पर विशेषाधिकार की मैं सूचना देता हूं और सदन के अवमान करने की कार्यवाही की जाय।

इसमें, माननीय कृष्णानन्द राय जी, मैं दो बातें आपसे जानना चाहूंगा कुछ और जानने से पहले। पहली बात यह कि नियमों के अन्तर्गत किसके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना है उसको सूचना देना विशेषाधिकार की सूचना देने वाले का कर्तव्य है। क्या आपने माननीय राजनारायण सिंह को इसकी सूचना पहुंचा दी है?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दिल्ली के पते से आज रजिस्ट्री की है। मैंने आपको दो प्रतिलिपियां दी हैं। एक रजिस्ट्रेशन से ११–१२ बजे की गई है।

श्री अध्यक्ष—

यह मेरा दायित्व तो है नहीं। मैं इस प्रश्न को इस समय ले नहीं सकता, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाय कि उन पर सूचना पहुंच चुकी या नहीं। मैं केवल इतना जानना चाहूंगा जिससे प्राईमा फैसी केस के समझने में मुझे सहायता मिले। इसमें जो विशेषाधिकार आपने उठाया है यहां पर, एक प्रश्न यह है कि जो सूचना मैंने अखबार में पढ़ी या जिसका मुझे पता लगा वह एक ऐसी सूचना है जिससे बहुत सारे सदस्यों को ठेस लग सकती है। उनके मन में इस तरह का प्रश्न उठ सकता है कि यह बात अनुचित हुई। यह अलग बात है। हम इसे विशेषाधिकार की परिधि में यहां उठा सकते हैं या नहीं यह दूसरी बात है। प्रश्न इस समय यह है कि ये विधान सभा के कर्मचारी जो इलैक्शन कमीशन के तत्वाधान में हुई कार्यवाही में भाग ले रहे थे और चूंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से न कोई रिपोर्ट आई है और न रिटर्निंग आफिसर की तरफ से शिकायत आई है ऐसी शक्ल में आप कृपया यह बतायें कि किस प्रकार यह प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं आपसे और फिर दोबारा राजनारायण सिंह जी के पास सूचना पहुंच जायेगी तो प्राग्दर्शन पर विचार कर सकते हैं।

*श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूचना का प्रश्न है, मैंने रजिस्ट्री करने की व्यवस्था कर दी है और उनकी रिपोर्ट की सूचना आ जायेगी तो मैं सूचित कर दूंगा। जहां तक दूसरा प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि यदि आप भारतीय संविधान का आर्टिकिल ८० देखें तो उसमें यह प्राविजन दिया है कि इस विधान सभा को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि राज्य सभा में अपने प्रतिनिधि भेजें। श्रीमन्, यदि आप उसी आर्टिकल के क्लाज ४ को देखें तो उसमें प्राविजन है कि विधान सभा के जो इलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं वे प्रापोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन के माध्यम से राज्य सभा में अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो श्रीमन्, मैं इसलिये इस आर्टिकिल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सभा में प्रतिनिधि भेजने का जो कि हमारी विधान सभा का कार्य है वह एक संवैधानिक कार्य है उसी प्रकार से जिस प्रकार से लेजिस्लेशशन सरकार की तरफ से आते हैं। उसके बारे में विचार करने का कार्य है। श्रीमन्, कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल १८७ में यह दिया हुआ है कि विधान सभा के कार्य को करने के लिये विधान सभा एक सेक्रटरियट की नियुक्ति करता है। श्रीमन्, यह आपकी भी जानकारी है कि विधान सभा का यह सेक्रेटेरियेट विधान सभा के नियमों के अन्तर्गत कार्य करता है और अगर नियम न बने हों तो पुराने नियमों के अनुसार काम होता है और उसी के अनुसार वहां के कर्मचारियों की सर्विस कंडीशन्स होती हैं और उनकी आपके अन्तर्गत सुरक्षा होती है, आपके द्वारा।

अब मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२६–१२७ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इन पृष्ठों पर बहुत से ऐसे उदाहरण दिये गये हैं कि हाउस आफ कामन्स में और दूसरे लेजिस्लेचर्स में माननीय सदस्यों के जो अधिकार और विशेषाधिकार हैं वही उनके कर्मचारियों के भी हैं। जब वे कोई अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो अगर उनका मोलेस्टेशन होता है, अथवा उनकी ड्यूटी में कोई आबस्ट्रक्शन होता है तो वह हाउस का ही कन्टेम्प्ट माना जाता है। इसमें सबसे बड़ा वैधानिक प्रश्न यह है कि यह विधान सभा का परिसर है। उस परिसर में विधान सभा के वाचनालय आदि स्थान भी हैं। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहां शान्ति व्यवस्था रखने में वह असमर्थ है।

श्री अध्यक्ष—

इलेक्शन कमीशन, कल जो चुनाव यहां हुआ है, अगर किसी पब्लिक लाइब्रेरी में अथवा किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कराना चाहता तो करा सकता था या नहीं और रिटर्निंग आफीसर सचिव विधान सभा के बजाय किसी और अधिकारी की भी नियुक्त कर सकता था या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, इस संबंध में आप नियम ३०९ को देखने का कष्ट करें। इसमें दिया हुआ है "जब किसी अधिनियम के अनुसार अथवा अन्यथा सभा के सदस्यगण अथवा उनके एक भाग को किसी सार्वजनिक संस्था के लिये अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना हो तो सचिव इस संबंध में प्रार्थना किये जाने पर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार या अध्यक्ष के निदेशानुसार तथा उनके द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार, यदि कोई हो, निर्वाचन करने का प्रबन्ध करेंगे।"

श्री अध्यक्ष—

यह तो बिलकुल दूसरी बातें है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आपने जो यह पूछा था कि लाइब्रेरी या किसी सार्वजनिक संस्था में भी चुनाव कराये जा सकते थे या नहीं, तो उस संबंध में मेरा कहना यह है कि वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है । वहां पर पुलिस और मैजिस्ट्रेट को शान्ति व्यवस्था की पूरी पावर्स होती है । वहां कोई राइट करे, अशान्ति पैदा करे अथवा फन्डामैन्टल राइट्स की अवहेलना करे तो वे कामन ला के अनुसार उनको जेल भेज सकते हैं । रिटर्निंग आफीसर की अनुमति से अथवा अपने अधिकारों के अनुसार वे वहां काम कर सकते हैं । मैजिस्ट्रेट को पावर होती है । लेकिन कठिनाई यह पड़ती है कि विधान भवन और उसकी प्रिंसिक्ट्स में आप का अधिकार चलता है और चलना भी चाहिये क्योंकि हाउस आफ कामन्स तथा हर लेजिस्लेचर की मान्यता रही है कि यदि भवन और उसके परिसर को सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के जिम्मे दे दिया जाय तो हम लोग यहां स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर सकते हैं । तो आप का अधिकार चलता है और पुलिस तथा मैजिस्ट्रेट यहां पर आ कर व्यवस्था नहीं स्थापित कर सकते । इसलिये कल जो कार्य हो रहा था वह एक कांस्टीट्यूशनल कार्य सम्पन्न हो रहा था, जिसमें हमारी विधान सभा के कर्मचारी वहां की व्यवस्था में लगे हुये थे, यहां परिसर के अन्तर्गत थे और स्वाभाविक चीज है जब उस परिस्थिति में एक रायट किया गया, मोलेस्टेशन किया गया, कार्य में अवरोध किया गया तो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में कहा है कि इस प्रकार से कर्मचारियों को मोलेस्ट किया जाय, या उन क काय में अवरोध, औबस्ट्रक्शन पैदा किया जाय तो जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है, उस की सुरक्षा होनी चाहिये ।

माननीय प्रभू नारायण सिंह जी बैठे हुये हैं। मैं इनको बधाई देता हूं कि माननीय राजनारायण राज्य सभा के सदस्य होते हुये, जब ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें इनको भी माननीय राजनारायण ने अपशब्द कहे और बहुत से माननीय सदस्यों पर मार पीटकरन का प्रयास किया । राज्य सभा का एक सदस्य इस विधान भवन में या उसके प्रीसिंक्ट्स में आकर यहां के कर्मचारियों के कार्य में, जो प्रोटेक्टड ह, अपन उद्देश्य क लिये आकर रायट करे इस से बड़ा अपमान विधान सभा का कोई हो नहीं सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर मुझे प्राग्दर्शन में संतोष हो तो आप की मांग यह है कि मैं यहां विचार करूं, क्योंकि एक कठिनाई यह है कि माननीय राजनारायण सिंह राज्य सभा के सदस्य हैं और आप उन के विरुद्ध प्रश्न उठा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि अगर मैं सन्तुष्ट हूं राज्य सभा को रेफर करूं या यहां पर उस पर विचार करूं ? इस पर आप की क्या राय है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

प्रिविलेज का जो प्रश्न है, यह हमारा इंडिपेंडेन्ट जूरिस्डिक्शन है, राज्य सभा का अपना अलग क्षेत्र है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका और सदन का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ७९ की तरफ दिलाऊं :

"यदि दूसरे सदन या भारत में किसी अन्य विधान मंडल के सदस्य, अधिकारी या सेवक इस सदन के अवमान या अभिकथित विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले म अन्तर्गस्त हों तो अध्यक्ष उस विषय को उस सदन के अधिष्ठाता अधिकारी को निर्दिष्ट कर देंगे, परन्तु यदि प्रश्न उठाने वाले सदस्य को सुनने के उपरान्त अथवा जहां शिकायत किसी लेख्य पर आधारित हो वहां लेख्य का अवलोकन करने के उपरान्त अध्यक्ष को यह समाधान हो जाय कि विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई है अथवा मामला इतना तुच्छ है कि उस पर ध्यान देना उचित नहीं है तो उस दशा में वे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को अग्राह्य कर सकेंगे .....

इसी में मैं चल रहा हूं । दूसरे हिस्से में आता है तो फिर मैं यही अग्राह्य घोषित कर सकता हूं । और अगर इससे निकल पाता है तो फिर मैं इस को निर्दिष्ट करूं राज्य सभा को ।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह प्रश्न हमारे सामने नहीं था । हम इस पर विचार दे सकते हैं यदि आप समय दें । होता क्या है राज्य सभा में काउन्सिल में । एक सदस्य कोई ऐसी बात करे जिससे हमारा अपमान होता है तो यहां पर निर्दिष्ट कर दिया जाता है । लेकिन यह कार्य हमारी सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे खयाल से अभी ज्यादा लम्बे विवाद की आवश्यकता नहीं है । मैं पहले तो प्रतीक्षा इस बात की करूंगा कि आप मुझे सूचना दें कि माननीय राजनारायण सिंह को यह सूचना पहुंच गयी है । तब तक मैं जानना चाहता हूं जिस से मैं इन प्रश्नों पर विचार कर सकूं ।

*उद्योग मंत्री (श्री प्रभु नारायण सिंह)—

माननीय कृष्णानन्द राय ने एक बात यह कही कि माननीय राजनारायण सिंह ने हम को भी अपशब्द कहे । इस बात को बहुत ही गलत तरीके से प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है और यहां पर जो बात माननीय कृष्णानन्द राय ने कही है, वह गलत और असत्य कही है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति देता हूं । स्पष्टीकरण में आपको अधिकार है कि जो बात आप ठीक समझते हैं वह कह सकते हैं ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

मान्यवर, जिस समय यह घटना प्रारम्भ हुई उस समय मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जब मैंने हल्ला सुना तो हमने भी पहुंचने की कोशिश की और स्थिति यह थी कि इधर से भी १०० ५० लोग थे और उधर से भी १००–५० लोग थे और उनक बीच में मैं खड़ा हुआ था । ऐसी स्थिति में एक तरफा बात कहना उचित नहीं है । प्रारम्भ की जो घटना है और मौके पर जो पहले घटना घटी थी उसमें श्री गौरी शंकर राय जी ने माननीय राज नारायण के खिलाफ चप्पल उठाई मारने के लिये, उस घटना का जिक्र कृष्णानन्द राय जी ने नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

यह आपके सामने की बात थी ?

श्री प्रभु नारायण सिंह—

यह घटना मेरे सामने की नहीं थी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय बनारसीदास जी ने मुझे फोन किया था और यह कहा था कि उनको ऐसा मालूम हुआ है कि मेरे खिलाफ भी माननीय राजनारायण जी ने अपशब्द कहे तो मैंने कहा कि मैंने तो आप दोनों को ही तैयारी की हालत में देखा । ऐसी स्थिति में मेरी कोशिश यही थी कि आपका झगड़ा न होने पाये । जहां तक मुझे अपशब्द कहने की बात है, मुझे उन्होंने कोई भी अपशब्द नहीं कहे, बल्कि कुछ मेरी बात उन्होंने मानी और मैंने यह समझा था कि बीच-बचाव करने से कोई रास्ता निकल आयेगा । इसलिये मैंने यह कार्यवाही की थी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रभुनारायण सिंह जी से सम्बन्धित इतनी ही बात थी जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने आखिर में किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी घटना की बात नहीं बतलाना चाहता । माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो बात कही क्योंकि मैं वहां ही उपस्थित था, इसलिये मैं एक वैधानिक बात बतलाना चाहता हूं जिससे आपको सहायता मिल सकेगी कि यह विषय विशेषाधिकार में आता है या नहीं आता है ।

मेरा निवेदन है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न हो ही नहीं सकता । माननीय राज नारायण जी ने जबानी ही नहीं लिखित जो दिया है, गुरुसरन लाल जी, रिटर्निंग आफिसर को उसको मैं पढ़े देता हूं--

श्री अध्यक्ष--

उसे मैं नहीं चाहता जो लिख कर दिया है ।

श्री उग्रसेन--

उन्होंने यह लिख कर दिया कि जो बाक्स रखे थे वह फटे हुये थे ।

श्री अध्यक्ष--

जो लिख कर दिया है, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री चन्द्रदेव (जिला देवरिया)--

व्यवस्था का प्रश्न है । आप बार-बार मना कर रहे हैं लेकिन उग्रसेन जी बोलते जा रहे हैं यह कोई जायज बात है ?

श्री अध्यक्ष--

आपकी बात ठीक है । उग्रसेन जी उसे नहीं पढ़ रहे हैं ।

श्री उग्रसेन--

माननीय राज नारायण जी ने लिखित दिया है कि बैलेट बक्स टूटा हुआ था । फिर गौरी शंकर राय ने मेरे सामने यह कहा राजनारायण से कि तुम बात करोगे तो मैं नीचे उठा कर फेंक दूंगा । (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष--

सब लोग शान्त रहें ।

मेरी कठिनाई ऐसी होती है कि जब कोई माननीय सदस्य खड़े होते हैं तो मुझे भरोसा करना पड़ता है कि जो बात मैंने कही, उसकी परिधि के अन्दर वह कहने जा रहे हैं । मैं पहले से यह नहीं सोच सकता, चूंकि ज्योतिष तो हम लोग जानते नहीं अतः बीच में रोकना बड़ा कठिन हो जाता है । अगर माननीय उग्रसेन जी बैठ गये, मैं बड़ा आभारी हूं । मैं समझता हूं मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं दी कि इस समय घटना के ऊपर कोई विवेचना हो । मैंने कृष्णानन्द जी को केवल प्रारम्भ में जो प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उठे उन पर प्रकाश डालने को कहा था, घटना का विवरण देने के लिये नहीं । तो मैं माननीय बहुगुणाजी और माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर कोई माननीय सदस्य कोई वैधानिक सहायता करना चाहें तो मैं उनको विनम्रतापूर्वक अपने कार्यालय में आमंत्रित करूंगा, वह कृपा करके मुझे दे दें । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई माननीय सदस्य सदन में जब मैं इसको ले लूंगा, उस समय कोई बात कहना चाहेंगे तो मैं उसका अवसर दूंगा ।

श्री उग्रसेन—

मेरा कहना केवल इतना ही था कि उन्होंने एतराज किया, उस पर वाद विवाद हुआ। मैं यह पूछना चाहता कि क्या एतराज करना सदन का अवमान है। (शोरगुल)

(माननीय नेकराम शर्मा का नाम पुकारे जाने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष—

मैं बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना करूंगा कि सब से गलत बात तो यह है कि जब इस आसन से कोई व्यक्ति बोल रहा होवे, उस समय केवल अपनी गरिमा की रक्षा के लिये आप कृपा करके न बोलें। माननीय नेकराम शर्मा को मैंने बुलाया और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई कानूनी बात जो मैंने कही है उस पर कुछ कहना हो तो कहें, घटना के ऊपर एक शब्द भी न कहें।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं घटना के ऊपर कुछ नहीं कहूंगा, केवल दो एक बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। "मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" के पेज १९४ पर यह है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को मोलेस्ट किया, उनकी ड्यूटी करने में आब्सट्रक्ट किया, क्या उन्होंने कोई शिकायत लिखकर दी है ?

श्री अध्यक्ष—

जरा पढ़ दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा—

The Speaker acquainted the House that he had received a report from the Sergeant-at-Arms relating to the conduct of certain members. The report stated that the messengers of the House had been forcibly obstructed in the execution of their duty.

एक तो क्या सार्जेण्ट ने आपको सूचना दी कि जो कार्य होना था उसमें आब्सट्रक्शन किया गया, या जो विधान सभा के आफिसर और कर्मचारी थे उन्होंने आपको कुछ सूचना दी। दूसरे माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि कुछ माननीय सदस्यों के साथ बहुत ज्यादती की गयी। तीसरे यह कि जब तक माननीय राजनारायण जी को यह सूचना न मिल जाय, तब तक इस विषय को नहीं ले सकते। हमारे नियम ७९ में भी है कि पहले माननीय सदस्य को यहां सुनेंगे और जब इस निर्णय पर पहुंचें कि अवहेलना हुई है तब आप राज्य सभा में भेज पायेंगे। तो तीन प्रश्न विचारणीय हैं। क्या जो आफिसर्स और कर्मचारी हैं उन्होंने आपसे शिकायत की है ? दूसरे माननीय सदस्य को सुनने के पश्चात आप निर्णय करेंगे कि यह प्राइमा फैसी केस इस्टैब्लिश हुआ या नहीं। तीसरे यह कि कुछ माननीय सदस्यों के लिये भी कहा गया कि उन पर आक्रमण किया गया। तो जिन माननीय सदस्यों के ऊपर आक्रमण हुआ, उनकी व्यवस्था तो आप यहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम शर्मा ने जो बात कही मैं उसको अवश्य ध्यान में रखूंगा। सिर्फ पहली बात के लिये निवेदन कर दूं कि मेरे पास किसी सार्जेन्ट ऐट-आर्म्स ने, जिसके समकक्ष यहां मार्शल है या किसी अधिकारी ने शिकायत नहीं की और जैसा अखबार में भी आया, मैंने रिपोर्ट पढ़ी, वह गलत है। हमारे यहां के मार्शल ने कोई शिकायत नहीं की है। और वह स्वाभाविक है। इसलिये कि मेरे आदेश के मातहत वह वहां काम नहीं कर रहे थे। इसलिये जो शिकायत उनको करनी थी, उस समय उनकी पोजीशन ऐसी थी कि जैसे कि आन डेपुटेशन कोई आदमी होता है। उतने समय के लिए इलेक्शन कमिश्नर और उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के अन्तर्गत वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य कर रहे थे । इसलिये उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी या मुझ से शिकायत नहीं की । इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है बल्कि यह उचित था कि वे उनको ही सूचना देते जिनके अन्तर्गत वे कार्य कर रहे थे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इससे पहले कि माननीय लक्ष्मीरमण जी कानून की बात कहें, आप इतना और बतादें कि वे आन डेपुटेशन आपके द्वारा भेजे गये थे या अपने मन से वे चले गये थे या इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे सीधी खतोकिताबत की । यदि यह अपने मन से गये हैं या आपको नजर में न रखकर सीधी खतोकिताबत हुई है तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय लक्ष्मीरमण जी क्या कानून निकालें, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है । जो कानून वे निकालेंगे उसका उनको अधिकार है और मैं उसको देखूंगा । मैं इतनी ही सूचना देना चाहता हूं और वह यह है कि इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी सरकारी आदमी की सर्विस लोन लेने का अधिकार है । वह मेरी अनुमति से ली गई और अनुमति के बाद मैंने बताया कि रिटर्निंग आफिसर के अधीन वह हो जाता है और उनकी बात उनको माननी है । अब बजाय इसके कि आप मुझ से जानकारी करें, मुझे जितनी जानकारी करनी थी वह मैंने कर ली । अब मैं कल या जब मुझे मालूम हो जायेगा कि माननीय राजनारायण जी के पास सूचना पहुंच गई, उसके बाद जो भी माननीय सदस्य कहना चाहेंगे उनको मैं अवसर दूंगा और सुनूंगा ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

मान्यवर, आपने यह अनुमति माननीय प्रभुनारायण सिंह जी को दी कि वह अपनी बात स्पष्ट कर दें । मुझे शिकायत यह है कि उन्होंने स्पष्टीकरण में ऐसा वाकया पेश कर दिया कि जिसकी पृष्ठभूमि यदि सामने न आये, तब तक वह गलत चीज होगी या तो उन वाकयात पर ध्यान न दिया जाय । लेकिन जैसा कि कहा कि उन्होंने चप्पल दिखाई तो किस ने पहले चप्पल दिखाई और किस ने पहले जूता दिखाया, इसकी कोई बात उन्होंने नहीं रखी । उन्होंने ऐसी चीज रखी जो सही माने में स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । इतनी मुझे शिकायत है ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है, माननीय नवलकिशोर जी, मैंने उस समय यह कहा था कि जिन बातों से आपका संबंध हो उतने ही तक आप सीमित रखें । अगर उन्होंने घटना न कही होती तो अच्छा होता । मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं । इसलिये मेरी स्पष्टीकरण की जो अनुमति थी उसमें यह था कि जो उनके संबंध में बात थी जैसे उनको अपशब्द कहे, इसका उनको अधिकार था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

जहां तक मेरी सीमा थी, वह बात मैंने कही । इसके बाद आपने पूछा कि जो घटना घटी उसकी जानकारी थी तो मैंने कहा कि मुझे यह मालूम हुआ माननीय नवलकिशोर जी ने जो बात कही और जो बात चर्चा में आई तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतसिंह एम० एल० ए० के कमरे में जाकर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । (व्यवधान) मैं किसी को जानकारी के लिये प्रश्न करने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—

मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं । कहा जाता है कि इस तरह की जो चर्चा है उस चर्चा के सिलसिले में कोई सफाई की स्थिति तो होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में जिस तरह से माननीय नवलकिशोर और दूसरे लोग प्रचार कर रहे हैं, वह उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य कृपा करके सुन लें, जो माननीय प्रभु नारायण सिंह ने शिकायत की वही माननीय नवलकिशोर की शिकायत थी कि जो चर्चा का विषय है उसकी सफाई हो । (श्री प्रभु नारायण सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर) मैं आपसे तो अवश्य आशा करता हूं कि आप सहयोग देंगे, मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, जिससे मैं अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर सकूं । मैं कह रहा था कि बाहर क्या चर्चा हुई, प्रेस में क्या चर्चा हुई, उसकी सफाई के लिये मैं अनुमति नहीं दे सकता । यदि सदन में कोई बात हो जो इससे सम्बन्धित हो, तो मैं सफाई का अवसर दे सकता हूं । आपके बारे में कहा गया था, इसलिये आपको अवसर दिया था । अवश्य आपने उससे ज्यादा कह दिया । माननीय नवल किशोर ने उस पर आपत्ति की, और उन्होंने उसका खंडन कर दिया । उन्होंने एक बात कही, उसका खंडन आ गया । न वह बात निश्चित है, न वह बात निश्चित है । सदन समझ सकता है ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । आपने प्रभु नारायण सिंह जी को एक स्पष्टीकरण की इजाजत दी और इस खयाल से इजाजत दी कि परिधि के अन्दर जितनी बात जरूरी है, उतना स्पष्टीकरण करें । उसके अलावा कोई केस बनाना चाहें तो उसके लिये इजाजत नहीं थी । अगर किन्हीं अल्फाज को रोका गया है और जिस देश और प्रदेश में भ्रम फैल सकता है तो क्या यह मुनासिब नहीं है कि वह शब्द निकाल दिये जायं ?

श्री अध्यक्ष—

साधारणतया शब्दों का निकालना अच्छी बात नहीं है, जब तक शब्द असंसदीय न हों । जो बात उन्होंने कहीं उस पर नवल किशोर जी का खंडन आ गया । उसके बाद मेरा आबजरवेशन आ गया । उसके बाद भ्रान्ति फैलने की आशंका नहीं हो सकती ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आपने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेषरूप से माननीय प्रभुनारायण सिंह को अवसर दिया । उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया । जो सूचना आप प्राप्त करना चाहते थे, उसके सुनने के बाद आपने कहा कि यह मेरे लिये सम्भव नहीं है कि इस प्रश्न पर, विशेषाधिकार के प्रश्न पर, चर्चा या विचार किया जाय । सबसे पहला प्रश्न यह है कि माननीय राजनारायण जी को सूचना नहीं है । मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपकी इस पर व्यवस्था हो चुकी है कि मैं इस पर आज विचार नहीं करना चाहता हूं, फिर शाखा में उपशाखा निकलती जा रही है, अनावश्यक विवाद हो रहा है । आप यह जानना चाहते थे कि प्राइमाफैसी यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं; वह जानकारी आपने प्राप्त कर ली । अब विशेष जानकारी देनी हो तो आप के कक्ष में जा कर दे सकते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि फिर एनकेन प्रकारेण इस पर विवाद क्यों चलाया जा रहा है ।]

श्री अध्यक्ष—

मैं आचार्य दीपंकर का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझसे सहानुभूति प्रदर्शित की । शाखा में उपशाखा इसलिये निकलती है कि जब कोई विद्वान पंडित व्यवस्था का नाम ले कर खड़े हो जाते हैं तो मुझे अवसर देना पड़ता है और जब वह कह चुकते हैं तब मुझे मालूम होता है कि वह केवल

अपनी राय प्रदर्शित कर रहे हैं और यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसलिये शाखा में उपशाखा निकल आती है।

श्री नेकराम शर्मा:—

श्रीमन्, मैं संविधान के अनुच्छेद १७७ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में उठाया जाता है तो पूरा सदन हाउस की एक कमेटी बन जाता है। उसमें सदन के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। माननीय प्रभुनारायण सिंह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, लिहाजा वह प्रिविलेज के सम्बन्ध में कोई भाग इस सदन में नहीं ले सकते।

धारा १७७ में बिल्कुल स्पष्ट है कि—

"Every Minister and the Advocate-General for a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legislative Council both Houses, and to speak in and otherwise to take part in the proceedings of, any committee of the Legislature of which he may be named a Member."

जब आप यह अधिकृत करेंगे कि वह उस कमेटी का मेम्बर हो गया है तभी वह भाग ले सकता है, अन्यथा नहीं। यहां पर प्रिविलेज का ईशू हो गया है सदन का या सदन के किसी मेम्बर का। किसी माननीय सदस्य का विशेषाधिकार हो गया तो फिर वह एक कमेटी का प्रश्न हो जाता है उसमें सरकार का कोई प्रश्न नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न उठाया और आपने जो पढ़ा उसमें स्वयं उत्तर दे दिया अपनी आपत्ति का तो वह स्वयं आपकी आपत्ति पर व्यवस्था है। अभी यहां पर विचार कर रहे हैं। वह कमेटी के सामने नहीं है। हाउस में उनको बोलने का अधिकार है। इस हाउस की इस समय प्रोसीडिंग्स चल रही हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

जब आप इस विशेषाधिकार के प्रश्न को हाउस के सामने लाये हैं तो वह हो गया।

श्री अध्यक्ष—

वह कार्य इस विधान सभा के कार्य का अंग था। उसमें उनको अपनी बात कहने का अधिकार है।

श्री जगदीश नारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—

माननीय प्रभु नारायण सिंह जी ने जो बात कही मैं उन दोनों बातों के संबंध में कहना चाहता हूं। मैं वहां की कुल घटना का भुक्तभोगी हूं। माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने कहा कि राजनारायण जी ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने उनको कल अपनी चोट दिखाई तो उन्होंने कहा कि देखिये, मेरे भी खरोंच हो गई है, अगर तुम्हारे हो गई तो क्या हुआ। उस समय वह पीछे भाग रहे थे और उनका हाथ खींच रहे थे।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

जन संघ के सदस्य श्री भुवनेशभूषण जी शर्मा भी वहां रहे।

१९६७–६८ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४१—लेखन-सामग्री और मुद्रण

(उद्योग मंत्री का अगले आइटम के लिये नाम पुकारे जाने पर)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

यह इस समय आगे का आइटम लिया जा रहा है। २१ आइटम पर जो मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य है उनको लेना चाहिये। स्त्रियों के द्वारा जो भूख हड़ताल चल रही है उस पर वक्तव्य आज देने की बात कही गयी थी।

श्री अध्यक्ष—

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैंने माननीय उद्योग मंत्री जी को बुलाया उस समय व्यवस्था के नाम पर जो आपने आपत्ति की वह या तो पहले करनी चाहिये थी अथवा उस संबंध में आप मुझसे कार्यालय में पूछ लेंती अथवा आपको स्वयं उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिये थी कि वह आज के लिये नहीं है। इसके लिये दूसरी तारीख है।

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६०,४१,४०० रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१—लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६०,४१,४०० रुपये से अधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४६—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

*उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,७७,४७,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय; तथा

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६—औद्योगिक और आर्थिक विकास पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन राशि की पूर्ति लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धन राशि के अतिरिक्त ४,७२,२९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इन अनुदानों को सदन के सामने प्रस्तुत करते वक्त मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक इन दोनों अनुदानों का प्रश्न है वह तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ अनुदान नं० ३३ में २,३१,५०० रुपये, अनुदान संख्या ५० में १५,६७,२०० रुपये, अनुदान संख्या ५१ में ५,०८,००० रुपये, अनुदान संख्या ५४ में १,३८,२४,५०० रुपये और जो अनुदान हैं वे उद्योग विभाग के सिलसिले में सदन के सामने प्रस्तुत हैं और होंगे वर्ष १९६७–६८ के लिये। उद्योग विभाग के लिये इस प्रकार जो रकम निर्धारित है वह है १६,५५,२०,००० रुपये की। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, इसका उद्योगीकरण पिछड़ा हुआ है। १९६६–६७ का साल भी एक संकटापन्न साल उद्योगीकरण के सिलसिले में रहा और ऐसी स्थिति में १९६६–६७ में जिस कार्यवाही की जरूरत थी उसके न होने से और मैं मानता हूं कि उसके कुछ कारण थे, उनके न होने की वजह से हमको जितनी प्रगति करनी चाहिये थी इस दिशा में वह हम नहीं कर पाये। श्रीमन्, १९६६–६७ के अन्दर जो योजना थी वह एक तरफ से सुरक्षा, कृषि तथा निर्यात से संबंधित योजना ही बनकर रह गयी थी। वह योजना ऐसी नहीं थी कि जो इस प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसी के साथ साथ श्रीमन्, जहां तक इस प्रदेश का प्रश्न है उत्तर प्रदेश के अन्दर जिस तरीके से यहां का पिछड़ापन है और जिस तरीक से राज्य के और देश के औद्योगिक विकास में अन्तर है, उसके दूर करने के सिलसिले में जिस प्रयास की अपेक्षा है उस प्रयास को ध्यान में रखते हुये सन् १९६६–६७ का वर्ष कोई बहुत अच्छा वर्ष नहीं रहा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, इसके अन्दर जो पिछड़ापन है, उसको देखते हुये हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश एक अर्धविकसित राज्य है। पहली योजना में राज्य ने कोई औद्योगिक प्रगति नहीं की। पिछले साल केवल तीसरे योजना के काल में औद्योगिक विकास की गति कुछ अवश्य दिख पड़ती थी परन्तु इस दिशा में जो प्रगति हुई है वह आर्थिक विकास की दृष्टि से कम ही रही है। उत्तर प्रदेश अधिकतर कृषि और उससे संबंधित कार्य कलापों पर निर्भर है। इसके साथ ही में यह भी बतला दूं कि सन् १९६०–६१ में कृषि से आय सारे देश में जहां ४८ प्रतिशत थी वहां वह आय उ रप्रदेश में ६३ प्रतिशत थी। इससे यह पता लगता है सारे देश में कृषि से जो आय का हिस्सा है, उसमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर और हिस्सों में आगे है। लेकिन जहां तक औद्योगीकरण का प्रश्न है, और औद्योगिक आय का प्रश्न है, पिछले वर्ष दूसरे राज्यों में जहां १९ प्रतिशत आय थी वहां उत्तर प्रदेश में केवल ९ प्रतिशत आय थी। ऐसी स्थिति में इस उत्तर प्रदेश को तीन योजनाओं के बीच में औद्योगीकरण की तरफ जितना बढ़ना था, योजना के मुताबिक उतना नहीं बढ़ा पाये। यही कारण है कि इस योजना काल में जहां इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष २४९ रुपये थी, वह २४३ रुपये पर चली आयी।

इसी सिलसिले में यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जब सारे देश में प्रति व्यक्ति आमदनी साल में ३२२ रु० है वहां उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रति साल वह आमदनी केवल २४३ रु० है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के मुकाबले में जो हमारी गति है वह बहुत ही धीमी है। आज सारे देश की जो योजना उस योजना के तहत में इकोनामी के लिये सेल्फ जनरेटिंग गति का होना आवश्यक है। सारे देश में जो गति है उसके मुकाबले में हमारे उत्तर प्रदेश की गति बहुत ही धीमी है। जहां सारे देश की गति ३.५ है, उनके मुकाबले में हमारी गति धीमी है। ऐसी स्थिति में सेल्फ जनरेटिंग इकोनामी जिससे इकोनामी का ग्रोथ किया जाता है वह ७–८–९ प्रतिशत है। सारे देश का वह साढ़े ३ प्रतिशत है। उसके मुकाबले में हमारे प्रदेश में उससे भी कम है। ऐसी हालत में इस प्रदेश की जो स्थिति है उस स्थिति से इस सदन को पूरी तरह से जानकारी है और सदन को इस बात पर ध्यान देना ही चाहिये। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के साथ केन्द्रीय सरकार का जो व्यवहार हुआ है वह उचित नहीं हुआ है।

जहां तक उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण का प्रश्न है, औद्योगीकरण के सिलसिले में, प्लानिंग के सिलसिले में इस प्रदेश की जो मदद केन्द्र को करनी चाहिये थी, वह केन्द्र ने नहीं की। पहली दो योजनाओं में उन्हों ने एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं लगाया

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

इसके साथ की तीसरी योजना के बीच में उत्तर प्रदेश को पब्लिक ऐक्टर में उद्योग लगाने के लिये १०९ करोड़ रुपया केन्द्र से मिला और चौथी योजना में जिसे कहा जाता है कि आप लोगों के बहुत कहने सुनने पर मिला, वह १०५ करोड़ है। तीसरी योजना में तो वह रुपया १०९ करोड़ था लेकिन चौथी योजना में वह केवल १०५ करोड़ ही मिल पाया।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि जहां एक स्टील कारखाने के लिये एक और फौलाद कारखाने के लिये ३ अरब से लेकर १० अरब रुपये तक लगाने की जरूरत पड़ती है जैसे दुर्गापुर, रूरकेला, भिलाई और बोकारो, ऐसा एक भी प्लांट हमारे उत्तर प्रदेश को केन्द्र ने नहीं दिया। ऐसी स्थिति में ४ योजनाओं के बीच में कुल २२४ करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज के लिए हमारे प्रदेश को मिलता आया है। ऐसी कोई बड़ी योजना जो दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला, बोकारो की मुकाबले की हो हमारे प्रदेश को नहीं मिली। उसी के साथ साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि केन्द्र ने जो सहायता और प्रदेशों को की है उतनी उत्तर प्रदेश को नहीं की है। पहली योजना में फी व्यक्ति १४ रुपया केन्द्र से मिला जब कि अन्य प्रदेशों को २५ रु० मिला। दूसरी में १८ रुपये प्राप्त हुआ जब कि अन्य प्रदेशों को २७ रुपया मिला। तीसरी योजना काल में हमको ४७ रु० प्रति व्यक्ति मिला जब कि अन्य राज्यों में ५६ रुपया मिला। ऐसी स्थिति में आज १५ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय यहां बहुत कम बढ़ी और उसी के साथ साथ जो हमारी आय थी उसके गिरने की हालत आ गयी और उससे हमारे प्रदेश की जो स्थिति है और साधन हैं उनको बढ़ाने का काम हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां पर उद्योगीकरण कम होता है वहां पर कर लगाने का स्रोत भी कम होता है और रेवेन्यू का सोर्स भी कम होता है। तो कर लगाने की प्रदेश में गुंजायश बहुत कम है। इस स्थिति में केन्द्र का यह कहना है कि केवल मैचिंग ग्रांट्स देंगे जितना हम साधन एकत्र करेंगे उतना ही वह देंगे यह रुख किसी तरह से उचित नहीं है। आज उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ और गरीब इलाका है। हिन्दुस्तान के अन्दर ५८ जिले ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं उनमें से केवल २२ तो उत्तर प्रदेश में हैं जिसके अन्दर प्रति व्यक्ति प्रति साल १४६ रुपया आय है। ऐसी स्थिति में केन्द्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिये था कि इस प्रदेश के साथ, जो एग्रीकल्चरल इकोनामी का प्रदेश है जहां पर उद्योग धंधे कायम नहीं हो पाये हैं इकोनामी सेल्स जनरेटिंग नहीं हो पायी है, तो यहां पर ज्यादा सहायता दी जाती है।

मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण राजनीतिक ही है। क्योंकि लगातार तीन बार केन्द्र के अन्दर प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के होते रहे, इसलिये राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिये और दूसरे प्रदेशों को प्रसन्न रखने के लिये उत्तर प्रदेश की इतनी जबरदस्त उपेक्षा की गयी है। माननीय पंत जी के प्रशासनकाल में भी एक भी बड़ी इंडस्ट्री का यहां पब्लिक सेक्टर में न आना कहां तक तर्कसंगत है इसको मैं रखना चाहता हूं। उसका एक ही मतलब समझ में आता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के लोग लगातार प्रधान मंत्री होते रहे और उनको अपनी राज्य सत्ता दिल्ली में बरकरार रखनी थी और दूसरे सूबों को नाखुश नहीं रख सकते थे इसलिये उत्तर प्रदेश की उपेक्षा इस तरह की गयी और आज यहां की इकोनामी अपने टूटे फूटे रूप में खड़ी है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के हों, सबका कर्तव्य है कि केन्द्र पर दबाव और प्रभाव डालें कि उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक सहायता पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज और प्लान एलोकेशन में सेंटर बढ़ावा करे। इस संदर्भ में इस राज्य के पार्लियामेंट के सदस्य जितने हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें यू० पी० सरकार की पूरी-पूरी सहायता करें।

मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सारी योजनाओं की तहत में जितना रुपया प्रति व्यक्ति लगाया जा चुका है वह रुपया उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत ही कम है। प्लान आउट-ले में भी हमको बहुत कम सहायता केन्द्र से प्राप्त हुई। पब्लिक

सक्टर म भी बहुत कम सहायता उत्तर प्रदेश को मिली। पहली योजना में प्लान आऊट-ले के अन्तर्गत केवल ७ प्रतिशत हमको सहायता मिली जब कि अन्य प्रदेशों को इससे कहीं ज्यादा मिली। दूसरी योजना में ९ प्रतिशत मिल। इस तरह से प्रति व्यक्ति परिव्यय जो पहली योजना में हमें प्राप्त हुआ केन्द्र से वह २४ रुपया था जब कि अन्य राज्यों को ४० रुपया प्रति व्यक्ति मिला। दूसरी योजना में हमको ३४ रु० मिला जब कि दूसरे राज्यों को ५२ रुपया मिला। तीसरी योजना में हमको ६८ रुपया मिला जब कि दूसरे राज्यों को ९२ रुपया मिला। इस तरह से आप देखेंगे चाहे पब्लिक सेक्टर का सवाल हो, चाहे प्लान आऊट-ले का सवाल हो, इन दोनों ही में उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदन के माध्यम से केन्द्र की सरकार से और प्लानिंग कमीशन से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी इस नीति में परिवर्तन लाये। मैचिंग ग्रांट संबंधी नीति को छोड़कर वह इस बात को देखे कि जो इलाका बहुत पिछड़े हुये हैं उनको विशेष सुविधायें दी जायं उनको विशेष सहायता मिले और उत्तर प्रदेश उसी कोटि में आता है। अगर उसने इस नीति में परिवर्तन नहीं किया तो बंगाल मद्रास महाराष्ट्र आदि प्रदेशों को ही अधिक सहायता मिलेगी और ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालत दिन प्रति दिन गिरती चली जायगी। लास्की की थ्योरी है "थ्योरी आफ कम्बाइन्ड डेवलपमेंट" इसके अनुसार जब तक कार्य नहीं होगा उत्तर प्रदेश की हालत गिरती चली जायगी। जो पिछड़े हुये इलाके हैं वे और पिछड़ते चले जायेंगे जो आगे बढ़ रहे हैं वे आगे बढ़ते जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप, मंत्री जी, कितना समय लेंगे? वैसे मैं आपको रोक नहीं रहा हूं।]

श्री प्रभुनारायण सिंह—

करीब एक घंटा।

श्री अध्यक्ष—

आप समय का ध्यान रखें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, वैसे अच्छा हो यदि आप कम समय लें। दोबारा फिर आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आप कोशिश करें कम समय लेने की। आधा घंटा लें तो अच्छा हो।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

तो, श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। यह सही है कि तृतीय योजना में कुछ उद्योग मिले जिसे एन्टी बायोटिक्स फैक्टरी, हरद्वार, तथा हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना है, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव का कारखाना है, गोरखपुर में फर्टीलाइजर कारखाने का निर्माण कार्य भी चल रहा है, किन्तु फिर भी जितना हमको मिलना चाहिये था वह केन्द्र से नहीं मिला। मान्यवर चौथी योजना में ७ कारखाने हमको मिले हैं और ८वें के लिये आश्वासन मिला है। यह हैं हैवी पम्स एन्ड कम्प्रेसर्स, नैनी, इलाहाबाद; त्रिवेणी हैवी स्ट्रक्चरल, नैनी, इलाहाबाद; एक्सीलरेटेड ड्राई फ्रीज मीट प्लान्ट, आगरा; फाउन्ड्री फोर्ज फैक्टरी, हरद्वार; ट्रैक्टर पैकिंग प्लान्ट, वाराणसी; मैकेनाइज्ड फुट वेयर कम्पनी, कानपुर; मैकेनाईज्ड बैकरी प्लान्ट कानपुर। मान्यवर, आठवीं फैक्ट्री मशीन टूल्स को देने का वायदा केन्द्र सरकार का है। इसे अभी तक दे देना चाहिये था, लेकिन अभी तक आठवीं फैक्टरी को नहीं दिया है। इस संबंध में उनका कहना यह है कि योजना के अन्त में उसको उत्तर प्रदेश को देने की बात होगी और इस संबंध में हमारी सरकार बहुत जागरूक है कि मशीन टूल्स की फैक्ट्री आये। इसके अतिरिक्त दो परियोजनायें रेलवे स्टील कास्टिंग और वैगन वर्कशाप की नैनी में स्थापना किये जाने की संभावना है। नैनी, गोरखपुर, हरद्वार, वाराणसी और मिर्जापुर में उद्योगों के नये केन्द्र खुल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सहायक उद्योगों की स्थापना की संभावना हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री चुर्क से उत्पादन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास में

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त इनके माध्यम से राज्य के साधनों में वृद्धि हुई है। वर्ष १९६३–६४, १९६४–६५ और १९६५–६६ में पूंजी पर दिये जाने वाले सूद निकालने से पहिले इस फैक्ट्री ने क्रमशः ७८, ५४, ०६३ रु०, ८१,५३,०२४ रुपये और १,०५,१४,९४४ रु० का लाभ अर्जित किया है। इस फैक्ट्री के पास ही सन् १९६१ में स्थापित किये गये पायलट रिफ्रेक्टरी प्लान्ट फैक्ट्री को ईंटों की आवश्यकता को पूरी कर रहा है। इसमें कुछ दिक्कतें थीं।

(इस समय १ बजकर १९ मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, पीठासीन हुईं।)

माननीय अधिष्ठाता महोदया, लेकिन मैनेजमेन्ट काउन्सिल ने अब निर्णय कर लिया है कि जिस तरह से प्लान्ट चल रहा है उसी तरह से चलेगा। चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के साथ-साथ, महोदया, जहां तक श्रमिकों का सवाल है, हमने यह मान लिया है कि जो उद्योग है उनमें श्रमिकों की हालत ठीक तरह से सुधारी जानी चाहिये। इसलिये श्रमिकों के लिये ग्रेच्युटी स्कीम लागू करने के बजाय संबंध में मैनेजमेन्ट ने निर्णय दिया है। हमारी यह भी कोशिश है कि हमारी विरोध पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य जिनका केन्द्र की सरकार और दूसरे लोगों ने ज्वाइन्ट मनेजमेन्ट काउन्सिल का ढिंढोरा पीटा था और जिसको आज तक लागू नहीं किया गया, हम उसे ज्वाइन्ट काउन्सिल को लागू करना चाहते हैं। उस रेप्रेजेन्टेटिव यूनियन के मसले को तय करने के बाद ज्वाइन्ट मैनेजमेन्ट काउन्सिल की प्रथाओं को चुर्क से शुरू करना चाहते हैं। जिन लोगों ने वायदा किया, ऐलान किया, उनकी तरफ से कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई। मिर्जापुर जिले में कोटा कजराहट बिल्ली क्षेत्र में चूने के बृहत भण्डारों को काम में लाने के उद्देश्य से सरकार ने डल्ला में सीमेन्ट की एक नई फैक्टरी स्थापित करने का निर्णय लिया था जिसकी वार्षिक निर्धारित क्षमता ४ लाख मीट्रिक टन होगी। इस प्रायोजना की प्रारम्भिक पूंजी लागत लगभग ९ करोड़ रुपया थी। इमारती सामान, साज–सज्जा आदि के मूल्य में वृद्धि और रुपये का अवमूल्यन हो जाने के कारण इस लागत के बढ़ जाने की संभावना है। इस फैक्ट्री के लिये जो मशीन आदि फ्रान्स से आयात की जा रही है वह कलकत्ता बन्दरगाह में पहुंचने लगी है। क्रशिंग प्लान्ट तथा रोपवे के लिये ठेके दिये गये हैं। उसके भवन निर्माण का कार्य भी भारत सरकार के संस्थान मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट कान्स्ट्रक्शन कारपोरेशन, नई दिल्ली, को दिया गया था। कार्य पूरी तेजी से हो रहा है और यह आशा की जाती है कि अगर केन्द्रीय सरकार ने विदेशी मुद्रा देने में देर न की तो यह प्लान्ट १९६८–६९ के अन्त तक चालू हो जायेगा। मैंने खुद भी जाकर देखा है। डल्ला में कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। राजकीय लघु यंत्र फैक्ट्री, लखनऊ, इस समय तीन आकार की पानी वाली घड़ियां (वाटर मीटर्स), माईक्रोस्कोप्स स्कालर तथा दो आकार के रिसर्च टाईप और प्रेशर गेजों बना रहा है। इस फैक्ट्री में सन् ६५–६६ को छोड़कर अच्छा लाभ हुआ है जहां तक इस फैक्ट्री के इस समय के कार्य का सवाल है, सरकार को उससे सन्तुष्टि नहीं है। इस समय यहां काम ठीक रूप से नहीं चल रहा है। सरकार उसे सुधारने का प्रयास कर रही है और मुझे आशा है कि उसे हम कर लेंगे। इस फैक्ट्री के बाटल-नेक को हम दूर कर रहे हैं। वहां के औद्योगिक संबंधों के बारे में 'उसके प्रशासन में, और कैसी व्यवस्था की जाय कि अच्छा लाभ हो सके, इन सबके बारे में सरकार विचार कर रही है और जल्दी हम उसे करना चाहते हैं।

विभूती ग्लास फैक्ट्री, रामनगर, वाराणसी, का प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में लिया है और वह ठीक से काम कर रही है। सन् ६१–६२ में ५२,९६० रुपये, सन् ६४–६५ में ३ लाख १ हजार ४६४ रुपये और सन् ६५–६६ में ३,२३,४४० रुपये का लाभ है। सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों का लाभ निजी कारखानों के लाभ से कम नहीं होना चाहिये। जिनका समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण में विश्वास है उनके लिये यह आवश्यक है कि वे इस बात को देखें कि सार्वजनिक

क्षेत्र में कार्य करने वाली फैक्ट्रियों का प्रशासन और कार्य ऐसा होना चाहिये जिससे वे निजी क्षेत्र के कारखानों से अच्छा कार्य कर सकें। पूंजी के साथ मैन-पावर, मैन-मैटीरियल, के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं सरकार की इस नीति की घोषणा करना चाहता हूं कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे, जो श्रमिक सार्वजनिक फैक्ट्री में अच्छा कार्य करेंगे, उनको पारितोषिक और सार्वजनिक सम्मान दिया जायगा। अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में ह्यूमन मैटीरियल के प्रति जो आदर भाव होना चाहिये था, उसकी कमी थी और मैं यह आकांक्षा करता हूं कि नयी सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए चुर्क सीमेंट फैक्ट्री प्रीसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री और जितने भी कारखाने सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, वहां के अधिकारी इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति, व्यवहार और उद्योग सम्बन्धों को निर्धारित करेंगे।

हमारा प्रयास है कि निजी क्षेत्र में अधिकाधिक कारखाने खुलें। निजी क्षेत्र में मोदी इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज, गाजियाबाद क्षेत्र में, खाद का एक विशाल कारखाना अमरीकन कम्पनी रोहेन ऐण्ड हास के सहयोग से स्थापित कर रहे हैं। उसके लिये उन्होंने भारत सरकार से इरादा-पत्र, लेटर आफ इंटेंट, प्राप्त कर लिया है। इसमें ३ लाख ४० हजार टन यूरिया और २ लाख टन अमोनिया बनेगा और उसकी लागत लगभग ३८ करोड़ रुपया होगी। इसके अलावा मोदीनगर में रेयन का एक बड़ा कारखाना लगाया जा रहा है। कानपुर में एक दूसरा खाद का कारखाना इंडियन एक्सप्लोटिव्स जो कि आई० सी० आई० की शाखा उसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसकी उत्पादन क्षमता ४ लाख ५० हजार टन यूरिया की होगी। भारत सरकार ने इसे स्वीकृत दे दी है। इसकी अनुमानित लागत लगभग ६२ करोड़ रुपये होगी। इसमें नवीनतम आधुनिक यंत्र और सज्ज लगाये जायेंगे। आशा है कि यह सन् ६९ तक चालू हो जायगा और इसके स्थापित होने से लगभग २० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

केशोराम इंडस्ट्रीज ऐण्ड काटन मिल्स लिमि०, कलकत्ता, हमारे प्रदेश में एक रेयन बनाने का प्लान्ट स्थापित करना चाहते हैं। इसकी लागत लगभग २८ करोड़ रुपया होगी। इसकी स्थापना होने पर लगभग २००० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। हिन्दुस्तान एलुमिनियम कारपोरेशन की क्षमता ६०,००० टन प्रति वर्ष से बढ़ा कर १,२०,००० टन प्रति वर्ष करने का प्रयास है। इसके लिये भारत सरकार ने लाइसेंस की स्वीकृति दे दी है। इससे मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास में सहायता हो रही है। गोदावरी शुगर मिल्स' बम्बई, ५,००० टन प्रति वर्ष एलकोहल बनाने का कारखाना बाराबंकी में स्थापित कर रही है। भारत सरकार के लाइसेंस प्राप्त हो गया है। इसकी अनुमानित लागत ५ करोड़ रुपये होगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम ने २४ औद्योगिक केन्द्रों के लिये ४१५.७८ लाख रुपये के शेयर्स को अन्डर-राइट किया है, इनमें से १६ के शेयर मार्केट में बिक्री के लिये जा चुके हैं। विकसित उद्योगों के रूप में दी जाने वाली सुविधाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है। गाजियाबाद, बरेली, हरिद्वार, कानपुर और गोरखपुर में निगम ने ३२३० एकड़ भूमि में से ६६५ एकड़ भूमि उद्योगों के लिये दी है। इस समय जो कार्य हो रहा है उसकी गति को हम तेज करना चाहते हैं। अल्मोड़ा में मैंगनीसाइड के छिपे भंडारों को काम में लाने के लिये प्रयास हो रहा है। इस समय सारे देश में यह केवल मदरास में उपलब्ध है। अगर हम अल्मोड़ा के इस भंडार को निकाल सकें तो औद्योगिक विकास में एक कदम और आगे बढ़ सकेंगे।

उत्तर प्रदेश वित्त निगम की अधिकृत पूंजी ३ करोड़ रुपया है जिसमें से १ करोड़ ४५ लाख लगाया जा चुका है। इस वर्ष ५० लाख रुपये की धनराशि इसमें और लगाई जा रही है। यह अपनी पूंजी से १ लाख से २० से लाख रुपये तक का कर्जा नये उद्योगों के लिये देता है। २६ मई, ६७ तक इसने लगभग ७.७४ करोड़ रुपये का ऋण स्वीकार किया है। यह ऋण अपनी निजी पूंजी से देना स्वीकार किया है।

[श्री प्रभुनारायणसिंह]

खनिज पदार्थों में हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा प्रयास है कि भू-गर्भ से जहां-जहां भी खनिज पदार्थ मिल सकते हैं उनकी खोज की जाय। देहरादून क्षेत्र में खनिज-निदेशालय का कार्य शोध का हो रहा है और वहां लगभग ४४० टन चूना और कंकड़ के छिपे भंडारों का पता लगाने में सफलता मिली है। वहां एक सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। लोहा, आयरन फार्मेशन के स्थानों की भी तलाश हो रही है। कुछ स्थान स्पाट--आउट हो गये हैं। भूगर्भ सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए विभिन्न विभागों और संगठनों के कार्यक्रमों में समन्वय लाने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिये एक राजकीय भूगर्भ सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने का बोर्ड (स्टेट जियोलोजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड) स्थापित किया गया है।

अब मैं शक्कर मिलों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। वर्ष १९६६-६७ शक्कर मिलों के लिये बहुत कठिन रहा है। सन् १९६५-६६ में लगभग २५.४७ लाख एकड़ से घट कर गन्ने का क्षेत्रफल मिल एरिया में १९६६-६७ में २०.४१ लाख एकड़ हो गया जिसमें लगभग ४०३ लाख टन की जगह पर लगभग ३०० लाख टन की उपज हुई और १४५ लाख टन की जगह पर केवल ७४ लाख टन गन्ना पेरा गया। गन्ने का क्षेत्रफल कम हो जाने की वजह से शक्कर का उत्पादन १३.७० लाख टन से कम होकर लगभग ७.११ लाख टन इस वर्ष उत्पादन रह गया है।

माननीय झारखंडे राय जी से चीनी के मामले में बहुत-सी बातें कही जाती हैं। जहां तक गन्ने के उत्पादन और गन्ना मिलों को मिलने का सवाल है उसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही जो होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। जैसे ही मैंने इस विभाग का चार्ज लिया मैंने यह महसूस किया कि खाद्यान्नों के दाम बहुत बढ़ गये हैं किसानों के गन्ने का दाम भी बढ़ना चाहिये। हमने तत्काल ही मांग की कि किसानों को गन्ने का दाम साढ़े तीन रुपया मन और कम से कम सवा तीन रुपया मन मिलना ही चाहिये। इस समय वह २·१२ रुपया मिल रहा है। इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शुगर इंडस्ट्री का एक्सप्लाइटेशन विरोधी पक्ष में बैठनेवालों की पार्टी ने बहुत किया, लेकिन चीनी उद्योग के लिये और उसमें लगे किसानों के लिये कोई कार्यवाही उनकी तरफ से नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि आज शुगर मिलों में क्राइसिस है और उसका असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है तथा १ लाख मजदूर जो शुगर मिल से संबंधित हैं, उन पर भी पड़ रहा है। इसलिये हमने देखा कि बिना शुगर के दाम बढ़ाये आज किसी भी तरह से किसानों को गन्ना उपजाने के लिये प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता और न मिलों को गन्ना पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगा। इसके लिये हमने इस बात की मांग की कि गन्ने का दाम साढ़े तीन रुपया मन, या कम से कम सवा तीन रुपया मन हो।

एक सदस्य--

साढ़े तीन क्या आपने ज्यादा से ज्यादा रखा था ?

श्री प्रभु नारायण सिंह--

आप अभी तक २.१२ रुपया किस हिसाब से दिलवा रहे थे? हमने तो साढ़े तीन रुपया मन की सिफारिश की। जब मैं दिल्ली गया तो इस संबंध में माननीय खाद्य मंत्री और राज्य खाद्य मंत्री से मिला और मैंने उनसे गन्ने का दाम जल्द से जल्द घोषित करने की प्रार्थना की। बिना गन्ने का दाम उचित घोषित हुए किसानों को गन्ना बोने के लिये कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती। जहां तक शुगर इन्डस्ट्री का सवाल है आज उसके सामने परेशानी की स्थिति है। इस साल जो आंकड़े अभी तक उपलब्ध हुये हैं, उनके अनुसार स्थिति यह मालूम होती है कि पिछले साल जब कि गन्ना २० लाख एकड़ में जमीन में बोया गया था, इस वर्ष १६ लाख एकड़ में ही बोया गया है। अभी तक का हमारा अनुमान यह है कि ऐसी स्थिति में गन्ने के दाम की घोषणा केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये, इसमें उसको देर नहीं करना चाहिये। किसान जो गन्ना

उत्पन्न करते हैं गन्ने के उचित दामों की घोषणा हो जाय तो वे गन्ने की देख रेख अच्छी प्रकार से करेंगे और उसक उपज को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और जब किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे तब शुगर मिलों को भी गन्ना मिल पायेगा ।

इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चीनी की रिवाइज्ड प्राइस भी घोषित होती है जब चीनी मिलें चलना बन्द हो जाती हैं। जितने सीजन मिलें चली होती है उतने सीजन की बहुत सी बातों को देख कर यह तय किया जाता हैं कि चीनी का पुनरीक्षित दाम क्या हो ? पिछले साल अक्तूबर में चीनी की रिवाइज प्राइस घोषित की गयी थी । इस बार उद्योग विभाग लेने के के बाद मैंने प्रयास किया कि जो चीनी की रिवाइज्ड प्राइस घोषित होने को है, वह शीघ्र हो और जो घोषणा हो गई, प्रयास से घोषणा तो हो गई, कुछ माने में लाभप्रद है और कुछ माने में बहुत ही हानिप्रद है, यह सही है कि नई सरकार के आग्रह पर केन्द्रीय सरकार ने चीनी के पुनरीक्षित दामों की घोषणा की, लेकिन जो घोषणा हुई और, यह सही है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जल्दी हुई, लेकिन जो घोषणा हुई है वह घोषणा वाजिब नहीं है और खास तौर से जब कि प्रदेश की इंडस्ट्री को जो दाम दिये गये पश्चिम और पूर्व में तो पश्चिम में कुछ दाम दिये गये लकिन मैं उसको उचित नहीं मानता हूं, लकिन जो पूर्व में दाम देना था उसमें ३ पैसे की कमी कर दी गई और बिहार के सदर्न रीजन से मैं समझता हूं जो बढ़ोत्तरी हुई है वह बढ़ोत्तरी उत्तर प्रदेश के मुकाबले में बहुत ज्यादा हुई है करीब करीब २ रु० पर क्विंटल बिहार के सदर्न रीजन में पुनरीक्षित दाम की घोषणा हुई है, जब कि पश्चिम जिलों में १४,८ और ५ रु० कुछ पैसे की घोषणा हुई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन नये पैसे कम कर दिया गया। नतीजा यह होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की ३० मिलें इससे प्रभावित होंगी और ७, तो बन्द होने की हालत में हैं। जो ३० हजार मजदूर लगे हुये हैं वे प्रभावित होंगे, क्रशिंग सीजन कम होगा। एसी स्थिति में जो पुनरीक्षित किये गये दाम चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश के साथ केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सिलसिले में वे उस दाम को पुनः रिवाइज करने की बात सोचे, वरना वैसे ही गन्ने की कमी से ७२ मिलें प्रभावित हैं। लेकिन इस दाम के पनरीक्षण के बाद वह प्रभाव और बढ़ जायगा जिससे कई मिलें बन्द हो जायेंगी और अनएम्प्लायमेंट की समस्या खड़ी हो जायगी। इसलिये केन्द्रीय सरकार इस पर पुन विचार करे और उत्तर प्रदेश की शुगर इंडस्ट्री के साथ न्याय करे।

सेन कमीशन के मुताबिक जो एडहाक बेस्यू की तरह केन्द्रीय सरकार कार्य करती है पैच वर्क करती है वह न करके कुछ लम्बी योजना बनाये। कुछ लम्बी योजना बनाने पर रीनवेशन, मौडर्नाइजेशन, रीहैबिलिटेशन की बात शुरू हो सकती है और केन्द्र की जिम्मेदारी भी है। शुगर इंडस्ट्री के अन्दर जो कांस्टीट्यूशन है उसके मुताबिक जो उन्होंने इंडस्ट्रीज डवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन ऐक्ट बनाया है उसके मुताबिक आज केन्द्र रेगुलेट करता है चीनी मिलों को। ऐसी हालत म केन्द्र को इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिये। और मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से टेक्सटाइल कारपोरेशन बनाने की बात है उसी तरह से शुगर कारपोरेशन बनाने की बात भी होनी चाहिये और जो सिक मिल्स है उनको शुगर कारपोरेशन को चलाने का फैसला करना चाहिये। केन्द्र को इस बार में निर्णय लेना चाहिये। जैसे टेक्सटाइल्स के बारे में केन्द्रीय सरकार कर रही है उसी तरह से शुगर कारपोरेशन बने और जो मिलें सिक हैं या जहां पर मिसमैनेजमेंट है उन मिल्स को लेकर पूरे तरीके से सरकार चलाये। इस तरह का कारपोरेशन केन्द्र द्वारा बनाया जाना चाहिये जिस तरह से टेक्सटाइल में कारपरेशन बन रहा है। केन्द्र को सहकारी चीनी मिलों के लिये जो लाइसेंस देना है उसमें केन्द्रीय सरकार की तरफ से देरी हो रही है और कायमगंज हरदुआगंज तथा रसरा सहकारी मिलों को लाइसेंस में जो देर हो रही है, इनक केन्द्र को लाइसेंस जल्दी देना चाहिये और मैं समझता हूं कि अगर लाइसेंस मिल जाय तो काम बहुत ही आगे बढ़ सकता है। मैं जानता हूं कि सूती मिलों की स्थिति विदेशी रुई की कमी की वजह से दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है और वे काम नहीं चला

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

पा रही हैं। केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह उत्तर प्रदेश की मिलों को विदेशी रूई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये। अहमदाबाद और बम्बई की मिलों को विदेशी रूई दे दी जाती है और उत्तर प्रदेश की मिलों के साथ न्याय नहीं दिया जाता है जिससे यहां अच्छा कपड़ा नहीं बन पाता है और विदेशी रुई कम मिलने के कारण उनको अच्छा कपड़ा बनाने की प्रेरणा नहीं मिल पाती है। मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं इस बात का स्वागत करता हूं जो टेक्सटाइल कारपोरेशन बनाने की बात है, जो सिक मिलें है अथवा मिसमेजेनेज्ड मिलें है उनको गवर्नमेंट द्वारा अपने हाथ में लेने का इरादा है। यह फैसला वाजिब फैसला है और उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं इस संदर्भ में यह बात बतलाना चाहता हूं कि जो सिक तथा मिसमैनेज्ड मिलें हैं कानपुर की जब लेबर की ग्रान्ट आयेगी, तब उस समय तफसील के साथ रोशनी डालूंगा। जो मिलें बन्द पड़ी हुई हैं, उनको इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड एमलगमेशन ऐक्ट के मातहत ले लेना चाहिये और कारपोरेशन के बनने तक का इन्तजार नहीं करना चाहिये।

इसके साथ ही जहां तक लघु उद्योग का सवाल है, उसकी प्रगति कीबात चल रही है। १९६४-६५ में जहां उनकी संख्या १०,०३९ थी आज लगभग १४,००० के ऊपर है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम नियंत्रित कच्चा माल और क्रय विक्रय पर मशीनें आदि सप्लाई करके राज्य के लघु उद्योगों की सहायता करता है। १९६५-६६ में निगम ने १९७.५६ लाख रुपये मूल का कच्चा माल सप्लाई किया और ७१ लाघु उद्योग इकाइयों को क्रय विक्रय आधार पर १३.५३ लाख रुपये मूल्य की मशीनें आदि स्वीकृति कीं। इस विभा के लोगों ने काफी कार्य किया है लेकिन जितना संतोष इससे मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है। इसमें अब अधिक देख रेख की जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि जो त्रुटियां अभी तक रही है, वे आगे न रहें।

जहां तक प्रदेश के निर्यात निगम का सवाल है यह पहले से स्थापित है। इसका उद्देश्य निर्यात कर्त्ताओं की अल्पकालीन ऋणों के रूप में सहायता देना, व्यवसायिक ज्ञान तथा विदेशी बाजारों के विषय में सूचना उपलब्ध कराकर वर्तमान निर्यात व्यापार में वृद्धि करना है। इस काम को और बढ़ाने की आवश्यकता है। निर्यात का काम बहुत जरूरी है और उसका ध्यान सरकार को पूरी तरह से है।

जहां तक डिफेन्स के माल का सवाल है? १ जनवरी सन् ६७ को डी० जी० एस० डी० वगैरह से १० करोड़ के आर्डर हमने प्राप्त किये और डिफेन्स के माल को सप्लाई करने में यह प्र श आगे रहा है। औद्योगिक विकास के लिये कच्चे म ल की आवश्यकता है। सन ६५-६६ में जहां प्रदेशीय सरकार केवल ५० लाख रुपये का कच्चा माल प्राप्त कर सकी थी वहां अब इस सरकार ने ४ करोड़ रुपये का कच्चा माल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये इम्पोर्ट लाइसेन्सेज के जरिये से प्राप्त किया है। इसके लिये मैं उनकी सराहना करता हूं। दो करोड़ का और वह प्रयास कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं, कि इसमें उनको सफलता मिलेगी।

जहां तक लोहे का डिकंट्रोल हुआ है उसके कारण स्टाकिस्ट्स ने, जिन्होंने लोहा और इस्पात का माल पहले से मंगा रखा था, डिकंट्रोल के बाद परमिट से देने से इन्कार कर दिया। इस मामले में भारत सरकार को लिखा गया है। हम केन्द्रीय सरकार पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि डिकंट्रोल के बाद उत्तर प्रदेश के अन्दर जो लोहे और इस्पात का सामान है उसके दामों में बढ़ोत्तरी हो गयी है, उसकी रोकथाम के लिये कार्यवाही करनी चाहिये और उसका एक ही उपाय है कि उत्तर प्रदेश की इकाइयों को अधिक से अधिक माल मिले। एक क्राइसिस की स्थिति में उत्तर प्रदेश में है और ७ जून, १९६७ को जब केन्द्रीय लोहा और इस्पात मंत्री कानपुर आये थे तो प्रदेशीय उद्योग निदेशक तथा लोहे और इस्पात का प्रयोग करने वाले, ये सब लोग उनसे मिले थे और उन्होंने कहा कि आपके डिकंट्रोल की वजह से जो महंगाई बढ़ गयी है इस सिलसिल म केन्द्र

की तरफ से कार्यवाही होनी चाहिये और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे और मैं आशा करता हूं कि लघु उद्योग वालों के सामने जो मौजदा परेशानी हो गयी है वह शीघ्र ही दूर हो जायगी ।

श्री अधिष्ठाता—

और आप कितना समय लेंगे ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

दस मिनट में खत्म कर दूंगा । उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को सूखे आदि की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति ज्वाइंट प्लान्ट कमेटी प्राथमिकता के आधार पर करें, इसकी मांग हमारी तरफ से की गयी थी और लौह एवं इस्पात मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे । हमने इस कमेटी को एक मांग पत्र भेज दिया है और उससे अनुरोध किया है कि कठिनाई से मिलने वाली किस्मों का १५०० टन माल उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर को तात्कालिक मांग की पूर्ति करने हेतु भेज दिया जाय । फैब्रीकेटर्स की तथा एस० पी० आई० कोटा वालों को मिलने वाले कोटे की सूचना लौह एवं इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता से शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । विकास आयुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली, विभिन्न राज्यों के लघु उद्योगों का कोटा निधारित करेंगे और हम इसके लिये कठिन प्रयास कर रहे हैं ।

जहां तक उद्योगिक ऋण दिये जाने की बात, मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जो जिला स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर ऋण दिये गये उसमें करीब करीब ५० फी सदी मिसयुटिलाइजेशन हुआ और बहुत सी जगहों पर तो पोलिटिकल आधार पर दे दिया गया । जहां तक इस सरकार का प्रश्न है, उसमें वसूली बहुत तेजी के साथ करायी जा रही है । इस सम्बन्ध में मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी ऋण लेना चाहते हैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार का सवाल है, हम छोटी इकाइयों की पूरी तरह से मदद करना चाहते हैं । लेकिन एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि जो रुपया उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का है, जिस गरीब जनता की आमदनी प्रति व्यक्ति २० रुपये माहवार है उसके रुपये का हम मिसयुटिलाइजेशन नहीं होने देंगे और जहां मिसयुटिलाइजेशन होगा वहां हम रूथलैसली उसे रिकवर करेंगे । इसलिये जो आज ऋण लेना चाहते हैं वे इस बात को समझ कर ऋण लें जिसमें उद्योग लगाने का दृष्टिकोण हो, पुराना दृष्टिकोण न हो कि खैरात बंट रही है और फिर वह माफ हो जायगी ।

वर्ष १९६७–६८ में लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में १,२१,१८,६०० रुपये की व्यवस्था की गयी है । उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के लिये जो व्यवस्था की गयी है, उसमें ५ लाख रुपया उसकी आंशिक पूंजी में लगाने के लिये और १२,५०,००० रुपया हायर परचेज योजना के लिये सम्मिलित है । अपनी हायर परचेज योजना के अन्तर्गत निगम लघु इकाइयों को जहां तक सम्भव हो सकता है देशी मशीनें और भारत में उपलब्ध विदेशी मशीनें हायर परचेज आधार पर सप्लाई करता है । केन्द्र बिन्दु (फोकल प्वाइंट) विकास कार्यक्रम चतुर्थ योजना अवधि में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो जायेगा । इस समय ४ केन्द्र बिन्दु कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और हरद्वार में स्थापित हो चुके हैं । इसके लिये प्रयास हो रहा है कि इनको सक्षम बनाया जाय और इनकी सफलता के आधार पर ऐसे केन्द्र बिन्दु (फोकल प्वाइंट्स) खोले जायं जिससे इंडस्ट्रीज की तरक्की की जा सके ।

हथ करघा का व्यवसाय इस समय ठीक नहीं चल रहा है । इसका मुख्य कारण बुनकरों को सूत न मिलना है । इस कमी को पूरा करने के लिये इटावा में एक सूती मिल खोली गई जो कि सहकारी क्षेत्र में काम कर रही हैं । इस बात का पूरा प्रयत्न किया जायेगा कि इस सूत की मिल को जहां तक भी सम्भव हो प्रोत्साहन दिया जाय जिससे वह बुनकरों की सूत की कमी को पूरा

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

कर सके इस मिल में एक्सटेंशन हो रहा है और नई सरकार इसको पूरी पूरी मदद करेगी और इसकी कमियों को दूर करेगी । एक सूत की मिल बुलन्दशहर में भी स्थापित की जा रही है जिसमें करीब ६० लाख रुपया खर्च हो चुका है । इसमें कुछ बोटिलनैक पैदा हो गया था । नई सरकार कोशिश करेगी कि इस मिल को शीघ्र से शीघ्र चलायी जाय । इसके साथ ही साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि सूत के सिलसिले में नये लोग सूत के उत्पादन के लिये नई मिलें लगाना चाहें, उनको सहायता देने की बात की जावेगी ।

अपने प्रदेश में ६१ औद्योगिक आस्थान (इंडस्ट्रियल स्टेट्स) हैं । जिस तरीके से यह पुराने समय में बनाये गये, उनका अच्छी तरह से लोकेशन नहीं किया गया । इनमें से २०-२५ अच्छा काम कर रहे हैं । बाकी आस्थान ठीक काम नहीं कर रहे हैं और कुछ मामूली काम कर रहे हैं । कुछ ऐसे हैं जहां लोग जा नहीं पायेंगे और कुछ ऐसे हैं जिनके चलने की सम्भावना नहीं है । ऐसी दशा में नई सरकार का इनके संबंध में निर्णय है कि जो चलने की स्थिति में न हों, उनको दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाय या नीलाम कर दिया जाय । इसके अलावा नई सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है । इन इंडस्ट्रियल एस्टेटस में जो रुपया खर्च किया गया है वह जैसा होना चाहिये था नहीं किया गया है । इसके लिये हमें दुख है ।

जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं उनमें १५-१६ आस्थानों में (कामन फैसिलिटीज सेंटर्स) सामान्य सुविधा केन्द्र हैं । उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और कुछ ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं । मशीनों के मरम्मत आदि के सिलसिले में उनको मैं विभाग से दिखा रहा हूं और उनमें जो कमियां हैं, उनको शीघ्र दूर करना चाहता हूं । अगर यह ठीक तरह से काम करने लगेंगे तो जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको तरक्की करने में भी आसानी होगी ।

जहां तक परम्परागत हस्तकला की वस्तुओं का संबंध है, यह प्रदेश आगे रहा है । इन वस्तुओं की ओर विदेशों का भी ध्यान गया है और हस्तकला के निर्यात नक्शे में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है । इसके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्रय-विक्रय की योजना कार्यान्वित की गई है ।

रेशम कीट पालन उद्योग में भी काफी तरक्की हुई है और देहरादून में इसका काम काफी सराहनीय है । जहां तक खादी तथा ग्रामोद्योग का सवाल है समस्त खादी तथा ग्रामोद्योग योजनायें राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई हैं । राज्य सरकार को इन योजनाओं के प्रशासन के लिये सहायक अनुदानों के रूप में उक्त बोर्ड को वित्तीय सहायता देना है ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है औद्योगिक विकास के मामले में केन्द्रीय सरकार का रवैया उचित नहीं है । केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये प्रायोजनाओं की संख्या बहुत कम है । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता भी राज्य की इतनी बड़ी आबादी के अनुरूप नहीं है ।

श्री रामायणराय—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । लिखित भाषण पढ़ने का माननीय मंत्री जी को कहां तक अधिकार है ?

श्री प्रभुनारायण सिंह—

माननीया सभा नेत्री जी आपको जानकारी है और माननीय रामायणराय जी को भी है कि मैं एक्सटेम्पोर ज्यादा हूं । लेकिन इसलिये लिखित चीज पर भरोसा करता हूं कि थोड़ी बहुत चीज सदन के सामने अच्छी तरह से आ सके । जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, इस

संबंध में अपनी जगह पर उत्तर प्रदेश की स्थिति उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में उद्योगीकरण के लिये हमने संकल्प लिया है। आज हम उद्योगीपतियों को इस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि वे उत्तर प्रदेश में आये और यहां पर अपने उद्योग लगायें और यह सरकार उनको सुविधा देने के लिये तैयार है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदश के अन्दर नये उद्योग आने शुरू हो गये हैं। पंजाब के इलाके से २६५ उद्योग पंजाब और हरियाणा के इलाके से गाजियाबाद के इलाके में आ चुके हैं। बम्बई और दूसरे प्रान्तों से भी उद्योग आ रहे हैं। जहां तक नई सरकार की नीति का सवाल है हम यह चाहते हैं कि हम उनको सहानुभूति दें और उनको सुविधा दें। इस सिलसिल में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो उद्योग यहां आयेंगे, उनको हम पूरी तरह से सुविधा देने का प्रयास करेंगे। एक बात उद्योगियों के लिये भी कहना चाहता हूं। वे उद्योगी, जो अपने श्रमिकों के साथ न्याय नहीं करेंगे उनको सरकार से सहानुभूति की आशा नहीं रखनी लेकिन वे उद्योगी जो अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश के अन्दर सुविधा चाहेंगे उनको अधिक से अधिक सुविधा दी जायगी। इस संदर्भ में यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय दोस्त जो उधर विपक्ष में बैठे हुऐ है, उनका अनुभव २० वर्षों का है। उन्होंने २० वर्षों तक इस शासन को परिचालित किया है। तो यह नई सरकार उद्योगों के मामले में उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहती है। इसीलिये ऐसी स्थिति में विपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से प्रदेश के उद्योगीकरण के लिये जो भी वाजिब सुझाव आयेंगे, उनकी कदर की जायगी और उनके सुझावों का स्वागत किया जायगा और पूरा-पूरा ध्यान दिया जायगा।

अन्त में उधर बैठे हुये सदस्यों से अनुरोध करता हूं और कि जहां तक इस पक्ष में बैठे हुये सदस्यों का सवाल है, वे सब केन्द्र पर इस बात का दबाव डालें कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो हकतलफी हुई है पिछली ३, ४ योजनाओं के बीच वह अब नहीं होनी चाहिये। अब उत्तर प्रदेश के साथ न्याय होना चाहिये। इस गरीबी को दू करनाहै तो उत्तर प्रदेश को अपनें पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और साथ ही केन्द्रीय सरकार पर सहायता के लिये अधिक से अधिक दबाव डालना पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार को बाध्य करना पड़ेगा कि वह अधिक से अधिक पब्लिक सैक्टर में उद्योग उत्तर प्रदेश को दे। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि पूरा सदन इस अनुदान का समर्थन करेगा।

श्री ज़ियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

महोदया, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उद्योग के अधीन मांग की राशि-घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य (१) उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना तथा लघु उद्योगों के विकास हेतु दे ाती क्षेत्रों में हर प्रकार की सुविधायें प्रदान करना और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित वातावरण तैयार करना।

(२) उद्योगों की नीतियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन कराना तथा सुझाव देना।*

महोदया, यह एक निर्विवाद बात है कि हमारा यह प्रदेश एक पिछड़ा हुआ और गरीब प्रदेश है और इसमें भी कोई शुबहा नहीं है कि अगर इस प्रदेश को तरक्की के रास्त पर ल जाना है और अगर इस प्रदेश की गरीबी को दूर करना है और इस प्रदेश की परकैपिटा आमदनी को बढ़ाना है तो हमको इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना होगा। महोदया में इस बात की जरूरत नहीं महसूस करता हूं कि इस सिलसिले में विशेषज्ञों की जो राय रही है उसका विस्तार

*कटौती के अन्य प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थी आगे पृष्ठ ६०९–६१० पर।

[श्री जियाउर्रहमान]

साथ जिक्र करूं। माननीय चौधरी चरणसिंह ने अपनी पुस्तक इंडियाज पावर्टी एन्ड इट्स सलुशन में यह दिखाने की कोशिश की है कि हर वह देश.....

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय चरणसिंह जी ने अपनी पुस्तक में साफतौर पर इस तरफ इशारा किया है कि अगर इस प्रदश के पिछड़पन को और गरीबी को दूर करना है तो जमीन पर जो भार है उसको कम करें। जो लोग जमीन पर लगे हुय हैं, उनको वहां से निकाल कर इंडस्ट्रीज की तरफ लायें। हमको इसी दृष्टिकोण से इस बजट की तरफ देखना होगा। हमको यह भी देखना होगा कि यह बजट जो माननीय उद्योग मंत्री ने पेश किया है क्या वह बजट उस दिशाकी तरफ इशारा करने वाला है? क्या इसके अन्द वे चीजें हैं जिन चीजों की बुनियाद पर यह कह सकें कि हमारी सरकार का जोर इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा है और उन अखराजात के सिलसिले में बहुत ज्यादा है जिनका ताल्लुक हमारे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट से है। मैं बहुत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे बजट में बहुत कम रकम इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिये रखी गई है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के सिलसिल में हमारे उद्योग मंत्री जी ने बड़ी लम्बी चौड़ी कुछ चीजें बतलाई। इस बात का उन्होंने इशारा किया कि केन्द्रीय सरकार ने हमारे साथ बेइन्साफी की और केन्द्रीय सरकार ने उन उद्योगों को रोक लिया और इस प्रदेश के लिये नहीं रखा। दूसरी सांस में उन इंडस्ट्रीज का जो पब्लिक से सैक्टर में केन्द्र की तरफ से दी गई थी तीसरे और चौथे प्लान में, उन इंडस्ट्रीज का और उन बड़े प्लान का तजकिरा किया है। जिन पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज का माननीय मंत्री जी ने तजकिरा अपनी तकरीर में किया है उनमें से कोई भी एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो माननीय उद्योग मंत्री की सरकार क जमाने में उनके प्रयास से यहां आई हो बल्कि वह सारी की सारी वे इन्डस्ट्रीज हैं जो पुरानी कांग्रस सरकार क जमाने में केन्द्र की मदद से यहां स्थापित हुई हैं, चल रही है और और आग बढ़ रही हैं।

मैं आपके सामने इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर इस बजट में बड़ी इंडस्ट्रीज के सिलसिल में कितनी रकम रखी गई? मैं यह पूछना चाहता हूं कि पब्लिक सक्टर में आप अपने प्रयास से कौन सी इंडस्ट्री यहां कायम करने जा रहे हैं और आपने कौन सा प्रपोजल रखा? म यह भी जानना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर की इंडस्ट्रीज के लिये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि पब्लिक सक्टर में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, जो अमेरिका के कोलेबोरेशन से यहां के लिये रखी गई थीं, जि का तजकिरा फाइनेन्स मिनिस्टर न अपने भाषण में किया था। कई करोड़ रुपये से वह उद्योग यहां पर कायम होना था लेकिन हमारे लोगों की बुद्धिहीनता की वजह से और उनसे ठीक तौर पर बात न करने की वहज से उसको खो दिया। वह गुजरात में चली गई जो यहां के लिये जरूरी थी। वह उद्योग ४० करोड़ रुपये से लगने वाला था। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह हमारे पिछड़े हुये और इन्तहा गरीब प्रदेश के लिये नुकसान की बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो जोर स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज पर होना चाहिये वह नहीं है। हमसे जो पिछड़े हुए इलाकों म जो काटज इंडस्ट्रीज डवलप करना चाहत हैं और जो हमारी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं हमारे बजट में ज्यादा से ज्यादा कटौती उन्हीं चीजों में हुई है हम ने इस बजट में कटौती की है पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग के विकास के सिलसिले में हमने कटौती की है, गलीचों के उद्योग के विकास की योजना में हम ने कटौती की है, हैंडीक्रपट सोसाइटीज के डेवलपमेंट की योजना में हमने कटौती की है, भीमताल के मिट्टी के बर्तन बनाने के डेवलपमेंट की योजना में जिससे उस क्षेत्र के गरीब बाशिन्दों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन सकता था। उस पिछड़े हुए पहाड़ी इलाके के डेवलपमेंट में कटौती की है। सुल्तानपुर जो पिछड़ा हुआ जिला है, उसमें लकड़ी के खिलौने और सांचे बनाने की डेवलपमेंट स्कीम थी उसको काटा है और उत्तर प्रदेश में हैंडीक्रापट के सामान के डेवलपमेंट में कटौती की है, कालपी में कागज बनाने के

उद्योग और उसकी ट्रेनिंग में कटौती की है। जो कटौतियां की हैं उनसे क्या धुन निकलती है? क्या यह वाकया नहीं है कि आप उन इंडस्ट्रीज को जो छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के रास्ते को रोकना चाहते हैं और जो गरीब लोग ऐग्रीकल्चर में लगे हुए, जिनकी आमदनी इतनी नहीं हो सकती है, उनको छोटे छोटे उद्योगों में लगने से एक सब्सिस्टेंस मिल जाता है। आप उसको रोकना चाहते हैं। इस तरह से इस प्रदेश की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट डाल दी है।

यह कृषि प्रधान प्रदेश है। और हमारी इंडस्ट्रीज का ढांचा इस बात को नजर में रख कर बनाना चाहिये कि यहां ७४ फीसदी आबादी जमीन से संबंधित हैं। हमको यह देखना होगा कि उस कृषि में लगी हुई आबादी की आमदनी में किस तरह से बढ़ती हो, किस तरह से वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकें। इंडस्ट्रीज में कटौती करके उनको खत्म करके, उनके डेवलपमेंट को रोक कर हम देश के साथ बहुत ज्यादा हित नहीं करने जा रहे हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री के सिलसिले में उद्योग मंत्री ने तजकिरा किया। जिस इंडस्ट्री में ११ लाख इन्सानों की रोजी चलती हो, उस इंडस्ट्री के सिलसिले में आपने क्या किया? क्या किया इटावा स्पिनिंग मिल में ऐडहाक बोर्ड कायम हुआ था उसके सिलसिले में? आप तो बहुत ज्यादा इस बात के हक में हैं कोआपरेटिव सेक्टर में जो बड़े-बड़े कारखाने हैं उनका मैनेजमेंट उन्हें ही चलाना चाहिये। लेकिन आपकी नजर इस तरफ क्यों नहीं गयी? इटावा स्पिनिंग मिल जिसमें ४९ प्रतिशत हिस्से हैंडलूम कोआपरेटिव सोसाइटीज के हैं और ५१ फीसदी गवर्नमेंट के हैं, उसका मैनेजमेंट बोर्ड १९५८ में कायम किया था, वही आज भी चला आ रहा है। आप ठीक कहते हैं कि बीस साल में हमने क्यों नहीं किया यह कहा जा सकता है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको देखें। उनकी नजर इस तरफ जानी चाहिये थी। कोआपरेटिव सेक्टर का जो ढांचा खड़ा किया जायगा उसका नाम आफिशियल चेयरमैन होना चाहिये लेकिन आज भी डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज उसका चेयमैन बना हुआ है। आप कहते हैं कि उस स्पिनिंग मिल से हैंडलूम इंडस्ट्री के लिये सूत मिलने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं कि इटावा स्पिनिंग मिल से कितने परसेंट सूत वीवर्स को मिलता है और उसका कितने परसेंट सूत बाजार में चला जाता है जिससे मिडिल मैन नफा कमाता है? मैं बताता हूं कि उस सूत का अस्सी फीसदी बाजार में चला जाता है और उस मिल का सूत बिनकरों को नहीं मिलता जिसके लिये फैक्ट्री बनायी गयी थी ताकि वे कास्ट आफ प्रोडक्शन अपने माल की कम कर के कुछ नफा कमा सकें। क्या आपकी नजर उधर गयी है? नहीं गयी।

यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरटिव एसोशियेशन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का एक अपेक्स बाडी है और उसके जरिये से सारा डेवलपमेंट का काम स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज का होता है। उसकी भी हालत यह है कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज उसके चेयरमैन हैं। और बावजूद इसके कि हर तीसरे साल उसका चुनाव होना चाहिये, लेकिन ६, ६ साल से उसका चुनाव नहीं हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह से वह डिफंक्ट हो गया है। आपको देखना चाहिये था कि उस में क्या खराबियां और खामियां हैं। सबसे बड़ी कमजोरी स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज में लगे हुए लोगों के साथ यह है कि उनके पास फाइनेंसेज नहीं हैं। वे उम्दा कारीगर हैं और अपनी कारीगरी में दुनिया के किसी भी मुल्क से वे मुकाबला कर सकते हैं और जहां कहीं भी मौका मिला है इस देश और प्रदेश के कारीगरों की स्किल को देखने का यह प्रदेश कभी किसी से पीछे नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज उनकी स्किल राट हो रही है। आज उनके पास साधन नहीं है। आपने यूपिका का निर्माण किया, उस का एक बैंक बनाया यू० पी० इंडिस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक, लेकिन उसमें भी कुछ कठिनाई अनुभव हुई। रिजर्व बैंक ने कहा कि जब तक इसको यू० पी० कोआपरेटिव बैंक में मर्ज नहीं किया जाता तब तक हम पैसा नहीं देंगे। यूपिका ने इसके लये रेजोल्यूशन पास किया, कोआपरेटिव बैंक ने इस मर्जर को मान लिया, लेकिन आज भी काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये कर्ज नहीं मिल

[श्री जियाउर्रहमान खां]

पाता है इस वजह से कि रिजर्व बैंक यह चाहता है कि गवर्नमेन्ट उसकी सेक्योरिटी ले। गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं है। कैसे उनका डेवलपमेंट होगा? माननीय उद्योग मंत्री जी ने स्माल काटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ख्याल के बारे में भाषण करते हुए कहा है कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सरकार ने इस दिशा में भी ध्यान दिया है, सरकार ने उस दिशा में भी ध्यान दिया है लेकिन इस तरह की इन दिशाओं में ध्यान देने से काम चलने वाला नहीं है। हमको फैक्चुअल बात देनी होगी, हमें फैक्ट्स को देखना होगा। खुशकिस्मती से हमारे उद्योग मंत्री जी उस क्षेत्र के रहने वाले हैं यानी वाराणसी के—जो खासतौर से रेशम उद्योग के मामले में आप एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपके जरिये माननीय उद्योग मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि जो वाराणसी में रेशम का काम करने वाले बुनकर हैं, उनका किस तरह से वहां एक्सप्लायटेशन होता है और किस तरह से वे बगल में रेशमी साड़ियों का थान दबाये हुए घूमते हैं और महाजन उनको एक्सप्लायट करते हैं? क्या आपने उस तरफ कभी सोचा है और उनकी तरफ ध्यान दिया है कि कैसे उनको मारकेटिंग फैसिलिटीज दी जाय, किस तरह से उनका तैयार हुआ माल उचित दामों पर खरीदा जा सके जिससे बुनकरों को रिलीफ दिया जा सके? इसका कोई इशारा उनके भाषण में हमें सुनने को नहीं मिला कि किस तरह से वे उनकी समस्याओं को हल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं। जो पिछली सरकार थी उसने अपने उन अधिकारियों के इशारे पर काम किया जो इंडस्ट्रीज का ए० बी० सी० डी० तक नहीं जानते थे। हमने कुछ नहीं किया और अपनी गलतियों की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को उस हद तक नहीं पहुंचा सके लेकिन अब तो आप आये हैं, आपने बहुत स्ट्राइक्स करायी हैं और अब तो आपके हाथ में सत्ता है, कुव्वत है, आप क्यों खामोश हैं? आप उन चीजों को इम्पलिमेंट कर सकते हैं, आपकी खामोशी देख कर मुझे ताज्जुब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं।

जहां तक कुटीर उद्योग के लिये रा मैटीरिअल की प्रोबलम है, उनके बारे में आपने क्या सोचा है, उनके लिये ऋण व कर्ज के बारे में आपने क्या सोचा है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह सही है कि बड़ी इंडस्ट्रीज या हेवी इंडस्ट्रीज का होना मुल्क क डेवलपमेंट के लिये इसलिये जरूरी है कि उससे लोगों को इम्पलायमेंट मिले। बड़ी इंडस्ट्री इसलिये भी जरूरी है कि उससे बहुत सी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी लगती हैं। जहां यह बात सही है वहां यह बात भी सही है कि छोटी इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश के लिये सबसे ज्यादा स्वीटेबिल हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज के लये अब आप क्या कर रहे हैं? जब हम बड़ी इंडस्ट्रीज की बात कहते थे तो यह शिकायत करते थे कि सेंट्रर हमारी उपेक्षा करता है जब कि देश के सारे अंगों को एक सा ही बढ़ना चाहिये। अब आप क्य कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि इस प्रदेश के अन्दर कुछ एसे भी जिले हैं जिन जिलों में डेवलपमेंट कम हुआ है। जो भी हैवी इन्डस्ट्री मिली वह वाराणसी चली जाय, गाजियाबाद या मेरठ चली जाय, ऐसा न करके इस प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ सेक्टर में हैवी इन्डस्ट्रीज का जाल फैला दें ताकि ऐसा न हो कि एक ही जगह इन्डस्ट्रीज के लगने से वहां मजदूरों की कमी महसूस होने लगे और दूसरे हल्कों में अनइम्प्लायमेंट का भी प्रोबलेम पैदा हो जाय।

मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उधर भी जाना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों को, मुख्तलिफ हिस्सों को इन हैवी इंडस्ट्रीज का फायदा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पटेल आयोग ने जिन चार जिलों को अपनी स्टडी के लिए चुना, था उनमें माननीय मंत्री जी का जिला तो शामिल नहीं है। लेकिन वह उन जिलों के बहुत करीब के रहने वाले हैं। मैं उनसे कहता हूं कि काश, मंत्री जी ने पटेल आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा होता और पूर्व के पिछड़े जिलों के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सिलसिले में उसने क्या सिफारिशें की हैं इसको देखा होता। यह सही है कि पिछली सरकार ने उसे निगलेक्ट किया, लेकिन

आपका ध्यान तो जाय हैंडीक्राफ्ट के डेवलपमेंट की तरफ और हैंडलूम के डेवलपमेंट और बड़ी इंडस्ट्रीज के लगाये जाने के सिलसिले में, जो बहुत जरूरी है, ताकि वह पिछड़े जिले जहां, प्रति व्यक्ति जमीन बहुत कम है वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और इंडस्ट्री का विकास होकर पर-कैपिटा इनकम बढ़ सके। मैं अपने गम का इजहार किए बगैर नहीं रह सकता। हमारा प्रदेश पिछड़ा है, आमदनी और इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में और टेक्निकल नालिज और टेक्नालाजी में भी पिछड़ा हुआ है। आपने टेक्निकल एजूकेशन सेंटर्स की ग्रांट में भी कटौती कर दी। क्या मंत्री जी का ख्याल है कि जितनी टेक्निकल नालिज इंडस्ट्री के सिलसिले में होनी चाहिए थी वह पूरी हो गयी और आर्टिजन्स क्या उस टेक्नीक से पूरे तौर पर वाकिफ हो गये? मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ जो उन्होंने इसमें कटौती की।

मैं एक पुरानी बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हैंडलूम इंडस्ट्री को पहुंचा। मैं मानता हूं कि वह पिछली गवर्नमेंट का डिसीशन है, लेकिन अगर पिछली गलतियां हों तो उनको इस गवर्नमेंट को बदलना चाहिए और तरीके सोचने चाहिए कि वह कैसे हो। वह है दरी के ऊपर सेल्स टैक्स का लगाया जाना। मैं उद्योग मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सारे हैंडलूम के प्रोडक्ट्स पर तो सेल्स टैक्स माफ किया हुआ है और इस दरी के ऊपर सेल्स टैक्स आपने लगाया हुआ है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस तरफ जरूर ध्यान देंगे। पटेल कमीशन रिपोर्ट में पिछड़े हुए जिलों की इन्डस्ट्री को देखकर कर दो और स्पिनिंग मिल्स को ४ जिलों में से २ में कायम करने की सिफारिश की थी और मैं समझता था कि शायद उस तरफ उद्योग मंत्री जी का ध्यान जाय इसलिए कि आज भी जो इन्डस्ट्रीज मेरा मैटीरियल, सूत, की जरूरत है वह पूरी नहीं हो पाती। हम यह समझते हैं कि अगर स्पीनिंग मिल्स को ठीक तरह से सेट अप किया जाय तो इस क्षेत्र में हम काफी तरक्की कर सकते हैं।

जिला लेविल पर जो लोन आदि दिया जाता है, उसकी बहुत चर्चा हुई। यह सही है कि बहुत हद तक मिस यूटीलाइजेशन लोन का होता है, मगर उसके कारण आप उस प्रथा को ही बन्द कर दें यह ठीक है। आप उस की इस तरह से व्यवस्था कीजिए कि वाकई में जो छोटे-छोटे उद्योग चलाने वाले हैं, जिनको वाकई में जरूरत है, उनको वह लोन मिले और उसका सही यूटीलाइजेशन हो।

रिबेट और ग्रांट के जरिए जो सुविधायें हैंडलूम इन्डस्ट्री को दी गयी थीं वह भी इस सरकार ने समाप्त कर दी। हो सकता है कि उसमें कुछ खराबियां रही हों। मैं यह नहीं कहता कि आप उसी प्रथा को चालू रखें, उसमें कुछ परिवर्तन आप कर सकते हैं। उसके लिए आप कोई और तरीका निकाल सकते हैं, मगर इन हैंडलूम इन्डस्ट्री को प्रोटक्शन मिलना चाहिए। अगर आप इनको प्रोटक्शन नहीं देंगे तो यह मिल सेक्टर के कंपीट नहीं कर पायेंगे। (व्यवधान)

मान्यवर, हमारे मंत्री जी की नाक के नीचे एक पेपर मिल है। वह पेपर मिल २–३ महीने से बन्द पड़ी हुई है। हजारों कर्मचारी उसके बेकार हो गये हैं। वह मिल बहुत नाजुक हालत में है। पहले उसकी एक मशीन बन्द हुई, फिर दूसरी भी बन्द हो गयी। उसके मिल ओनर की कुछ फाइनेन्शियल डिफीकल्टीज हैं। वह चाहते हैं कि सरकार उसको हल करे, उनकी सहायता करे। उस मिल में बहुत से लोगों को रोजी मिलती है, इसलिए उनकी रोजी का आप शीघ्र कोई प्रबंध करें। इन अल्फाज के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती के प्रस्ताव को रखने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुना। पूरे भाषण में, जैसे अपने कुकर्मों से जिस आदमी को पश्चाताप होता है वैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

ही कोई बेचारा पिछले कुकर्मों पर पश्चाताप करे, यही भाषण का लुब्बेलुबाब था। भाषण में उधर क्या हो रहा है, इसको कोई चर्चा नहीं। जो कुछ पहले हुआ उसकी शिकायत कई दिनों से तो दबाये हुए थे अपने मन में। जब मौका मिला उधर बैठने का तो कह रहे हैं। मैं उनको दोष नहीं देना चाहता। मामला क्या है, कांग्रेस पार्टी का। ये बेचारे कभी नीति के मामले में तो सोचे नहीं। इनका नीति से कोई सरोकार नहीं रहा। ये तो नीतिहीन रहे हैं। हर एक चीज की एक्सपीडिएन्सी पकड़ना, कुछ करना है, इस तरीके से २० वर्षों से चल रहे हैं। अपने प्रदेश में भी उसी तरह से उद्योगों का मामला चलाया। यह गड़बड़ी कैसे हुई। पिछली सरकार ने यह सोचा कि उत्तर प्रदेश के आठ करोड़ लोगों की तरक्की हो या न हो, उद्योग खुले या न खुलें, यहां लोगों को काम मिले या न मिले, उत्तर प्रदेश की दौलत बढ़े या न बढ़े। हमारे यहां का कोई जाकर दिल्ली में प्रधान मंत्री हो जाय और कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे दिल्ली में ज्यादा हो जायं। इसी चक्कर में ये फंसे रहे। नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश के साथ जितना अन्याय किया गया अगर थोड़ी बहुत भी ईमानदारी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में रहती तो आज से कई वर्ष पूर्व बगावत हो गई होती और आज से पन्द्रह वर्ष पहले ये वहां बैठ गये होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गलती आपने की वही गलती अगर हमने भी की तो हमारा भी वही नतीजा होगा। उद्योग के मामले में माननीय मंत्री जी ने काफी बातें कह दी हैं लेकिन इधर के बैठने वालों को कितनी दिलचस्पी है कि इस प्रदेश में दौलत बढ़े, लोगों को काम मिले, आदि। मैं कहना चाहता हूं कि नीति पर अगर हम नहीं जायेंगे, ऊपर ही टटोलते रहेंगे तो यह देश अभागा रह जायगा। महाराष्ट्र, बंगाल, मद्रास तरक्की कर जायगा और उत्तर प्रदेश के लोग पिछड़े रह जायेंगे। मेरे कार्यक्षेत्र के अभागे मजदूर कोयले की खानों में और दूसरी जगहों पर जमीन के नीचे काम करते हुए दौलत को पैदा करने का काम करते रह जायेंगे। केंद्रीय सरकार ने कितनी सहायता की या इस सरकार ने कितना रुपया लिया, मान्यवर, यह हमारे मंत्रि महोदय की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जायेगा।

एक बात और समझना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी के लोग विरोधी दलों के सदस्य इस बात को समझें कि कृषि और उद्योग इनका कहीं झगड़ा नहीं है। कृषि की उन्नति और उद्योग की उन्नति इसमें झगड़ा नहीं, एनीमिकल नहीं, इनका बराबरी से, सम तरीके से बढ़ाव होना चाहिए। आप चीनी के उद्योग को ही ले लीजिए। इस वर्ष चीनी के उद्योग को चलाने के लिए गन्ना कम पड़ गया और एक बार ऐसा समय था जब हमें सरकार नगर में इस बात की आवाज मिल वालों के खिलाफ उठानी पड़ी कि तुमको सारा गन्ना पेरना पड़ेगा और अगर नहीं पेरा और हमें गन्ना जलाना पड़ा तो तुम्हारी फैक्टरियां भी जले बिना रह नहीं सकतीं। ३६० में मेरे ऊपर मुकदमा चला और ६ महीने की सजा मुझे बिना मुकदमा चले काटनी पड़ी और दूसरे साथियों को भी जेल हुई। यह इस चीज का ही परिणाम है कि इस ओर आप का ध्यान कभी गया ही नहीं, इस ओर अब हमारी पार्टी ने, इस सरकार ने ध्यान दिया है और आज उसको माननीय मंत्री जी ने सामने रखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऊपर न दौड़िये। ऊपर आप दौड़े और अफसरों के बारे में आपने कहना शुरू कर दिया लेकिन इसके पहले आपने सार्वजनिक उद्योगों में कैसे आफिसरों को रखा? सीमेंट फैक्ट्री का आफीसर वहां से हटाया तो लूप फैक्ट्री में उसको भेज दिया। भला उसको लूप का क्या तजुर्बा है। भला कोई जोड़ भी तो हो। फिर इन आफीसरों की कोई रेस्पांसिबिलिटी भी तो नहीं। आई० सी० एस० को वहां बैठा दिया और कह दिया कि तुम उद्योग को चलाओ। आपने उनको उद्योगों के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी। जिस प्रकार से डंडे के बल पर दूसरे विभागों में वे लोग काम चलाते हैं, उसी तरह से आपने उनको उद्योगों में काम चलाने के लिए भेज दिया। उद्योगों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए चार चीजों की विशेष रूप से आवश्यकता है—मनी, मेटीरियल, मैन एण्ड मैनेजमेंट क्या आपने इन चीजों का ध्यान रखा? नहीं रखा। आफीसरों ने उद्योगपतियों से ऐसा रिश्ता बनाया कि उनके लड़के और नातेदार प्राइवेट सेक्टरों में भर्ती होना शुरू हो गये। मैं

स्वयं जानता हूं कि पुरानी सरकार के जमाने में जितने भी सरकारी अधिकारी थे, उनके रिश्तेदार अच्छे-अच्छे पदों पर रखे गये हैं चाहे वे उसके लायक हों अथवा न हों।

अभी लोक सभा में ही प्रश्न उठाया गया था कि माननीय पन्त जी के सुपुत्र का बिरला साहब की फैक्ट्री से क्या संबंध था। इस प्रकार से फैक्टरियों में मंत्रियों, सदस्यों और आफीसरों के लड़कों को रखा गया है। और अब आप आफीसरों को गाली देते हैं। आपने दिमाग में कभी इस बात को सोचा ही नहीं कि उद्योगों को किस प्रकार से चलाया जाय और उसका नतीजा यह हुआ कि कई स्थानों पर जो सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योग खोले गये, उनमें मुनाफा होने के बजाय घाटा हुआ और जो माननीय सदस्य समाजवाद में विश्वास नहीं करते, उनको मौका दिया यह कहने का कि देश और प्रदेश में अगर सार्वजनकि उद्योग खोले जायेंगे तो उनकी यही हालत होगी, उनसे प्रोडक्शन गिरेगा, नुकसान होगा, उद्योग तरक्की नहीं कर पायेंगे। समाजवाद के लिए यह जरूरी है कि सार्वजनकि उद्योगों में प्रोडक्शन बढ़े। अतः उनमें मुनाफा हो इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। इसके अलावा हमें यह भी देखना होगा कि उद्योग चलाने वाले अधिकारी कैसे हों। जब हम राष्ट्रीयकरण की मांग करते रहे यह कहते रहें कि इन सभी उद्योगों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए मैनेजमेंट और लेबर का नजदीकी संबंध कायम करो तो आपने ध्यान नहीं दिया।

हमारे यहां गोरखपुर में फर्टिलाइजर का एक कारखाना खोला हुआ है, वहां के अफसर मजदूरों के साथ कैसा रिश्ता कायम करते हैं माननीय राजाराम जी से मैं कहना चाहता हूं, हमारे अखिल भारतीय हिन्द मजदूर पंचायत के जनरल सेक्रेटरी की जार्ज फरनांडेस के एक सभा में बोलने के लिए बुलाया गया, उनकी मीटिंग का डेढ़ बजे का ऐलान कर दिया गया। तो मैनेजमेंट ने, जो सार्वजनिक उद्योग है, यह किया कि उस दिन जो डेढ़ बजे छुट्टी होने वाली थी, उसको समाप्त करके ४ बजे छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। बदकिस्मती यह हुई कि वह पहली गाड़ी से न आकर तीन बजे की गाड़ी से पहुंचे इसलिए जब छुट्टी हुई तभी जार्ज फरनांडेस पहुंचे और मीटिंग हो गयी। लेकिन देखिए कि सार्वजनिक और निजी उद्योग चलाने वालों का दिमाग किस तरफ है। उन्हें मजदूर से कोई मतलब नहीं है। इस प्रश्न की तरफ नई सरकार ने ध्यान दिया है और इसका आपको स्वागत करना चाहिए था। लेकिन माननीय प्रस्तावक महोदय ने मंत्री जी को बधाई नहीं दी।

इन्डस्ट्रियल इस्टेट खोल दिए जगह जगह, बिल्डिंग बना दी और अफसरों के रहने के लिए, मैनेजमेंट के रहने के लिए जगह बना दी। लेकिन कहीं कोई इन्डस्ट्री नहीं। किसानों की अच्छी जमीनों को जहां पर अनाज का उत्पादन बढ़िया तरीके से हो रहा था, जहां ट्यूबवैल लगे हुए थे, सिंचाई का इन्तजाम था, ऐसी जमीनों को लेकर इंडस्ट्रियल इस्टेट खोल दी और जमीन को लेते वक्त पुरानी सरकार ने इस बात का ख्याल रखा कि इससे किसको फायदा पहुंचेगा। एक-एक रात में अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी जगह पर इन्डस्ट्रियल इस्टेट खोलने का काम किया गया जहां अपने रिश्तेदारों को उस जमीन का मुआवजा लाखों रुपयों में मिल सके। इसलिये इण्डस्ट्रियल इस्टेट्स आज कई जगह बेकार पड़ी हुई है। मेरा मंत्री जी से कहना है कि आप इससे न डरिए कि फलानी जगह इन्सपेक्शन क्यों कर दिया, मैं माननीय प्रभु नारायण सिंह से कहना चाहता हूं कि आप खूब इन्सपेक्शन करिए और जितने पाप पुरानी सरकार ने किए हैं, उनका भण्डा फोड़ तो करिए ही, साथ ही न्याय भी कीजिए।

मान्यवर मैं जानता हूं कि हमारे गोरखपुर में एक उद्योग अफसर थे उन्होंने एक इन्डस्ट्री को लोन दिया था। ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जिसमें लिखा था साइकिल पार्ट्स बनाने का कारखाना। मैंने सोचा कि देखूं क्या क्या बनाते हैं। जब मैं नीचे गया तो देखा कि ट्यूब जोड़ा जा रहा था। और उस पर १०,००० रुपया मिला था। इसी तरह से और कई चीजों के लिए रुपया दिया गया जिनको उद्योग कदापि नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से रुपया बांटा गया। कई लोगों ने रुपया का गलत इस्तेमाल किया और जो कर्जा प्राप्त हुआ था, उसको ब्याज पर चलाया और उससे अपना काम चलाया। इस तरह से गरीबों को लूटा यह लोन लेने

[श्री मधुकर दिघे]

का फायदा जनता को नहीं हुआ। यह जो लाइसेंसिंग सिस्टम है और बिरला प्रतिष्ठानों को जो सुविधायें दी जाती हैं उनकी छानबीन होनी चाहिए। अगर इस सरकार के हाथ में यह न हो तो दिल्ली की सरकार को इस संबंध में यह सरकार अपनी सिफारिश भेजे कि लाइसेंसिंग की प्रथा को खत्म किया जाय क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती। जब तक नीति साफ नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं हो सकता। पिछले २० वर्षों में कांग्रेस सरकार की नीति स्पष्ट नहीं हो सकी, जिससे प्रदेश पिछड़ा रह गया और यहां कैपिटल फार्मेशन नहीं हो सका, लोगों की आमदनी कम रही। दिल्ली की सरकार को यह लिखा जाय कि जब तक यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों के बराबर न आ जाय तब तक १,५०० रुपये से ऊपर की आमदनी तथा खर्च पर रोक लगा दी जाय और जो रुपया इस तरह से बचे वह उद्योगों में लगाया जाय तभी इस प्रदेश का भाग्य बदलेगा। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कौन-सी नीति रहे यह तो एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। यहां पर कारखाने नहीं लग सके हैं और यह प्रदेश उपेक्षित रहा जिससे यह तरक्की न कर सका यह बात हमारे पूर्व वक्ता ने कही। चर्चा यह होनी चाहिए थी कि जो ग्रांट आज उद्योग मंत्री ने हमारे सामने रखी हैं, उसमें उनकी भावी नीति क्या है? समाजवाद का नारा वह लगाते हैं, उसका अर्थ वह बतलाते हैं कि प्रदेश में तरक्की हो और छोटे-छोटे उद्योग धन्धे पनपें और उनके जरिए से एम्प्लायमेंट मिलने का मौका पैदा हो ताकि लोगों को काम मिल सके। नीति यह है कि समाजीकरण हो, राष्ट्रीयकरण हो उद्योगों का। लेकिन हमने देखा कि इस प्रदेश को सेंटर ने कम नहीं दिया है। हरिद्वार में हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ऋषिकेश में एंटी बायोटिक्स, डीजल लोकोमोटिव्स का कारखाना वाराणसी में, गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना—इस प्रकार जो ९, १० बड़े-बड़े कारखाने यहां खोले गये हैं और जब ये उत्पादन करने लगेंगे तब हमको ज्ञात हो सकेगा कि पोटेंशियल इनकम इस प्रदेश की क्या होगी और प्रदेश कितना आगे चला गया है? सवाल तो इस बात का है कि आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार उद्योग के विकास के लिए जो कर सकती थी, वह उसने किया? आज बड़ी निराशा हम लोगों को हुई। जो नीति माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने रखी उसमें एक तरफ तो वह राष्ट्रीयकरण की बऊंची ऊंची बातें करते हैं। अभी दौरे के सिलसिले में कई जगह वह गये और बड़े जोर भाषण दिये अखबारों में भी खबरें आयीं कि कारखाने नीलाम कर लिये जायेंगे। आज इस प्रदेश की ४६ चीनी मिलें बन्द हैं। आज कानपुर के बहुत से कारखाने बन्द हैं। लक्ष्मीरतन मिल के बारे में उन्होंने बड़े जोर से कहा कि नीलाम कर ली जायगी। भटनी मिल के बारे में उन्होंने देवरिया में सार्वजनिक सभा में कहा कि नीलाम कर ली जायगी। कांग्रेस की बात आप करते हैं। लाखों रुपया बकाया पड़ा है। आपने तीन महीनों के अन्दर कितनी वसूलियाबी की? एक पैसा भी नहीं। और कौन से कारखाने आपने नीलाम किए। जरवल रोड की म ली हालत खराब है। कार्ड बोर्ड की एक फैक्ट्री मसौधा में बन्द पड़ी है। आप क्या कर रहे हैं? खाली भाषणों से कारखानों का सुधार नहीं हो सकता। एक तरफ आप बयान देते हैं जब दूसरे ही दिन मिलमालिक आपके कक्ष में पहुंचतेहैं और पता नहीं आप से क्या बातें हो जाती हैं और फिर उसके बाद आप कदम नहीं उठाते। आप बार-बार अखबार की बात दोहराते हैं। अखबार की बात से प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस बात को इसलिए जानता हूं कि मैं श्रमिकों में काम करता हूं। आपकी कोआपरेटिव फक्टरीज लगी हैं। उनमें क्या होता है। आज चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में क्या हो रहा है। वहां पर गुरमा की क्वैरी है। वहां से पत्थर आता है। वहां के मजदूर आई० एन० टी० यू० सी० के साथ हैं। इसीलिए उन्होंने आपको माला नहीं पहनाई और इसीलिए आपने वहां के यूनियन के लीडर का तबादला चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में कर दिया। आपके इस दबाव से उद्योग की तरक्की नहीं हो सकती। मैं कहूंगा, मंत्री जी राजनीति को उद्योग के अन्दर न घुसाइये।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने व्याख्यान में कहा कि मोदीनगर में एक कारखाना बनेगा और उसमें अमरीकन मनी लगेगी। आप केशवराम काटन मिल की बात करते हैं। आप जानते हैं कि केशवराम काटन मिल बिड़ला जी की है और उनसे आप कारखाना लगाने के लिए बात करते हैं। हम सही बात कहते हैं तो आपको बुरा लगता है। आज सार्वजनिक क्षेत्र में मऊ का डाइंग और ब्लीचिंग का कारखाना चल रहा है। आप उसे किसी प्राइवेट आदमी को देंगे। क्या यही समाजवाद है। अगर आप वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं तो पहले कारखानों को विकसित करें और उसके साथ साथ लोगों को एम्प्लायमेंट दें। नो प्राफिट नो लास की बोसिस पर चलायें। लेकिन इसके बजाय आप केवल प्राफिट कमाना चाहते हैं और जो कारखाने प्राफिट नहीं देंगे उनको आप बन्द कर दें। आपने प्रदेश में ८० छोटे-छोटे कारखानों को बन्द कर दिया है। इनमें लकड़ी पक्की करने का राजकीय उद्योग सहारनपुर में आपने बन्द किया। इसी प्रकार खिलौने बनाने का उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, कंबल बनाने का उद्योग आदि आदि आपने बन्द किए।

आप प्रदेश का विकास चाहते हैं और सारी जिम्मेदारी सेंटर पर थोपते हैं। दूसरा काम आपने यह किया कि ३२२ प्रशिक्षण केंद्रों को खत्म कर दिया है जिनसे इलेक्ट्रिशियन्स मिकेनिक्स और आर्टीशियन्स ट्रेनिंग लेकर निकलते थे। उनको आपने बन्द कर दिया है। जब हरद्वार का कारखाना तैयार होगा तो १२ हजार आर्टीशियन्स की जरूरत होगी और जब गोरखपुर का कारखाना तैयार होगा १७ हजार की जरूरत होगी। उस समय आपके पास आर्टीशियन्स कहां से आयेंगे। प्रदेश में पढ़े लिखे लोगों को आप स्किल सिखाना नहीं चाहते हैं। उद्योग विभाग से काम सीखने का मौका मिलता था और स्टाइपेंड मिलता था। लेकिन क्या हुआ? आपने उनको बन्द कर दिया। इससे दो हजार से ज्यादा शिक्षार्थी बेकार हो गये हैं।

आपने बजट में १६ करोड़ ५५ लाख रुपये की मांग की है। पिछली सरकार का भी इतना ही बजट था। कैपीटल एक्सपेंडीचर में कोई कटौती नहीं की है। इसके अलावा कारखानों और प्रशिक्षण केंद्रों को बन्द कर दिया है तो यह रुपया कहां गया? चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के लिये दिघे साहब ने कहा कि इनकम के ऊपर सीलिंग लगा दी जाय। ६ लाख रुपया भत्ते पर था आपने दस लाख कर दिया है। विभूति ग्लास वर्क्स का भी यही हाल है। लाखों रुपया आपने कंटिंजेंसी में ले लिया है और योजनायें काट दी हैं और लोगों को बेकार कर दिया है। फिर भी कहते हैं कांग्रेस ने बुरा किया। लेकिन जिस समय कांग्रेस शासन में आई तो १००० कारखाने प्रदेश में थे जो अब ३५०० हैं। कांग्रेस ने कैसे तरक्की नहीं की? आप उनकी संख्या को घटाना चाहते हैं और केंद्र की दुहाई देते हैं। जो बजट आपने रखा है उसको पढ़ा भी है कि यह कहां तक समाजवादी बजट है?

इसके अलावा आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ४ हजार कारखाने बन्द हो जायेंगे ऐसी सम्भावना है। आप पहले से ही भूमिका बांध रहे हैं कि यह क्यों बन्द हो जायेंगे आपका कहना है कि कच्चा माल नहीं मिलेगा और इसमें रिसेशन आ गया है। आज जितनी चीज बनेंगी हम बिक जायंगी और मांग बहुत ज्यादा है। फिर रिसेशन का कहां सवाल पैदा होता है। एक तरफ तो दाम बढ़ने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ रिसेशन की बात कहते हैं। आपने चुर्क सीमेंट फैक्टरी की बात की और इसलिये कि वह आपका इलाका है। आप साहू जैन के यहां काम करते थे। लेकिन आपके कहने से मजदूर यूनियन आपके साथ नहीं हो जायगी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि चुर्क फैक्टरी में करोड़ों का मुनाफा है मैं मजदूरों का बोनस २० परसेंट से कम नहीं लूंगा। मजदूरों को ग्रचुएटी की बात कहकर बहकाना चाहते हैं। दो महीने की दर से पिछली सरविस पर अगर वह रिटायर होता है तो पिछले पूर्ति वर्ष की सर्विस पर दो महीने की तनख्वाह की दर से ग्रेच्यूटी अगर आप तय

[श्री राज राम]

करेंगे तो हम मानेंगे वरना मानने वाले नहीं हैं। पिछले प्रत्येक वर्ष की सर्विस के लिये रिटायर होने के दिन की पूरी तनख्वाह का २ माह के हिसाब से ग्रेच्यूटी तय करेंगे तो मानेंगे वर्ना नहीं मानेंगे। आपने रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की बात कही। हम बराबर तैयार हैं। चुर्क सीमेंट फैक्टरी में जब चाहें रेफरेंडम या वोटिंग करवा सकते हैं। पता चल जायगा कि मजदूर आपके साथ १० या १५ परसेंट बोनस ले कर रहेगा या २० परसेंट बोनस लेकर हमारे साथ रहेगा। शूगर फैक्टरी के बारे में आपने काम नहीं किया क्योंकि वहां एक ही यूनियन है जो हमारी यूनियन है। उत्तर प्रदेश में ७१–७२ चीनी मिल है उनमें जितना नियोजित श्रमिक है ६०–६५ हजार उसमें ५० हजार हमारा है इसलिये कि चीनी मिल मजदूर हमारे साथ हैं। लबर मिनिस्टर जो हैं वह उद्योग मंत्री भी हैं। एक तरफ उनके पास मालिक आता है दूसरी तरफ मजदूर आता है। आपके कमरे में कालागढ़ का मजदूर बैठा हुआ था आपने कह दिया कि कोई पुलिस की कार्यवाही नहीं होगी। दूसरी तरफ जो कार्यवाही हुई सब को मालूम है। कारखाना दो महीने बन्द हो सकता है लेकिन ४–४, ६–६ महीने कारखानों को बन्द करने की अनुमति दे रहे हैं। आप कहते हैं कि समाजवादी बजट पेश कर रहे हैं। उस दिन इसी हाउस में कहा कि हमने चीनी की कीमत बढ़वा दी। उसमें भी आपने मालिकों का साथ दिया। क्या आज चीनी की जो कीमत बढ़ी है उसका लाभ किसान मजदूर को मिलने वाला है? किसानों को उनके गन्ने का दाम जो निश्चित था मिल चुका मजदूरों को जो मजदूरी निश्चित थी मिल चुकी। चीनी का दाम बढ़ गया तो उसका लाभ मालिकों को होगा। आप मालिकों को बराबर प्रश्रय देते रहे हैं। आप जानते हैं कि आपकी सरकार चन्द दिन रहने वाली है, आप जानते हैं कि आपको मंत्रिपद पर नहीं रहना है। आप जानते हैं कि हमारे साथ आपको मजदूरों में काम करना है। आप चाहते हैं मालिकों का साथ दे कर, उनको बढ़ावा दे कर, और कुछ इस तरह से पैर जमा लें कि राजनीति में कोई फौलोइंग न रहे तो भी राजनीति में बने रहें नहीं तो एम०एल०सी० क्यों रहे होते, लड़ कर विधान सभा में आ जाते।

पटेल कमीशन की बात प्रस्तावक महोदय ने कही थी। उसकी रिपोर्ट में पूर्वी जिलों में उद्योग देने के बात कही गयी है। आप जानते हैं कि पूर्वी जिलों में कितनी मिलें हैं। उनसे बगास पैदा होता है उससे कागज के कारखाने लगाये जा सकते हैं। आप को सुझाव दूंगा कि कागज का एक कारखाना हाटा में लगा सकते हैं गंडक के किनारे क्योंकि उसमें पानी की भी जरूरत पड़ती है। एक और सुझाव देना चाहता हूं। आपने कहा कि चीनी मिलों का भी कारपोरेशन बनना चाहिये। हम भी चाहते हैं और जो चीनी मिल हैं उनको चलाने का प्रयत्न कीजिये क्योंकि चीनी मिलों में मजदूर ही काम नहीं करते। लाखों किसान चीनी मिलों पर निर्भर हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ चीनी मिलें हैं। आप उनकी तरफ इस लिए ध्यान नहीं देते क्योंकि चीनी मिलों के मजदूर हमारे साथ हैं। आप कहते हैं कि कांग्रेस का प्राइममिनिस्टर था। इतने कारखाने मिले उत्तर प्रदेश को उसके बाद आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। आप क्या कर रहे हैं? पश्चिमी जिलों की चीनी मिलें बन्द हुई और उस समय पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से एलान किया कि अगर मिल मालिक गन्ने का दाम बढ़ाते हैं तो हम भी बढ़ा देंगे। अगर सेंटर देरी करता है तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि अगर गन्ना कम पड़ता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उस का दाम बढ़ा देगी। लेकिन आप सेंटर से ही अपील करते रहते हैं। आप काहे के लिये यहां बैठे हैं? आप को ऐलान करना चाहिये कि भले ही सेंटर गन्ने की कीमत बढ़ाये अथवा नहीं, लेकिन अगर मिल मालिक ज्यादा दाम देंगे तो सरकार भी उतना ही पैसा बढ़ा देगी ताकि प्रदेश में चीनी अधिक पैदा हो सके। इस तरह से मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बीरेश्वर त्यागी (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले बीस सालों में जो हमारे देश का और विशेषकर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास हुआ है, उसे अगर हम देखें तो हम सब एक जगह पर आसानी से पहुंच जाते हैं कि हम कुछ बुनियादी गलतियों के शिकार हमेशा से रहे हैं। जितने भी उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में या समूचे भारत में बने हैं उन का एक ही ढांचा अपनी जगह पर है। जो कारखाने लगाये गये हैं वे बाहरी मुल्कों के एक्सपर्ट और तकनीकी ज्ञान की सलाह से उनके ज्ञान की बुनियाद पर लगाये गये और यह नहीं सोचा गया कि जिस कारखाने पर हम करोड़ों रुपया देश का लगा रहे हैं उस कारखाने को हम इस जमीन में खड़ा करके चला सकेंगे या नहीं। नतीजा यह हुआ कि अगर हम ने नायलोन कारखाना लगाया, रेयन का कारखाना लगाया, टेरीलीन का कारखाना लगाया तो उ सब का कच्चा माल बाहर से आता रहा। उस में लगने वाली लुगदी, कागज, सब कुछ बाहर से आता रहा। पिछले दिनों कागज के कारखाने लगे, लेकिन आप देखें कि जो उस का बुनियादी सामान है, वह बाहर से ही आता है। यह बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास में किसी कदर पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस पिछड़ेपन की जिम्मेदारी किस पर है? कांग्रेस के मित्र आने वाली योजनाओं के बारे में नुक्ताचीनी करते हैं लेकिन यह देखने की कोशिश नहीं करते कि पिछले बीस साल में उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में सब से ज्यादा पीछे क्यों रहा। आप ऋण की बात ही लीजिये। पिछले सालों में आप देखें कि कितना रुपया अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में लोगों को कारखाने लगाने के लिये दिया गया। अगर उसे जोड़ा जाय तो उत्तर प्रदेश का स्तर भारत में सब से पहला आ जाता है, लेकिन उस का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के भ्रष्ट शासन ने यह किया कि उस ने अपने भाई भतीजों को वह रुपया दिलाया और भावना यह रही कि कारखाना लगे या न लगे, लेकिन कम से कम मकान तो जरूर बन जाय और इसका नतीजा यह हुआ कि कंड्यूट पाइप और दूसरी चीजों के कारखाने कागज पर तो बनते रहे, लेकिन कारखाने लगे नहीं। आज इंडस्ट्रियल स्टेट में ९०० कुछ शेड्स हैं, जिन में ६०० कुछ का एलाटमेंट हुआ है और उन में से कुल ३०० में उत्पादन कार्य हो रहा है। वह भी अगर मौके पर जाकर देखा जाय तो बहुत सा काम ठप पड़ा दिखायी देगा। आज भी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास अंधेरे के साये के नीचे से गुजर रहा है। वजह क्या है? मैं बहुत नम्रता से आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश पूरी तरह चीनी के उद्योग पर निर्भर है। चीनी उद्योग आज किस कदर खतरे में पड़ गया है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊं कि टांडा चीनी मिल के मालिकों ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि हमारी आर्थिक हालत खराब है, हमारा हिसाब किताब गड़बड़ घोटाले में पड़ा है, इसलिये हम तो कारखाने को चला नहीं सकते हैं। उन्होंने इस प्रकार का आवेदन किया और सिफारिश की कि हमारे यहां अथाराइज्ड प्राइस कंट्रोलर की नियुक्ति कर दी जाय। नतीजा यह हुआ कि अथाराइज्ड प्राइस कंट्रोलर की नियुक्ति हो गयी। लेकिन उस अथाराइज्ड प्राइस कंट्रोलर का कार्यकाल १० जून, १९६७ को खतम होने वाला था इसलिये वहां के नियोजकों ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और उसे भारत सरकार के पास भेजा कि अभी उसे रहने दिया जाय लेकिन भारत सरकार के श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम ने कहा कि कानूनी अड़चनों के कारण इस कारखाने के अन्दर कोई अथाराइज्ड प्राइस कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं हो सकती है। वह कारखाना बन्द है क्योंकि उसमें मालिकों और कांग्रेस मैनों की साझेदारी है। भारत सरकार पर वे इमदाद के लिये दबाव डालना चाहते हैं और यह दिखलाना चाहते हैं कि संयुक्त विधायक दल की सरकार के अन्दर न कोई कारखाना चल सकता है और न मजदूरों को कहीं रोजगार मिल सकता है। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेश्वर त्यागी]

एक बात में बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि संयुक्त विधायक दल की सरकार १०–५ दिन में खतम होने वाली है, अंग्रेजी का वातावरण पैदा करके जो औद्योगिक विकास में रुकावटें डालना चाहते हैं वे खबरदार हो जायं कि उनका यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होने वाला है। श्रीमन्, मैंने देखा है कि औद्योगिक विकास के नाम पर रुपये तो लिये गये लेकिन रुपया उनमें लगाया नहीं गया। अगर विपक्ष के लोग चाहें तो मैं नाम गिना सकता हूं कि जिन्होंने रुपये तो लिये लेकिन कारखाना नहीं खोला। अब सीधी सी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बजाय नुक्ताचीनी करने के, जिम्मेदारी के साथ सुझाव आपके सामने रखने चाहिये।

मिसाल के तौर पर मैंने आपको बतलाया कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने के लिये योजना बनी कि बहुत से स्टेट्स बनेंगे। कारखाने के ढांचे बने लेकिन कारखाने के बनने की नौबत न आयी इसलिये उन कारखानों के चलाने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जो चीनी उद्योग है वह केंद्र के जरिये कंट्रोल होता है, जो कपड़ा उद्योग है वह केंद्र से नियंत्रित होता है, जो कागज उद्योग है वह केंद्र से नियंत्रित होता है। नतीजा यह हुआ कि गन्ना कम पैदा हुआ जिससे गन्ना की मिलें हमारे यहां एक सवा महीने तक ही चली और जो मजदूर देवरिया, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि स्थानों से काम करने गये थे उनमेंसे बहुतों को वापसी का किराया भाड़ा भी शायद मुश्किल से ही मिल पाया हो। लेकिन जब गन्ना उद्योग पर संकट आया तो शीरा कमपैदा हुआ और उसकी वजह से शराब के कारखाने भी बन्द होने लगे, र मेटीरिअल के कम होने की वजह से। जो गन्ना मिलें थीं जो गन्ने की खोई से चलायी जाती हैं उनमें भी ताला बन्दी की बात आयी। इस तरह से उत्तर प्रदेश के करीब आधे कारखाने आज संकट के दरवाजे के नीचे खड़े हैं। वह संकट तब तक टल नहीं सकता है जब तक कि पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको निकालने की बात नहीं करने के।

जहां तक सर्जिकल गुड्स के कारखाने की बात है, भारत सरकार ने बाहर से उनके लिये रा मैटिरिअल के इम्पोर्ट के लिये लाइसेंस दिया। निकिल बाहर से ही इम्पोर्ट किया जाता है। इंगलैन्ड में एक फर्म है जहां से निकिल पाउडर आता है। तमाम सर्जिकल गुड्स मैनुफैक्चरर, जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनके बिना काम नहीं चला सकते। लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं, उनको पढ़ दूं तो मालूम हो जायगा कि सही स्थिति क्या है। तो आज जरूरत इस बात की है कि इस तरह की हरकतों से हम किस तरह से छुटकारा पावें।

कानपुर के अन्दर तमाम मिलें हैं जो आखिरी सांस ले रही हैं और दम तोड़ रही हैं। श्रम मंत्री व उद्योग मंत्री उनके नीलाम करने की बात कहते हैं, कुछ उनको जबरदस्ती चलाने की बात कहते हैं लेकिन अगर इस तरह से सब कारखाने बन्द होते चले जायं, चीनी मिलें ठप्प हो जायं, शराब के कारखाने बन्द हो जायं तो इस प्रदेश का औद्योगिक विकास किस तरह से हो सकेगा, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि आप अपनी नीति निधारित कीजिये। चीनी मिलों व शक्कर मिलों से लाखों आदमियों का जीवन चलता है। गन्ना जितना पिछले साल बोया गया था, उससे बहुत कम इस साल बोया गया है। और साथ ही साथ क्रशर के संबंध में भी सरकार ने अपनी कोई बुनियादी नीति निधारित नहीं की है। नतीजा यह कि चीनी उत्पादन में संकट है। गन्ना मिलें चलने पर ही शराब के कारखाने भी चल सकते हैं।

आज चीनी लोगों को बाजार में साढ़े चार रुपये और ५ रुपये किलो तक मिल है और अगर यही रफ्तार रही तो आगे चल कर वह इससे भी ज्यादा महंगी हो जायगी। जब किसान को क्रशर पर गन्ना सप्लाई करने पर कैश पेमेंट हो जाय, और फौरन हो जाय और कुछ ज्यादा ही पैसा मिल जाय तो फिर वह अपना गन्ना किसी चीनी मिल को देगा ?

जब आप औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि इसके लिये रा मैटीरिअल कहां से आवेगा। जहां तक चीनी मिलों का संबंध है वे आने वाले सीजन में भी नहीं चल सकेंगी, अगर उन कारखानों को चलाने के लिये कोई समुचित योजना नहीं बनायी गयी। सवाल सिर्फ मजदूरों के दृष्टिकोण का नहीं है बल्कि साढ़े ४ रुपये और ५ रुपये किलो बिकने वाली चीनी का भी है। तो मेरी गुजारिश यह है कि जब हम औद्योगिक विकास की बात करें तो पहले अपने उद्योग धंधों का नक्शा पूरी तरह से बना लें। हुआ यह है कि लाखों रुपये फैक्टरी के नाम पर लोगों ने ले लिये, लेकिन कारखाना कहीं लगा नहीं।

अभी माननीय मधुकर दिघे जी ने बतलाया कि साइकिल के पुर्जे बनाने का बोर्ड बाहर लगा हुआ था, लेकिन अन्दर बच्चों की पाठशाला चल रही थी। खैर वहां कम से कम पाठशाला तो चल रही थी। लेकिन ऐसे भी बहुत से बोर्ड बाहर तो कारखाने होने के लगे हुए हैं लेकिन अन्दर न तो बच्चों की कोई पाठशाला है, न स्कूल है और न कोई कारखाना ही। यहां तक कि कोई कुर्सी मेज तक वहां नहीं है। औद्योगिक विकास के लिये जितना धन ग्रांट के रूप में दिया जाता है उसमें आधा से ज्यादा धन गैरजरूरी काम में खर्च हो जाता है और दूसरी तरफ जो बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं, जिनमें उनकी तमाम पूंजी लगी है, वे उत्तर प्रदेश के बाहर चले जाते हैं। तो जब हम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात करें तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि यहां के जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, जो कानपुर की कपड़ा मिलें बीमार पड़ी हैं और जिनमें सब से ज्यादा पूंजी लगी हुई है वे मजदूरों की कमाई के साधन बन सकें।

अन्त में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यदि हम आने वाले वर्ष में उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रगति की तरफ ले जाना चाहते हैं तो जरूरी होगा कि हम उत्तर प्रदेश की समस्या को अपनी तरह से सुलझाने की बात सोचें। विशेषकर चीनी मिलों में अवश्य सुधार किया जाय ताकि हमेशा के लिये मजदूरों का उचित प्रबन्ध हो सके।

श्री देवी सहाय वाजपेयी (जिला कानपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय श्रम मंत्री ने उद्योग बजट का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री के मजदूरों का जिक्र किया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने उद्योग मंत्री द्वारा पढ़े हुए भाषण को बड़े गौर से सुना। वह समाजवादी की व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और समाजवाद का नारा देते हैं, लेकिन इस बजट में मैंने समाजवाद की कोई बात नहीं देखी। मालिक और मजदूर मिलकर काम करें इसका कोई जिक्र नहीं उन्होंने नहीं किया। अगर मिल-मालिक और मजदूरों के के बीच एक कमेटी बने और उस कमेटी को पूरा पूरा अधिकार हो और कच्चे और पक्के माल पर उसका नियंत्रण हो और दोनों के स्वार्थों की रक्षा करे, ऐसी कमेटी वह बनाने का सुझाव देते तो मैं समझता हूं कि वह वास्तव में समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं और ऐसी व्यवस्था होगी कि प्रांत में मजदूर और मिल-मालिकों को एक जगह बैठाया जाय। मिल-मालिक मनमाने तौर पर कच्चा माल बढ़ा कर ले लेते हैं और पक्के माल पर, मुनाफे पर उसका असर पड़ता है। जब तक एक मिली-जुली कमेटी का प्रबन्ध न हो तब तक मजदूरों का कोई फायदा नहीं हो सकता। कानपुर के जो पुरानी मिलें हैं जो चालू होने वाले थे ३–४ महीने पहले लेकिन मैं एक मिल का नाम लेना चाहता हूं श्री महेश्वरी देवी जूट मिल, जिसके चलाने के बारे में बात-चीत हो रही थी पर मालूम नहीं कि क्या हुआ कि नीलाम की बात की गयी। मामला सुलझाया नहीं गया जिससे मजदूरों का भी नुक्सान हुआ और कच्चे पक्के माल का भी नुक्सान हुआ। आज मजदूरों की दुर्दशा हो रही है। श्रम मंत्री कई बार वहां पर गये। लेकिन मैं कोई इशारा ऐसा नहीं करना चाहता कि कैसे गये, कहां गये और

[श्री देवी सहाय वाजपेयी]

किन-किन लोगों से बात हुई। सुलझाने की कोई बात नहीं की गयी, उलझाने की प्रवृत्ति की गयी।

लक्ष्मीरतन काटन मिल बन्द हुई, उसको चालू कराने, मामला तय कराने का श्रम मंत्री का कार्य है, मैं यह जरूर बतलाना चाहता हूं कि उस जगह मजदूर ८–१० महीने से बेकार हैं। मजदूर मिल को चलाना चाहता है, काम करना चाहता है लेकिन कुछ ऐसी राजनीति में, पालिटिक्स में श्रम मंत्री का कुछ अपना एक इशारा हो सकता है, क्या है मुझे पता नहीं है, पुरानी मिल का मामला है। लक्ष्मीरतन काटन मिल उस समय बन्द हुआ जब बिजली का रुपया नहीं जमा हुआ। रुपया न जमा होने के कारण बिजली जब बन्द हो गई तो उसमें हड़ताल हुई, झगड़े हुए। मिल मालिक मिल चलाना चाहते हैं, मजदूर काम पर जाना चाहते हैं लेकिन वह मामला तय नहीं कराया गया। कानपुर के चमड़े के मिलों का भी सवाल है। इस भाषण में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मिल मालिकों को भी अधिकार मिले और मजदूरों को काम भी मिले। लेदर मिल किस हालत में चल रहा है, मिल मालिक का कहना है कि इसमें मुनाफा कम है। मंत्री जी ने उसका भी जिक्र अपने भाषण में नहीं किया है। जिक्र किया तो वही केंद्रीय सरकार का किया कि केंद्रीय सरकार की वजह से तमाम रुकावटें हैं और तमाम दिक्कतें हैं। केंद्रीय सरकार के समक्ष उत्तर प्रदेश का मामला, इंडस्ट्रीज के संबंध में उनको रखना चाहिये, समझाना चाहिये। अगर उनके साझाने से केंद्रीय सरकार न समझ सके और मामला न तय हो सके तो मंत्री स्वयं समझ लें कि जब हमारी बात केंद्रीय सरकार नहीं सुनती है तो दाल भात में मूसरचन्द की तरह हम क्यों बैठ रहे हैं और इस चीज को बरबाद करते रहे हैं, इसको सोचना होगा। श्रम मंत्री ने अ ने भाषण के दौरान यह कहा कि बहुत से मिल बन्द होने वाले हैं, काश्तकार, मजदूर का, गन्ने वालों का मामला तय नहीं हुआ। बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। इन चीजों का तो जिक्र किया लेकिन किन काश्तकारों का मामला, मिल मालिकों का मामला लेकर लगातार बैठकर केंद्रीय सरकार से भी मिल कर जो दिक्कतें होतीं हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते, वह न हो पाया और उसी का कारण है कि आज कई रोज से लगातार मजदूरों की हड़ताल हो रही है। ऐसे भाषणों से कोई काम नहीं चलेगा।

जब मैं जाता हूं और देखता हूं कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे वाले, दरी बुनने वाले, हाथ के करघे वालों की कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसा कोई जिक्र माननीय श्रम मंत्री ने अपने भाषण में नहीं किया जिससे समाजवादी समाज की रचना करने वाले, समाज का निर्माण करने वाले कदमों का पता लगता। जब मैं देखता हूं कि मजदूरों का जुलूस निकलता है तो मिल मालिकों का नाश हो" का नारा लगता है और जहां जुलूस खत्म हुआ वहां "नाश" खत्म हो गया। कानपुर में जो मिलें बन्द हैं, अगर श्रम मंत्री चाहते तो मामला सुलझा सकते थे और मिलें चालू हो जातीं। श्री जगदीश अवस्थी, आई० टी० आई संयोजक इसके लिये जो कमेटी होती थी उसमें एम० एल० ए० ही होते थे। माननीय श्रम मंत्री ने अब उसमें अपने आदमियों को रखा। यहां आकर तो वे जाने कितनी बातें करते हैं, मगर काम कुछ उसके अनुसार नहीं करते। (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती हो गयी है। अतः मैं अपना भाषण समाप्त कर इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय श्रम मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमें स्वतंत्रता मिली है तब से इस देश के नेताओं ने उद्योग धंधे फैलाने की ओर ध्यान दिया है और काफी मात्रा में उद्योग धंधे फैले हैं। इस देश के सभी नेताओं का ध्यान उस ओर गया और सभी ने उसके लिये प्रयास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया, चाहे वे किसी भी पार्टी के रहे हों । कांग्रेस पार्टी ने भी इसके लिये काम किया, मगर उसकी हालत शनैः शनैः खराब होती गयी । जब तक उनकी नीति जनता के हित में रही, तब तक हम लोग उसमें चिपके रहे, जब उनकी नीति में परिवर्तन आने लगा, हम लोग इधर आ गये । हमने उनसे संबंध विच्छेद कर लिया । एक कहावत है "उत्तर खेती मध्यम बान निखद चाकरी, भीख निदान ।"

हमारे देश में यदि खेती पर जोर दिया जाता तो देश के सारे उद्योग पनपते । आज प्रदेश की यह हालत न होती अगर कृषि पर ध्यान दिया जाता । हमारे देश के महापुरुषों का ध्यान सबसे पहले बड़े बड़े उद्योग धंधों की ओर गया और उसका नतीजा यह हुआ कि देश का जितना धन था वह सब उन्हीं की जेबों में चला गया । हम बराबर चिल्लाते रहे कि छोटे-छोटे उद्योगों को कायम करो । खेती को ज्यादा प्रोत्साहन दो । खेतों में कच्चा माल पैदा हो तो छोटे उद्योग धंधे पनपें । सब ही ने समाजवादी का नारा लगाया लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे समाजवाद को नहीं ला सके । जैसे महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास में छोटे-छोटे उद्योग धंधे फैले हैं वैसे ही हमारे प्रदेश में भी होना चाहिये । मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं जितना कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि मैं भी अभी तक उसमें था । उसने कभी यह नहीं सोचा कि किसानों और मजदूरों के घरों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे बैठाये जायं । उसने कर्मचारियों से कभी यह नहीं पूछा कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है । हुआ यह कि वे कर्मचारी ठाट से मौज करते रहे । सरकार ने करोड़ों रुपया कमीशन को दिया । जिन्होंने काता और बुना उनका इसे कोई संबंध नहीं था । इसे तो बीच के पूंजीपति और सरकारी अफसर खा गये । घर-घर में छोटे उद्योग होने चाहिये । इस सरकार को बने ३,४ ही महीने हुये हैं और अभी यह कोई भी ऐसा हिम्मत का काम नहीं कर सकी जो बीसियों वर्ष की कमी को पूरा करने में सहायक हो ।

मेरा उद्योग मंत्री जी को सुझाव है और वह यह है कि मुझे आशा है कह नहीं सकता हूं कि होगा या नहीं लेकिन आशा करता हूं कि आपका बजट जब समाजवादी है, बहुत बढ़िया है, तो क्या आप छोटे छोटे उद्योग धंधे गांवों में घर-घर फैलावेंगे या नहीं ? आज तो मैंने यही सुना कि इतनी मिल खोलेंगे, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, और न जाने कहां-कहां । यह सुनने में नहीं आया कि छोटे उद्योग धंधे भी खोलेंगे । कांग्रेस तो समाजवाद ला नहीं सकी क्योंकि ये सरमायेदारों के एजेंट बन चुके हैं । मेरा इस सरकार से निवेदन है कि जैसे मद्रास, महाराष्ट्र और पंजाब में सरकारी कर्मचारियों ने घर घर जाकर लोगों को छोटे उद्योग धंधे लगवाये वैसे ही यह सरकार भी अपने कर्मचारियों से करावे । लेकिन आप नहीं कर सकते चूंकि कांग्रेस भी इन अफसरों के मातहत रही और यह सरकार भी इनके मातहत है । किसान मजदूर की उन्नति होगी तो यह देश भी उन्नति करेगा । यह सरकार भी बड़ी बड़ी मिलों की बात करने लगी है । मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान लेकर यह सरकार गांवों में छोटे उद्योग धंधे फैला दे । कांग्रेसवालों को तो जरूरत नहीं है भले ही वे किसान मजदूर की दुहाई देते हों लेकिन उनका शोषण सब करते हैं चाहे उधर के बैठने वाले हों या इधर के बैठने वाले हों । क्या मैं उद्योग मंत्री जी से आशा करूं कि वह इस तरफ ध्यान देंगे और मजदूरों के घरों में उद्योग फैलावेंगे ? क्या आप कानपुर में जो आपका डिपार्टमेंट रिश्वत लेता है उसे बन्द करेंगे ? आज आपका एक भी अधिकारी काम करने के लिये तैयार नहीं है । कांग्रेस सरकार के जमाने की उन्हें यह आदत पड़ी हुई है । उन्होंने आदत डाली है, भ्रष्टाचार की । इसे इस सरकार को भुगतना पड़ेगा । लेकिन यह जल्दी से ठीक नहीं हो सकता है । आप अपने नेत्र खोलें । जो आपने पाप किया है, मैंने भी किया है, उसे भोगना पड़ेगा । उसे दूर करने में समय लगेगा । उद्योग मंत्री के बजट में कटौती के प्रस्ताव को मेरे मित्र तुरन्त वापिस लें ।

*श्रीमती इन्द्र मोहिनी (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखकर बहुत दुख होता है कि इंडस्ट्रियली हम बहुत बैकवर्ड हैं। हमसे छोटे-छोटे प्रान्त हमसे कहीं आगे हैं। माना कि हम एग्रीकल्चर प्रदेश के हैं लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर से ही हमारी समस्यायें दूर नहीं हो सकती हैं। इस समय लगभग १ करोड़ आदमी अनएम्पलायड हैं। अगर सरकार यह सोचे कि वे सब एग्रीकल्चर में ही लग जावें तो यह कहना गलत होगा। इंडस्ट्री की ग्रान्ट को देखकर और मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद मुझे और भी दुख हुआ कि कुछ तो हम यूं ही इंडस्ट्रियली बहुत पीछे थे और इस सरकार ने और भी १० कदम पीछे कर दिया है जब कि आगे बढ़ाना चाहिये था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मुल्क के लिये, प्रदेश के लिये बेहद जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को एनकरेज करने के लिये सिर्फ यही काफी नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्री को ही बढ़ावा दिया जाय। मीडियम और स्माल स्केल इंडस्ट्री को भी बढ़ाना उतना ही जरूरी है। गांवों में आजकल लिखे-पढ़े लोग ज्यादा निकल रहे हैं। पढ़ा हुआ लड़का, लड़की यह नहीं चाहता है कि वह गांव में ही बैठे और खेती में लगे। उनकी भी ख्वाहिशें हैं। वे शहर की ओर भागते हैं। शहरों में वैसे ही रहने की जगह और खाने की दिक्कत है और शहर भी बर्बाद होता है। अगर गांवों में स्माल स्केल इंडस्ट्री खोली जावें तो इससे बहुत फायदा होगा। एक तो यह है कि बेहद सैनिटेशन-सफीशेंसी आ जायगी। गांवों में लेबर भी सस्ती है। अनएम्पलायमेंट की समस्या हल हो जायगी। एकोमोडेशन और जमीन भी सस्ती है पावर भी आप ठीक तरह से सब जगह नहीं पहुंचा रहे हैं। उसमें काफी इम्प्रूवमेन्ट की गुंजाइस है, दिक्कतों के बावजूद भी इसे हल करें तभी इंडस्ट्रीलाइजेशन हो सकता है। बगैर पावर और पानी के आगे बढ़ना नामुमकिन है। अमेरिका जो ज्यादातर दुनियां के मुल्कों को अनाज देता है, पूरी तौर से एग्रीकलचरल कन्ट्री नहीं है। उसके बहुत कम भाग पर एग्रीकलचर होती है लेकिन फिर भी दुनियां के बहुत से देशों को अनाज देता है। इससे हमें सबक लेना चाहिये।

जहां तक इन्डस्ट्रीज का ताल्लुक है जब तक इन्डस्ट्रियलिस्ट को एक्सेमेंट नहीं मिलेगा तब तक उसमें तरक्की नहीं हो सकती। उसके रास्ते बहुत सी रुकावट डाली जाती हैं। हर चीज में दिक्कत लगती है। जब मंजूरी मिल जाती है तो सामान नहीं मिलता। सामान भी मिल जाय तो पावर नहीं मिलती। नतीजा यह होता है कि जब तक उसकी मशीनरी आती है वह परेशान हो जाता है और दूसरे प्रदेश में चला जाता है। हमारे यहां इंडस्ट्री खोलने वाले की हैसियत देखी जाती है लेकिन ऐसा जापान में नहीं है। वहां तो सिर्फ यह देखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट को वह यूनिट एलेक्टिव लगती है तो सरकार उसको रकम दे देती है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इन्डस्ट्री को लगाने के बारे में सरकार पर्सनल एसेट्स को न देखे। अगर इन्डस्ट्रीज के लिये हमारे यहां सहूलियतें दी जाएं तो हमारे प्रदेश में भी इन्डस्ट्रीज तरक्की कर सकती हैं।

एक प्राब्लम हमारे यहां और है। हमारे यहां अधिकतर लेबर और मेनेजमेंट की नहीं बनती। लेबर को लेबर लीडर और पोलीटिकल लोग भटका देते हैं। दूसरे एम्पलायर को भी यह देखना चाहिये कि जिस प्रकार से वह अपनी मशीनरी की देखभाल करता है उसी प्रकार उसको अपनी लेबर का भी खयाल रखना चाहिये। दूसरी ओर लेबर लीडर्स को भी लेबर को मीन्स टू एन्ड नहीं बनाना चाहिये इससे देश और प्रदेश की हानि होती है। माना कि एक पार्टी का इससे भला हो सकता है लेकिन उससे देश की हानि होती है। मैं चाहूंगी कि स्ट्राईक और घेराओं के बजाय आपस में मामलों को सुलझा लेना चाहिये और झगड़ों को किसी ट्रिब्युनल द्वारा ही तय कर देना चाहिये क्योंकि गरीबों का उससे बहुत नुकसान होता है। अपनी मेशीनरी की तरह से मैनेजमेंट को लेबर का खयाल भी रखना चाहिये क्योंकि एरोगेन्स तो अब उतनी नहीं रही है अब तो जो काम भी हो सकता है वह कंसेप्ट परेशन से

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से हो सकता है। झगड़ों को आपस में को आपरेशन से निपटा लेना चाहिये। देरी करने से प्रोडक्शन में असर पड़ता है। इसके अलावा लेबर वैजेज को प्रोडक्शन के साथ लिंक कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। मजदूरों को एक एक्स्ट्रा एप्रीसियेशन मिलने से उत्साह होगा इसलिये लेबर को भी ज्यादा से ज्यादा फेसिलिटीज देने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। न तो लेबर एजूकेशन की फेसिलिटीज हैं न चाइल्ड वेलफेयर और न ही मैटरनिटी की कोई फेसिलिटी है। उनका जो लिविंग कंडीशन्स हैं बेहद खराब हैं गन्दी जगहों में वे रहते हैं। आखिरकार लेबर की वजह से ही तो है जो इतनी उम्दा दस्तकारी वाराणसी और मुरादाबाद में होती है और उस माल को एक्सपोर्ट करते हैं। वाराणसी और मुरादाबाद का माल बाहर जाता है और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा फारन एक्सचेंज यहां की इंडस्ट्री अर्न करती है। मेरे जिले मुरादाबाद में ब्रास का काम होता है। पर दुख है कि जो वहां काम करने वाले हैं वे बहुत परेशान हालत में हैं। न उन्हें रहने का न खाने का किसी तरह का कोई आराम नहीं है। वेजेज भी बहुत कम हैं उन की। वह इंडस्ट्री अभी तक प्राइवेट सेक्टर में चल रही है लेकिन अगर उस को बढ़ा कर थोड़ा पब्लिक सेक्टर में भी कर दिया जाय, क्योंकि काफी फारेन एक्सचेंज वह इंडस्ट्री अर्न करती है तो मेरा खयाल है बहुत अच्छा रहेगा। इससे सरकार तथा दस्तकार दोनों को ही फायदा होगा। वहां पर एक एलेक्ट्रो प्लेटिंग प्लान्ट की कटलरी के लिये रिक्वायरमेंट थी। मगर फिलहाल उस स्कीम को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है। मैं उम्मीद करती हूं कि वर्तमान सरकार उस पर ध्यान देगी। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

(उद्योग उप मंत्री जी से—) समय बहुत कम है इसलिये आप १० मिनट में ही अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करेंगे।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर प्रातः काल से ही मैं माननीय सदस्य के विचार इस अनुदान के विषय में सुन रहा हूं। मुझे निराशा अधिक हुई और खास कर प्रस्तावक महोदय के भाषण को सुन कर बहुत निराशा हुई कारण। आपने बहुत जोर किया कि पब्लिक सेक्टर में सरकार ने नहीं कुछ किया, जो कुछ भी भी दिखाई देता है वह पुरानी सरकार का ही किया हुआ है। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये चौथा प्लान कब बना। दूसरे अमरीकन्स का एक कारखाना खुलने वाला था वह भी प्रदेश में नहीं लगा। इस में सरकार का क्या दोष है? उन्होंने देश का सर्वेक्षण और जहां उनको उचित स्थान दिखाई दिया वहां उन्होंने कारखाना लगवाया। इसमें सरकार का क्या दोष है।

इटावा सूत मिल का विस्तृत विवरण रखा गया वह मिल मैंने देखी है। उसके बोर्ड का भी कुछ विश्लेषण किया और कहा को आपरेटिव सोसायटी को पूरा सूत नहीं मिलता है। चीज यह है कि इटावा के आपरेटिव सोसायटीज जितनी हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सूत मिलता है। हो सकता है कि इटावा के बाहर भी कुछ सोसायटी हों और उनको सूत न मिलता हो लेकिन इटावा में मैंने देखा है, लोगों से बात की थी और जो लोग कोआपरेटिव सोसायटीज चला रहे हैं उनसे बात की, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उनको जितना सूत चाहिये उतना सूत नहीं मिलता है।

दूसरे बोर्ड की स्थिति यह रही। फैक्ट्री जब से बनी है एडहाक बेसिक पर चल रही है, १९५८ में फैक्ट्री बनी। अब इतने समय में पुरानी सरकार जो नहीं कर सकी, उसका दोष या उन की जिम्मेदारी, दो तीन महीने के दौरान में हम पर लाद दी जाय, यह उचित नहीं है। कहा गया है कि चुनाव नहीं कराया। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस हाउस में सवाल लगाया गया दूसरा चुनाव कराया जाय, लेकिन आज तक नहीं हुआ जो पहली सरकार थी उसको सुझाव दिया गया था कि इस बोर्ड को खत्म करके दूसरा चुनाव कर दिया जाय पिछली सरकार में ही कानपुर के एक सज्जन, विश्वम्भर नाथ स्वरूनारायण को

[श्री हिम्मत सिंह]

८० प्रतिशत सूत दिया जाता था और संडीले में कोआपरेटिव सोसायटीज के पचास पावर लूम्स थे उनमें वह उस सूत को निजी फायदे के लिये इस्तेमाल करते थे।

कोआपरेटिव सोसाइटीज को जो सेन्ट्रल एक्साइज में छूट मिलती है उसका भी वह फायदा उठा रहे हैं। इस प्रकार का दुरुपयोग पहले हुआ करता था। जो भूलें पहले हुई हैं उनको हम सुधारेंगे। आज यह कहा जा रहा है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज फेल हो रहा हैं लेकिन इसका विश्लेषण नहीं किया, कि क्यों ऐसा हो रहा है? एक ही स्थान है सारे प्रदेश में जहां ये पावर लूम्स चल रहे है वर्ना सारे प्रदेश में कहीं नहीं चल रहे हैं। इस कारण यह है कि उनकी फायनेन्शियल पोजीशन इतनी खराब हो गयी है कि उनका चलना दुष्कर है। वे पावर लूम उनको दिये गये जो हैन्डलूम का काम करते थे। वे एक्सपर्ट नहीं थे जिससे उनको कठिनाई हुई। इसलिये इस पर विचार किया जा रहा है कि ये पावर लूम कैसे चलें? यूपिका की हालत क्यों खराब हो गयी है यह बात भी सरकार के विचाराधीन है। यह यूपिका की समस्या आज की नहीं है, सन ६० की है और एक दिन में वह ठीक नहीं हो सकती उसके ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। बरी के उद्योग के लिये भी जो धन दिया गया उसका भी दुरुपयोग हुआ और उसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार पर ही है। इंस्पेक्टर्स जो थे, जैसा हरीसिंह जी ने कहा उन्होंने जाकर नहीं देखा कि इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन है और इसके फेल होने का कारण भी यही है कि निरीक्षण की कमी रही। जितने भी उद्योग चल रहे हैं वे बर्टिकल चल रहे हैं जिससे नुकसान होता है। हारिजन्टल चलते तो लाभ होता। लोन अधिक से अधिक लिया गया, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ। इसलिये हैन्डलूम कारपेट इंडस्ट्री और करघा ये सब इंडस्ट्रीज कैसे तरक्की करें इस पर विचार किया जा रहा है। मैं तो एक बात और आगे कहता हूं। इस प्रदेश के अन्दर जितने उद्योग-धंधे चल रहे हैं पिछली सरकार की ओर से उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इटावा में प्लास्टिक सेन्टर है। वहां लाखों की मशीनरी बेकार पड़ी है। अगर माननीय अहमद साहब को दिलचस्पी है तो वे इटावा जाते और भूतपूर्व सरकार को, जिसके वह एक अंग थे, बताते कि उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी मशीनरी आज बेकार पड़ी है। यही नहीं, राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माणशाला जो लखनऊ में है, उसमें भी उत्पादन घटा है। १९६४–६५ में वहां का उत्पादन ५४,४०० रुपये का था जो १९६५–६६ में घट कर ४९,७६४ रुपये का रह गया। बिक्री भी घटी और उत्पादन भी घटा। आज २२,७९,५८३ रुपये का सामान बिक्री के लिये पड़ा हुआ है। हम तो देखते हैं कि आपने हर चीज को ठप्प कर दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। यही नहीं, जो आपके सेन्ट्रल डिजाइन सेन्टर हैं, जहां से छपाई, रंगाई और बुनकरों के लिये डिजाइन्स निकलते हैं, उनका आपने जितनी मात्रा में चाहिये था उतनी मात्रा में प्रचार नहीं किया। इसी तरह संडीला में जो फैक्टरी लगी हुई है और साढ़े ४ लाख रुपया जो मशीनरी और बिल्डिंग पर खर्च हुआ, वह भी बेकार पड़ा हुआ है। बनारस में नेट वार्यरिंग की और मिर्जापुर में भी फैक्टरी बेकार पड़ी हुई है। मैं कहां तक गिनाऊं, आपकी बेसूझबूझ की वजह से सारा मामला हाशपाच पड़ा हुआ है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

आपने कुछ किया?

श्री हिम्मत सिंह—

कर रहे हैं। आप बैठिये।

(शोरगुल)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

क्या किसी माननीय मंत्री को या किसी को सीधे किसी सदस्य को यह कहने का अधिकार प्राप्त है कि आप बैठिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

किसी को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन आपस में अगर आप लोग ऐसा कहते सुनते हैं तो कोई बहुत अनुचित भी नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह—

हमसे पूछा गया कि चीनी मिलें बन्द हैं और उन पर रुपया बाकी है। मैं आपको बताऊं ३१ जनवरी, १९६७ को ९१३ लाख रुपया इन पर सेल्स-टैक्स आदि का बकाया था। उसमें से हमने ३९८ लाख रुपया वसूल कर लिया और अब ५१५ लाख रुपया बाकी रह गया है जिसमें से ४७९ लाख रुपया पुराना बकाया है। तो सबसे वसूल करने की कार्यवाही की गयी है, कोई बाकी नहीं छोड़ा गया। आपने जो अभी कहा कि प्रदेश के अन्दर चीनी मिलों की हालत खराब है, तो अकेले चीनी मिलों की ही हालत बुरी नहीं है बल्कि प्रदेश के अन्दर प्रत्येक इंडस्ट्री की हालत बुरी हो गयी है। इस प्रदेश की सारी इंडस्ट्रीज को इस नौबत पर पहुंचा दिया है जो अपना अन्तिम सांस ले रही है। लेकिन हमारे यहां छोटे छोटे उद्योग बढ़े हैं और इसमें हमारे प्रदेश आगे हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल—

छोटे उद्योग आपने स्थापित किये या पहले के हैं ?

श्री हिम्मत सिंह—

मैं मना नहीं कर रहा हूं। यह आपके समय के ही हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे आगे बढ़ें ? किसी माननीय सदस्य ने सुझाव नहीं दिया कि कोआपरेटिव मिल, सूती मिल तथा हैंड लूम के मजदूरों को कैसे रुपया मिले ?

श्री चन्द्रकुमार (जिला बाराबंकी)—

जिस समय सुझाव दिये गये थे। उस समय शायद मंत्री जी सो रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रकुमार जी, आज स्थान ग्रहण करें। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि समय बहुत कम है।

श्री हिम्मत सिंह—

आज हैन्डीक्राफ्ट्स के हमारे यहां शो रूम हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उनमें करीब ३ लाख रुपये का हर साल घाटा है और ६ लाख ऐसा कर्जा है जो हमें लेना है। इन शब्दों के साथ में अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्र सिंह रावत, समय बहुत कम है, आप ५ मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय बहुत कम है इसलिये चन्द अल्फाज सदन की सेवा में पेश करना चाहता हूं। लेकिन मुझे खेद है कि इस मुल्क में इतने पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी जैसा कि

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

मंत्री जी ने जिक्र किया और उनका कहना सही है कि हमारे प्रदेश की स्कीमें जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गईं तो उसने कह दिया कि यह स्कीमें ठीक तरह से नहीं बनाई गई हैं। हमारी सरकार की जानकारी बहुत कम है और हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स बहुत कम थे। इसलिये हमारी स्कीमें इन-कम्पलीट रहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना पड़ा कि यह अनुचित हैं। आप पहले इंडस्ट्रियल सर्वे कराते और जो इंडस्ट्री लग सकती थी उसके लिये ही आप लिखते। ठीक इंडस्ट्री की सरकार मांग नहीं करती और जिम्मेदारी सेंटर के ऊपर डालना ठीक नहीं है। यह सही है कि पार्लियामेंट में खुले आम कहा गया है कि इस प्रदेश को कोई बजट की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंट्रल में यहां के मंत्री काफी हैं। यह सोचने की बात है कि हमारे यहां जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका क्या हर्ज होने जा रहा है। इसका नक्शा आपके सामने पेश हो जायेगा।

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आपको पता होगा कि आपके शुगरकेन का शुगर की परसेंटेज बहुत कम है। जो दक्षिण में शुगरकेन उगाया जा रहा है उसका परसेंटेज हमारे यहां के शुगरकेन से बहुत हाई है। अगर ओपिन मार्केट में कम्पटीशन होता है तो हम उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। इस तरह से हमारी इंडस्ट्री खत्म होती चली जायेगी। आपको यह समझकर अपने-अपने गन्ने के परसेंटेज को बढ़ाना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने उधर से कहा था कि जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वे सब ४२० हैं और वे सरकार से कर्ज लेते हैं और सब्सीडी लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या चीज ४२० है?

श्री चन्द्र सिंह रावत—

उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उन्होंने ४२० से अधिक काम लिया। जो रुपया सरकार से लिया वह दूसरे प्रदेशों में दूसरी इंडस्ट्रीज लगाने में खर्च कर रहे हैं। उसका फायदा दूसरे प्रान्तों को मिल रहा है। अपने प्रान्त में नहीं मिल रहा है। इसलिए उन पर कर्जे के वसूली के लिए सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरे स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज सरकार ने लीं। लेकिन उनका हाल यह है कि पहाड़ों में जो इंडस्ट्रीज चलायी जा सकती हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। आप बाहर से ऊन मंगाते हैं, इजिप्ट से काटन मंगाते हैं। क्या यह देश में पैदा नहीं किये जा सकते? आप मेथेमेटिक्स को क्या गलत बता सकते हैं? आप अपने दिमाग से काम नहीं लेते। अगर दिमाग से काम लेते तो इस प्रकार की बातें न होतीं। किसी भी इलाके में आप उस इंडस्ट्री को लगा सकते हैं जिसका वहां रा-मैटीरियल अवेलेबिल हो।

श्री अध्यक्ष—

आपका इतना कहना काफी है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मैं आपके हुक्म का पाबन्द हूं। मैं खत्म करता हूं।

श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं उद्योग मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का तो स्वागत करता हूं मगर साथ-साथ मुझे दुख है कि इधर और उधर सभी लोगों ने मांग की है कि छोटे उद्योगों को हर प्रकार से बढ़ावा दिया जाय मगर न पिछली सरकार ने और न इस सरकार ने कोई इस ओर ध्यान दिया है जो अपने प्रान्त का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जिससे खांडसारी कहते हैं। कल के अखबारों में था कि हमारे चीनी मिल ओनर्स की कानफरेंस हुई है, जिसमें यह तय हुआ है कि सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए जो हमारे उत्तर प्रदेश का चीनी का कोटा था उसको उन्होंने

देने से मना कर दिया है और उन्होंने अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का तय किया है जिससे कि चीनी की कमी को बढ़ावा मिल सके। साथ-साथ यह भी कहा है कि खांडसारी पर एकदम पाबन्दी लगा दी जाय। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने हमारे प्रदेश में, जिस तरह से पावर लूम लगा कर मिल जैसा कपड़ा बनाते हैं उसी तरह से मिल ओनर्स ने एक्साइज से बचने के लिए, सरकार की पाबन्दियों से बचने के लिए सल्फर प्लांट्स लगा दिये हैं। उनमें जो मशीन काम आती है वह डेढ़ दो लाख रुपये की आती है और इमारत भी डेढ़ दो लाख रुपये की बनती है। वह अपने को खांडसारी बनाने वाला कहते हैं। लेकिन वास्तव में छोटा चीनी मिल है, जिनमें चीनी तैयार होती है। मैं वह नमूना लाया हूं। वह खांडसारी नहीं बनाते बल्कि उनमें बनी हुई चीनी और शुगर मिलों में बनी हुई चीनी में मिलायी जा रही है। और वह खुले बाजार में बेची जा रही है। यह लोग सस्ते दामों पर गन्ना खरीदते हैं। खांडसारी की परिभाषा में ये लोग नहीं आते। खांडसारी उद्योग तो वह है जिसमें किसान अपने बैलों की मदद से राब बनाता है, वह सिवार से खांड बनाता है, उस सीरे से वह गुड़ भी बनाता है। उसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आज वह छोटी मिलें भी खांडसारी वालों के साथ ही अपनी गिनती कराये हुए हैं हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र से मांग करती रही है कि इनको खांडसारी की परिभाषा में नहीं आना चाहिये। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी शुगर मिलें हैं वह उत्तर प्रदेश में जरूर हैं, लेकिन उन पर प्रदेशीय सरकार का कोई अधिकार नहीं है। उनकी चीनी पर प्रदेश सरकार का कोई अधिकार नहीं है और वे मिलें हमेशा धौंस देती रहती हैं कि अगर इस खांडसारी उद्योग को बन्द नहीं किया गया तो वे अपनी मिलें लेकर दक्षिण में चले जायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज की नाजुक घड़ी में हम को खांडसारी का ही सहारा है। वही थोड़ा बहुत हमारे काम आ सकती है। मिल वाले तो यह चाहते हैं कि यह उद्योग ही समाप्त हो जाय ताकि उसके बाद किसानों का गन्ना वह मन चाहे भाव पर खरीद सकें। मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्री जी इसके लिये कोई कमीशन नियुक्त करें ताकि पता लग सके कि ये लोग वास्तव में खांडसारी की परिभाषा में आते हैं अथवा नहीं। इस उद्योग में किसान अपने हाथ से राब बनाता है। जो राब बनती है उस पर ५ प्रतिशत परचेज टैक्स लगा हुआ है। हाथ मशीन अथवा सिवार से जो खांड बनती है उस पर ३ प्रतिशत का सेल्स टैक्स लगा हुआ है उसके लिये उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। जो शीरा निकलता है उसके गुण पर ५ प्रतिशत परचेज टैक्स लगता है और फिर खांड पर ३ प्रतिशत टैक्स लगा हुआ है। जो शीरा खाने के काम आता है उस पर भी ३ फीसदी सेल्स टैक्स लगा हुआ है।

मैं चाहता हूं कि कम से कम उद्योग मंत्री जी इसकी ओर ध्यान दें और इस उद्योग को बर्बाद होने से बचायें। हमारे उत्तर प्रदेश से यह उद्योग हट कर राजस्थान और पंजाब जा रहा है। वहां की सरकारें इस उद्योग को बढ़ावा दे रही हैं और हमारे उद्योगपतियों से मांग कर रही हैं कि वे वहां जाकर इस उद्योग को पनपायें। खांडसारी यहां से ले नहीं जायी जा सकती इसलिये वे लोग राब यहां से ले जाते हैं और पंजाब तथा अलवर में उसके कारखाने लग रहे हैं। मैं उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मिलमालिकों के चक्कर में न आवें। वे इसकी जांच करावें और जो खांडसारी उद्योग पुराने ढंग पर चलता आया है, जिसमें किसान अपनी मेहनत से खांडसारी राब तैयार करता है, उस को तरक्की देने के उपाय करें। इन कारखानों से किसानों को फायदा नहीं पहुंचता। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी इस उद्योग को इन मुसीबतों से नजात दिला कर किसानों की मदद करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—

(श्री बियाउर्रहमान से) मैं चाहूंगा कि १० मिनट आप बोलें और १० मिनट मंत्री जी।

श्री जियाउर्रहमान—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मशकूर हूं इस सदन के सारे माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए जो तर्क रखा था वह यह था कि हम इंडस्ट्रीज की महत्ता को पूरे तौर पर महसूस नहीं करते और खुसूसियत के साथ जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और काटेज इंडस्ट्रीज, जो एक कृषि प्रधान प्रदेश में खास तौर से इम्पार्टेंस रखती हैं उस काटेज इंडस्ट्रीज की हर स्कीम में आपने कटौती की है। मैंने ऐसा महसूस किया कि सरकार का यह रवैया काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के सिलसिले में बहुत मुनासिब नहीं है और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला नहीं है। माननीय उपमंत्री जी ने इस बात की जो आम तौर से फिजा चल रही है कि २० साल की जिन्दगी में आपने यह किया उसमें सहयोग दिया। मैं पहले ही कह चुका कि २० साल में हमने बहुत कुछ अच्छाइयां और बुराइयां कीं और ठोकरें भी लगीं और तभी उधर के बजाय इधर बैठे हैं। तो यह शोभाजनक नहीं है कि जो लोग सत्ता में हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हों, पासिंग रिमार्क के तौर पर भले ही कहें, लेकिन बार-बार कहना उचित नहीं है।

मुझे अफसोस हुआ, माननीय हिम्मत सिंह ने स्पिनिंग मिल का, इटावा में जाने का और कोआपरेटिव सोसाइटीज का तजकिरा किया। मैं नहीं समझ सका कि सरकार का कोई सदस्य इतनी अज्ञानतापूर्ण बात भी कर सकता है, जिसे ऐसा मालूम होता था कि कुछ मालूम ही नहीं है। कहते हैं कि इटावा की कोआपरेटिव सोसाइटीज ने शिकायत नहीं की किसी किस्म की। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है कि इटावा की स्पिनिंग मिल यू० पी० की तमाम हैंडलूम कोआपरेटिव सोसाइटीज के ४९ फीसदी हिस्सों से बनी है जिसमें ५१ फीसदी हिस्से सरकार ने कांट्रीब्यूट किया है और उसका इटावा कोआपरेटिव सोसाइटीज से कोई सम्बन्ध नहीं है। उद्देश्य उसके कायम करने का यह था कि तमाम कोआपरेटिव सोसाइटीज और हैंडलूम की इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, जिनको कच्चा माल, सूत, गरां मिलता है, मिडिलमैन गरां बेचते हैं और वह मिल से कम्पीट नहीं कर सकते हैं वह उनको सस्ते दामों पर मिलने लगे। आज हालत यह है कि पूरे प्रोडक्शन का कुल २० फीसदी तो हैंडलूम सेंटर्स में आता है और ८० फीसदी एक एजेंट को मिल जाता है और वह मिडिलमैन का प्राफिट लेकर मजे करता है। मैं नहीं चाहता कि हैंडलूम सोसाइटी को ही दें, लेकिन सवाल यह है, मैंने जैसा इशारा किया था कि जब हम उस तरफ बैठते थे उस वक्त भी यह बात कही थी और मैं माननीय हिम्मत सिंह जी से कहना चाहता हूं कि इटावा स्पिनिंग मिल के इस ईश्यू पर सारे प्रदेश भर की हैंडलूम कोआपरेटिव सोसाइटीज के प्रेसीडेंट्स और सेक्रेटरीज की कानफरेंस दारुलशफा में हुई।

माननीया मुख्य मंत्री जी ने उसको इनआगरेट किया था और मैंने उनके सामने भी इस चीज को रखा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। माननीय हिम्मतसिंह जी जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस उधर बैठती थी तब भी उसकी आलोचना करने में, सही बात कहने में मैं रुकता नहीं था। उस सरकार ने यदि नहीं किया तो आपने भी नहीं किया, यह कोई ठीक बात नहीं है। आपकी भी नजर आज उधर नहीं जा रही है। अगर ऐसा ही आपने भी किया तो आपका भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ। आज आवश्यकता इस बात की है कि आप काटेज और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को बढ़ायें। माननीय हिम्मतसिंह जी ने इस बात को माना है कि पिछले ३ दशकों में काटेज और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज बढ़ी हैं। जहां तक लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज की बात है, फोर्थ प्लान में वे कुछ बढ़ी हैं। लेकिन काटेज इन्डस्ट्री की तरफ आपने कम ध्यान दिया है। इसको बढ़ाने के लिये तीन चीजों की जरूरत होती है फाइनेन्सेज, रा मैटीरियल, और टैक्नीकल ट्रेनिंग। मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने इन तीनों चीजों को मोहैया कराने के लिये क्या उपाय किये हैं। माननीया इन्द्रमोहिनी जी ने मुरादाबाद की ब्रास वेयर इंडस्ट्री की ओर ध्यान दिलाया। वह प्रदेश की ऐसी इन्डस्ट्री है जिससे आप लाखों रुपये का फारेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। इसलिये आपको इस इन्डस्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिये और उनको रा मटीरियल दिलवाना चाहिये।

जहां तक लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज की बात है, उसके न बढ़ने का एक कारण यह भी रहा है कि सरकारी पक्ष में बैठने वालों ने प्रदेश में इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक अखाड़ा कायम कर रखा था। ऐसी हालत में कोई भी अपनी इन्डस्ट्री यहां लगाना नहीं चाहता। आपने इस तरफ फिजा पैदा कर रखी है कि मजदूरों को प्रोडक्शन नहीं, और सदैव मिल मालिक तथा मजदूरों में संघर्ष चला करता था।

इन शब्दों के साथ में अपना कटौती के प्रस्ताव को प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(उद्योग मंत्री से) आप कृपया १० मिनट से अधिक न लें।

*श्री प्रभुनारायण सिंह—

मान्यवर, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। कुछ बातें कहना चाहता हूं। इटावा की स्पीनिंग मिल की बात कही गयी। कहा गया कि एक ही व्यक्ति को सारी चीजें देने की बात की जाती है। मेरी निगाह उस पर है। मैं स्वतः वहां गया था। लेकिन मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि यदि हम तुरन्त कार्यवाही कर दें तो वे कांग्रेस के खिलाफ कार्यवाही कही जायेगी। यदि समझ बूझकर कार्यवाही करें तो शिकायत हो जायेगी कि कार्यवाही नहीं हुई। माननीय सदस्य ने कह दिया तो अच्छा किया मेरी निगाह उस पर है और मैं देख रहा हूं। मुझे दूसरी बात यह अर्ज करनी है कि जैसा कि कहा गया कि उसमें ४३ या ४५ फीसदी से ऊपर कोआपरेटिव का पैसा लगा हुआ है, यह बात गलत है। मैं अर्ज करूं कि उसमें केवल २३ फीसदी पैसा लगा हुआ है। २० लाख रुपये के शेयर लोन की बात हो रही है। २० लाख रुपये के अन्दर राईट करने की बात हो रही है। वह कन्सीडेशन में है और इटावा की स्पिनिंग मिल को चाहिये कि जिस हालत में वह है, उसको उससे तरक्की करनी चाहिये। जहां गड़बड़ियां हैं, चुनाव नहीं हुये हैं, हम चाहते हैं कि मर्यादा के साथ वह घटनायें हों, इसलिये हमें उसमें कार्यवाही नहीं की। इस पर हमारे माननीय दोस्त को शिकायत नहीं होनी चाहिये। हमारे माननीय दोस्त ने यह बात कही कि इन्डस्ट्रीज में पिछली सरकार ने बहुत कुछ किया लेकिन मौजूदा सरकार नहीं कर रही है। मैं बता दूं कि पिछली बार जो प्लान एक्स्पेन्डीचर हुआ है वह साढ़े पांच करोड़ रुपये का हुआ है और इस बार ६ करोड़ २० लाख रुपये का हुआ है। इससे आप देख सकते हैं कि प्लान एलोकेशन में हम आप से आगे हैं पीछे नहीं। तीसरी बात मुझे अर्ज करनी है जैसा कि हमारे माननीय दोस्त ने कहा कि प्रसिद्ध नेता लोग हैं जिन्होंने बयान दिया। मैं नहीं कहना चाहता कि कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। उन्होंने यह कहा कि मिलें बन्द पड़ी हैं। मैं माननीय राजा राम जी से कहना चाहता हूं कि लक्ष्मीरतन काटन मिल्स पर ९ महीने पहिले एक कमेटी बैठी थी जिसने फैसला भेजा कि इस पर एक आथोराईज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त होना चाहिये। उस पर पिछली सरकार ने आठ-नौ महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की। जहां तक आथोराइज्ड कन्ट्रोलर बैठाये जाने की बात है, यह सरकार उसके लिये तैयार है और इस सरकार ने को सेन्टर यह लिख दिया है कि वह आधा ग्रान्ट भी देने को तैयार है अगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट आधी दे तो। बावजूद इसके, विपक्ष की काउन्टर-पार्ट गवर्नमेन्ट ने दिल्ली से यह कह दिया है कि जब कारपोरेशन बन जायगा तब देखा जायगा। हमारे हर तरह से तैयार होने के बावजूद भी इस तरह से अड़ंगे लगाये जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण सामने आयेंगे समय-समय पर।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि रिकवरी के मामले में ठीक तरह से कार्यवाही नहीं हो रही है। पिछली सरकार ने जितनी रिकवरी की थी, इससे दो-तीन गुनी रिकवरी हम इन थोड़े से दिनों में कर चुके हैं। इसलिये रिकवरी के मामले में कोताही करने का क्लेम बिलकुल गलत है। डिप्टी मिनिस्टर साहब ने यह बताया कि ९१३ रुपया लाख बकाया था जिसमें से ४ करोड़ रुपया वसूल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

हुआ है और करीब ५ करोड़ के बाकी हैं। इस पांच करोड़ में भी ४७९ लाख रुपया पुराना चला आता है। इन बातों का ध्यान किसी ऐलीगेशन के लगाते समय रखना चाहिये।

शुगर इन्डस्ट्री का जितना पोलीटिकल एक्सप्लायटेशन पिछली सरकार ने किया है उतना कभी नहीं हुआ। न तो शुगर इन्डस्ट्री का ही ध्यान रखा गया और न उसमें काम करने वाले लाखों लेबरर्स का ही ध्यान रखा गया और न ही किसानों का ध्यान रखा गया, जो उसको गन्ना सप्लाई करता है। इन्डस्ट्री में जो क्राइसिस है वह दो महीने की नहीं है वह पुरानी है। बड़े दुख की बात है कि पिछली साल जब बहुत शोर मचा तो पुरानी सरकार केवल २ आना ही गन्ने का दाम बढ़वा पायी। इस प्रकार से पुरानी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। जो गन्ना पहले २४ लाख एकड़ में बोया जाता था २० लाख एकड़ रह गया और अब और भी कम हो गया है। क्योंकि सेन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कार्य नहीं किया गया। शुगर की प्राइस खाद्यान्न के भावों के अनुसार ही होनी चाहिये। लेकिन पुरानी सरकार ने पिछले २० सालों में कोई ध्यान नहीं दिया।

जहां तक नेशनलाइजेशन की बात है, मैं ऐलान करना चाहता हूं कि यह सरकार नेशनलाइजेशन के लिये कटिबद्ध है। लेकिन श्रीमन, कान्स्टीट्यूशन के अन्दर शेड्यूल ५२ के रूल १ के शेड्यूल ७ में यह दिया हुआ है कि जिन इन्डस्ट्रीज को पार्लियामेन्ट चाहेगी वह केन्द्र के आधीन होंगी और इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट रेग्यूलेशन ऐक्ट ५१ के अनुसार शुगर इन्डस्ट्री को सेंटर ने अपने आधीन ले रखा है। यह सरकार उनके नेशनलाइजेशन का समर्थन करती है अब विरोधी दल का यह कर्तव्य है वह अपनी केन्द्र की सरकार पर उसके लिये दबाव डालें लेकिन केन्द्र की सरकार कारपोरेशन की स्थापना के बाद उसको करने का बहाना करती है।

जहां तक ग्राम उद्योगों को सहायता देने की बात है, यह सरकार उसके बारे में जागरूक है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो इसके बारे में एक किताब ही लिखी है। हमें अपने प्रदेश की गरीबी को दूर करना है और प्रदेश में ऐसे उद्योगों को बल देना है जो किसानों की सहायता कर सकें। हमारी पुरानी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक विस्तृत योजना सदन के सामने रखी जायगी।

इसके अलावा मैं यह भी कह देना चाहता हूं गवर्नमेंट फन्ड का बहुत मिसयूज हुआ है। फर्जी कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर रिबेट लेने की कोशिश की गयी है। इस सिलसिले में भी हम रास्ता निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं। हम भी सोच विचार करेंगे। जो गड़बड़ी थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी मानता हूं कि लघु उद्योग को बिना घर ही हमारा प्रदेश ऊंचा उठ सकता है। आज सारे देश में लघु उद्योगों का उत्पादन का हिस्सा ३० परसेंट है और हमारे प्रदेश का ५२ परसेंट है। हम लघु उद्योगों को जरूर बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन हम सेल्फ इकोनोमी को भी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी चीज न हो जिससे पुराने जमाने में जो रास्ता चल रहे थे उसी तक सीमित रह जायं। इसमें जो प्रावीजन है वह तो है ही। इसके अलावा जो जरूरत पड़ेगी उस पर सरकार विचार करेगी। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्यों कि लाल बत्ती इशारा कर रही है। अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हूं। मैं ग्रामीण उद्योग की बात कहता हूं और आशा है कि माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे। शुगर कारपोरेशन बनाइये और नेशनलाइज कीजिये। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बावजूद भी अगर माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव मूव करना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान—

मैं कटौती का प्रस्ताव इस आश्वासन के साथ वापस ले रहा हूं कि मंत्री जी शुगरकेन का दाम ५ रुपये मन करने की घोषणा कर दें।

श्री प्रभुनारायण सिंह—

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे दोस्त प्रयास करें। हम तो साढ़े तीन की बात करते हैं। वह इतना ही करा देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ५ रुपया के लिये मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान—

मैं कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उद्योग के अधीन मांग की राशि में कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २५—उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,७७,४७,८०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४६—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,७२,२९,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य सभा के सदस्य, श्री राजनारायण सिंह द्वारा सदन के सदस्यों तथा अधिकारियों पर कथित आक्रमण के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास २ कार्य स्थगन प्रस्ताव नियम ५७ के अन्तर्गत आये हैं, एक माननीय नवल किशोर जी और माननीय मदन मोहन मिश्र का और दूसरा माननीय श्रीराम तिवारी, माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी तथा माननीय नवल किशोर जी द्वारा भेजा गया है। दोनों एक ही विषय पर है। इसलिये मैं एक-एक पढ़ कर सुना रहा हूं।

"कल दिनांक ९—७—६७ को दिन २, ३ बजे के बीच में जब विधान भवन के अन्दर विधान परिषद् व राज्य सभा के रिक्त स्थानों के लिये उप चुनाव हो रहा था तब राज्य सभा के मतदान स्थल के निकट श्री राजनारायण सिंह, एम० पी० (सं० सोपा) व उन के साथ के कुछ कार्यकर्ताओं ने राज्य सभा की कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती बिन्दुमती देवी के अभिकर्ता, श्री गौरी शंकर राय व इस सदन के सम्मानित सदस्य, सर्वश्री जगदीश नारायण सिंहा तथा सुरेन्द्र विक्रम सिंह पर आक्रमण किया जिस से इन तीनों ही सज्जनों को चोटें आईं और श्री राय का कुर्ता भी फट गया। श्री राजनारायण सिंह ने इन लोगों को भद्दी-भद्दी गालियां भी दीं और इस सदन के सम्मानित सदस्य भूतपूर्व सहकारिता

[श्री अध्यक्ष]

मंत्री, श्री बनारसी दास के प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया। यही नहीं श्री राजनारायण सिंह ने विधान सभा के सचिव व उक्त निर्वाचन के निर्वाचन अधिकारी श्री देवकीनन्दन मिश्रल व विधान सभा के सहायक सचिव श्री श्रीपति सहाय एवं मार्शल को भी धक्के दिये और उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनके कार्य में बाधा डाली। घटना के समय घटना स्थल के समीप काफी संख्या में पुलिस मौजूद थी और राज्य सरकार के कई मंत्री व उपमंत्री भी चक्कर काट रहे थे, परन्तु वह सब केवल दर्शक मात्र रहे और इस सदन के सम्मानित सदस्यों एवं अधिकारियों को अपमानित व प्रताड़ित होता देखते रहे। उनकी रक्षा नहीं की। स्वतन्त्रता के पश्चात् पिछले बीस वर्षों में अनेक बार विधान परिषद् व राज्य सभा के चुनाव हुये हैं परन्तु सत्ता पक्ष के लोगों की ओर से विरोधी पक्ष के सदस्यों के उन समर्थकों के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार कभी नहीं हुआ। इस सदन के विरोधी दल के सदस्यों से आम जनता में इस घटना से घोर असंतोष, क्षोभ एवं भय व्याप्त है। विषय अत्यन्त गंभीर, चिन्ताजनक एवं अविलम्बनीय लोक महत्व का है। श्री राजनारायण सिंह का इस प्रकार का व्यवहार अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक रहा।

आशा है कि आप मुझे कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति अवश्य प्रदान करने की कृपा करेंगे।"

मैंने इस प्रश्न का अध्ययन किया। इस पर मैं कोई वाद-विवाद नहीं चाहता। मैं इस नतीजे पर आया कि इसमें जो सारा घटनाक्रम है किसी व्यक्ति ने जो व्यवहार किया कुछ सदस्यों और अधिकारियों के प्रति उस के बारे में है और आज ही प्रातः एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया था, जो मेरे विचारधीन है। कल मैं उस पर निर्णय दे रहा हूं। जहां तक उस का संबंध है वह कार्य-स्थगन का विषय नहीं हो सकता।

अब जहां तक इसमें मुझे सरकार के संबंध की झलक आयी वह एक चीज में आयी। घटना के समय घटनास्थल के नजदीक काफी संख्या में पुलिस मौजूद थी और राज्य सरकार के कई मंत्री व उपमंत्री भी चक्कर काट रहे थे परन्तु वह सब केवल दर्शक मात्र रहे और संरक्षण नहीं कर सके। यह जो बात है इस में अगर सरकार का कोई वास्ता हो सकता था तो इतने से था। इस संबंध में सदन की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि जो नियम ५७ है जहां पर सारी बातें हैं वहां इस के सातवें क्लाज में लिखा है कि :—

"प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके।"

और जहां संकल्प की प्रक्रिया है नियम ८८ में, वहां लिखा है :—

"संकल्प, राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिस से कि शासन के किसी कार्य अथवा नीति का सदन द्वारा अनुमोदन या अननुमोदन अभिलिखित किया जाय या कोई संदेश दिया जाय या किसी कार्यवाही के लिये संस्तवन, अनुरोध अथवा प्रार्थना की जाय या किसी विषय अथवा स्थिति पर शासन के विचारार्थ ध्यान आकृष्ट किया जाय या किसी ऐसे अन्य रूप में हो सकेगा जो अध्यक्ष उचित समझें।"

मैंने इस के संबंध में जो इस विधान सभा में प्रीसीडेंस रहे, लोक सभा और हाउस आफ कामन्स में रहे हैं उनका अध्ययन किया है। हमेशा जिन घटनाओं के बारे में दूसरी वैधानिक कार्यवाही हो सकती है परम्परा ऐसी रही है कि वह सदन में चर्चा का विषय नहीं बनती। अगर किसी व्यक्ति ने मिसकंडक्ट किया या मिसबिहेव किया या ऐसा व्यवहार किया जो कानून के खिलाफ था उस के लिये जो हमारा रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट है उसकी धारा १३०,१३१ में प्रत्यक्ष प्राविधान है, उस के अन्दर कार्यवाही हो सकती है। अगर इलेक्शन में कोई चीज होती है उस के लिये इलेक्शन पेटीशन आदि की प्रक्रिया है। अब सरकार का इसमें संबंध अगर आता है तो इस हद तक आता है कि वहां पुलिस मौजूद थी और पुलिस मौजूद होते हुये यह घटना घटी। अब पुलिस का अवश्य प्रदेश सरकार से संबंध है। लेकिन मैंने जो अध्ययन किया वहां पर जो पुलिस जाती वह सरकार या पुलिस विभाग स्वयं नहीं भेजता है, इसलिये वह वहां नहीं होती है कि उनको स्वयं व्यवस्था करनी है, बल्कि जो रिटर्निंग अफसर हैं या जिनके ऊपर यह काम सौंपा जाता है

इलेक्शन कमीशन द्वारा, वह जब पुलिस मांगते हैं तब पुलिस जाती है और पूरी पुलिस जो व्यवस्था करती है उनकी इच्छाओं से करती है। मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई जिनका पुलिस ने पालन नहीं किया। मैं यह समझता हूं कि कार्य-स्थगन का विषय यह नहीं हो सकता। सदन का समय लगाना इसमें अनावश्यक होगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास तीन प्रस्ताव और आये हैं। इनमें नियम ५१ के अन्तर्गत एक तो नरवदेश्वर, आजमगढ़ का आया है। इसके विषय में ११-७-६७ को वक्तव्य होगा और उसे मैं स्वीकार कर चुका हूं। इसी विषय में यह सम्मिलित हो जायगा और इसे मैं माननीय संबंधित मंत्री को भेज दे रहा हूं। इसी में वे इसे स्वीकार कर लें और जवाब दे दें। इस के अतिरिक्त एक मोहनलाल आचार्य तथा नवल किशोर जी का आया जो कि वक्त से नहीं मिला। उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है।

अब एक सुदामा प्रसाद गोस्वामी का समय के भीतर आया उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है। अब एक मिर्जापुर में बुवाई तथा तकावी के संबंध में मुक्तिनाथ राय का प्रश्न नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने स्वीकार किया था। उस सम्बन्ध में कृषि मंत्री का वक्तव्य होगा। चूंकि ५ बजने में ५ मिनट बाकी हैं इसलिये मैं १५ मिनट का समय बढ़ाये देता हूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

एक नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने तथा नवल किशोर जी ने दिया था?

श्री अध्यक्ष—

वह समय के भीतर नहीं मिला था इसलिये मैंने उसे स्वीकार नहीं किया।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, ५ तारीख को वहां एक व्यापारी का कत्ल हो गया और २४ मील दूर मांती-माताटीला बस से एक विद्यार्थी को उतार कर डकैत पकड़ कर ले गये। वह बी० ए० का छात्र था। इससे जनता में बड़ा आतंक है। मेरी प्रार्थना है कि उसे माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले से ही संबंधित मंत्री जी के पास कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

एक सदस्य—

तीन जिलों का प्रश्न है और आपने केवल १५ मिनट उनके लिये रखे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आधा घंटा का समय इसके लिये रख दिया जाय। सदन की इच्छा हो तो साढ़े ५ बजे तक बैठ जाय।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

आधा घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

इसके लिये समय सवा ५ बजे ही रख दिया जाय और ज्यादा समय अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो बाकी समय अगले दिन दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है। सवा ५ बजे तक का समय इसके लिये निश्चित हुआ और अगर आवश्यकता हुई तो साढ़े ५ बजे तक बैठेंगे।

मिर्जापुर, बस्ती तथा आजमगढ़ जिलों में खरीफ की बोआई के लिये बीज तथा तकावी न मिलने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

(श्री रूपनाथ यादव द्वारा वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़े होने पर) श्रीमन्, यह वक्तव्य मंत्री जी का हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि यह वक्तव्य मेरे पास आ गया है और अब वह पढ़ कर सुना रहे हैं।

कृषि उपमंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

मिर्जापुर जिले के सूखा ग्रस्त क्षेत्र में खरीफ की बुवाई के लिये आवश्यक बीज तथा तत्संबंधी आपत्तिकालीन तकावी के लिये आवश्यक धन की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। बीज तथा तकावी का बांटना प्रारम्भ हो गया है और ६ जुलाई, १९६७ तक २४३० क्विन्टल बीज तथा ५ लाख रुपये की तकावी के रूप में बांटे जा चुके हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि पानी बरसने के बाद तथा जुलाई की दूसरी तारीख तक किसानों को बीज और तकावी नहीं दी जा सकी है।

बीज की कमी को ध्यान में रखते हुये और इस विचार के आधार पर कि बड़े-बड़े किसानों के पास बुवाई के लिये अपना बीज उपलब्ध होगा, सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के छोटे-छोटे किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह प्रबन्ध किया है कि इस वर्ष केवल उन्हीं किसानों को बीज दिया जाय जो कि ५ एकड़ अथवा उससे कम जोत के काश्तकार हैं। लेकिन अब बीज प्राप्त करने की यह सुविधा मिर्जापुर जिले तथा इलाहाबाद जिले की करछना और मेजा तहसीलों के उन किसानों को भी उपलब्ध कर दी गई है जो दस एकड़ तक की जोत वाले हैं।

आजमगढ़ जिले में १४४६.३३ क्विन्टल खरीफ का बीज किसानों को बांटे जाने के लिये उपलब्ध है जिसमें ७९३.३३ क्विन्टल बीज कृषि विभागीय बीज भंडारों पर उपलब्ध है और ६५३ क्विन्टल सहकारी बीज भंडारों पर।

जहां तक धान के बीज का प्रश्न है कृषि और सहकारी बीज भंडारों पर ८२९ क्विन्टल अगेती धान और २६८ क्विन्टल जड़हन धान का बीज उपलब्ध था। इस प्रकार कुल १,०९७ क्विन्टल धान का बीज उपलब्ध था जिसमें से ३० जून, १९६७ तक ८७१ क्विन्टल बीज किसानों को बंट चुका है।

आजमगढ़ जिले में किसानों के पास भी धान का पर्याप्त बीज उपलब्ध है। अब तक बंटे बीज को ध्यान में रखते हुये जिले में बीज की अधिक मांग नहीं प्रतीत होती। सरकार को आशा है कि बीज की कमी के कारण कोई भी भूमि बिना बोये न रहने पायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त ५० हजार रुपये बीज खरीदने के लिये तकावी का भी प्राविधान है।

बस्ती जिले में किसानों को बांटे जाने के लिये ९५४८.२३ क्विन्टल खरीफ के बीज का प्रबन्ध किया गया है जिसमें से ३२३३.१४ क्विन्टल बीज कृषि विभागीय भंडारों पर और ६३१५.०९ क्विन्टल सहकारी बीज भंडारों पर उपलब्ध है। उपरोक्त मात्रा में से आधे से भी अधिक (५०१०.०५ क्विन्टल) बीज जड़हन धान का है। अतः यह कहना सही नहीं है कि बस्ती जिले में जड़हन धन के बीज की व्यवस्था नहीं की गयी है।

बस्ती जिले के सभी विकास खंडों में विभिन्न बीजों की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है और जून के अन्त तक कृषि विभागीय बीज भंडारों से ७१५ क्विन्टल बीज बांटा भी जा चुका है। इसके अतिरिक्त सहकारी बीज भंडारों से भी पर्याप्त मात्रा में बीज बंटा है। बांसी, मेंहदावल,

रूधौली और साठा विकास खंडों में उपलब्ध बीज की मात्रा और तारीख ३०-६-६७ तक वितरण सम्बन्धी आंकड़े तालिका १ में संलग्न है जिनसे स्पष्ट है कि उपरोक्त विकास खंडों में २४०.८८ क्विन्टल धान का बीज उपलब्ध था जिसमें से ८३.०७ क्विन्टल बीज तारीख ३० जून, १९६७ तक कृषि विभागीय बीज भंडारों से बंटा है। सहकारी बीज भंडारों में वितरित बीज की मात्रा इससे अलग है। अतः यह भी सही नहीं है कि बस्ती जिले में बांसी, रूधौली, मेंहदावल और साठा विकास खंडों में अभी तक एक किलो भी बीज वितरित नहीं किया गया है और न कोई व्यवस्था ही की गई है।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ ने कितने क्विन्टल बीज की अगली पैडी और लेट पैडी के लिये मांग की है ?

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमन, वहां के जिलाधीश ने कुछ लिखा नहीं था कि कितना बीज उनको चाहिये लेकिन वहां की जरूरत देख कर बताया गया है कि १४४६.३३ क्विन्टल बीज का इंतजाम वहां के लिये किया गया है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ जिले की हालत देख कर वहां से साढ़े ५ हजार एकड़ जमीन की बुवाई के लिये जिलाधीश द्वारा अर्ली पैडी के लिये ३२ हजार क्विन्टल और लेट पैडी के लिये ३५ हजार क्विन्टल बीज की मांग की गयी थी और तीन-तीन बार की गयी थी क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री जयराम वर्मा—

१४४६.३३ क्विन्टल बीज वहां बांटने के लिये मौजूद है, लेकिन अभी तक वह भी नहीं उठ सका है। केवल ८६८ क्विन्टल बीज लिया गया है। वहां किसान बीज ले ही नहीं रहे हैं। शिकायत का मौका तो तब आ सकता है कि जब किसान बीज लेने आवें और उसे बीज न मिले।

श्री त्रिवेणी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो इलाके धान के थे और सूखे से तबाह हो गये थे वहां के किसानों को बीज मिला है ?

श्री जयराम वर्मा—

किसान बीज लेने के लिये आ ही नहीं रहा है। हमने इस बार एक नयी बात यह कही है कि हम बीज जो देते हैं, उसे ट्रीट करके देते हैं, ताकि वह खाने के काम में न आ सके।

श्री सुखदेव (जिला सुल्तानपुर)—

क्या यह बात सत्य है कि भूतपूर्व सरकार के जमाने में जितना बीज दिया जाता था, वह लोग लेकर खाने के काम में इस्तेमाल कर लेते थे और इस बार वह नहीं हो पा रहा है इस नाते माननीय सदस्य इस प्रकार बीज बांटने की बात कर रहे हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

मैं केवल इतनी सूचना चाहूंगा कि जो जिलाधीश की रिपोर्ट आयी है कि इतना बीज वितरित हो गया है, क्या जिलाधीश के यहां से यह भी रिपोर्ट मांगी गयी थी कि कितना बीज मांगा था और कितना पहुंच सका ?

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न कीजिये एक दफा ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मुझे रोज-रोज भुखमरी और मौत का प्रश्न उठाना पड़ता है । वहां की जितनी जमीन है ९ लाख ५ हजार ३४० एकड़ उसमें २ लाख २९ हजार २१६ एकड़ सिंचित है अगर उसको बीज नहीं मिल सका तो भुखमरी फिर से होगी । तो कितना बीज मांगा गया था, कितना पहुंचा और कहां पहुंचा, कहां नहीं पहुंच पाया और नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा ?

श्री जयराम वर्मा—

वहां की जरूरत बतायी गयी २५ हजार ५ सौ क्विन्टल की है । हमारे पास बीज उपलब्ध था १४ हजार ९५१ क्विटल और कुछ बीज और पहुंच गया है २००.४१ क्विटल और जो जरूरत होगी उसका इंतजाम करेंगे । सचमुच कितनी जरूरत है उसकी जांच करने के लिये एक टेक्निकल आदमी को भेजा अपने ऐडीशनल डाइरेक्टर को क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एग्जजरेटेड मांग रही और बीज इकट्ठा हुआ और बेकार हो गया तो ठीक नहीं होगा । १६ जून को वह गये । वह राजगढ़ और रार्बट्सगंज ब्लाक्स के हेडक्वार्टर पर गये । वहां ग्राम सेवकों और प्रधानों से बातचीत की और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि इन दोनों ब्लाकों में ६ हजार क्विटल की मांग की थी । लेकिन ऐडीशनल डाइरेक्टर ने जो अन्दाज लगाया, पांच एकड़ तक के काश्तकारों को अगर बीज दें तो साढ़े पांच सौ क्विटल की जरूरत पड़ेगी और दस एकड़ तक दें तो १५ सौ क्विटल की जरूरत पड़ेगी । वह एक टेक्निकल आदमी है । यह उनका अन्दाजा है जो ठीक लग रहा है । हमको डर लगता है कि जितना भी बीज रखा है वह सब उठेगा या नहीं ?

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जिलाधीश ने धान के लिये ४६ हजार ४९० क्विटल, मक्का के लिये १८४६ क्विटल, बाजरा के लिये ५४९ क्विटल की मांग की थी जिसमें १३ हजार पांच सौ क्विटल धान दिया गया, ५४९ क्विटल ज्वार और १४० क्विटल मक्का का बीज भेजा गया और जितना गल्ला भेजा गया उसमें ६ जुलाई तक २ हजार ४३० क्विटल बांटा गया, यह किसान के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

किसान जब लेने आयेगा, तभी दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह यह कहते हैं कि इतने इतने की मांग की गयी, फलां-फलां चीज और जो दिया गया उसके खिलाफ दिया गया । यह यह चीज मांगी गयी और यह यह दिया गया ।

श्री जयराम वर्मा—

धान तो हमारे पास वहां काफी है लेकिन संकर मक्का जितना चाहिये था उतना बीज नहीं मिला । उसका कारण यह है कि भारत सरकार के कहने से हमने ५ हजार क्विटल संकर मक्का बिहार सरकार को दे दिया था इस वादे पर कि मई के आखिर तक वह बीज वापस हो जायगा लेकिन बिहार सरकार से बीज वापस नहीं हुआ । तो उस बीज की पूर्ति हम किसी तरह से नहीं कर सकते । विश्वास पर भेज दिया था, अब वे नहीं देते हैं तो मजबूरी हो गयी । जो संकर मक्का के बीज की कमी हुई उस कमी को मीट करने के लिये हमने वेराइटी नं० वन पैडी का प्रबन्ध किया है और जहां हमारा टार्गेट पहले साढ़े ३ लाख एकड़ में ही उस पैडी को बोने को था वहां अब ४ लाख २० हजार एकड़ जमीन में बो रहे हैं । उस कमी को हम इस तरह से पूरा कर रहे हैं । जहां संकर मक्का

वहीं दे सके हैं वहां हम जौनपुर वाली मकई और उससे अच्छी किस्म की मकई के बीज के द्वारा उसकी पूर्ति कर रहे हैं ।

श्री राजबहादुर चंद (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि बस्ती जिले के ४–५ ब्लाकों में जिनका हमने जिक्र किया है वह पूर्ण रूप से पैडी एरिया है और जड़हन की फसल एकदम नष्ट हो गयी और सरकार ने जड़हन खेतों की मालगुजारी सेंट परसेंट माफ कर दी । आपने ८३ क्विंटल बीज उन इलाकों में भेजने की बात कही जो ठीक नहीं है । क्योंकि ८३ क्विंटल बीज तो डेढ़ तहसील के लिये ही काफी है । तो १६ हजार एकड़ जड़हन खेत के लिये क्या माननीय मंत्री जी इतना बीज काफी समझते हैं ।

श्री जयराम वर्मा—

इन चार पांच ब्लाक्स के लिये जिनका कि इसमें उल्लेख है, २४०.८८ क्विंटल बीज के उपलब्धि की बात थी । मेरा कहना है कि ३० जून तक ८३.०७ क्विंटल बीज दिया गया और वे बीज अभी तक पड़े हुये हैं । जो बीज दिये गये अभी तक उठा ही नहीं है तो और अधिक बीज के लिये हम क्या इन्तजाम करें ?

श्री अध्यक्ष—

अगर सदन उचित समझे तो सदन का समय साढ़े ५ बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

(किसी के आपत्ति न करने पर सदन का समय साढ़े ५ तक के लिये बढ़ा दिया गया ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि केन्द्रीय सरकार के कहने से हमने संकर मकई का बीज बिहार सरकार को भेज दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि चूंकि आपके कहने से हमने ५ हजार क्विंटल मक्का का बीज बिहार सरकार को भेजा था इसलिये इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि ५ हजार क्विंटल बीज हमें दें ? यदि हां, तो उन्होंने जवाब क्या दिया ?

श्री जयराम वर्मा—

विश्वास पर हमने बीज भेजा लेकिन वह वापस नहीं मिला । तो अब उसका इन्तजाम तो कोई हो नहीं सकता ।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय कृषि मंत्री जी जब कांग्रेस की मिनिस्टरी में थे उन्होंने जब बस्ती का दौरा किया था तो उनकी निगाह हर्रैया तहसील की खराब स्थिति की ओर गयी थी, फिर सारी बातों को जानते हुए भी माननीय मंत्री जी ने वहां गल्ला नहीं भेजा । साथ ही माननीय मंत्री जी ने यह भी किया है कि ५ एकड़ से ज्यादा वालों को बीज नहीं दिया जायगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जो बड़े किसान हैं उनके खेत बगैर बोये हुए ही रह जायं, आपकी मर्जी क्या रही है ?

श्री जयराम वर्मा—

हम चाहते हैं कि अगर एक के खेत बोये जायं, लेकिन जिस खयाल से अप्रैल से हमने बीज का इंतजाम करना शुरू किया तो सोचा कि सब बीज का प्रबन्ध हो सकता है लेकिन पूरे बीज का इन्तजाम नहीं कर सके । इसलिये ऐसा कर दिया गया कि जो ५ एकड़ तक के काश्तकार हैं उनको हम पहले बीज दें चूंकि उनको तो और जरिये से भी बीज मिल सकता है, बड़े काश्तकार

[श्री जयराम वर्मा]

कुछ मंहगा बीज भी खरीद सकते हैं लेकिन छोटे काश्तकार के पास और कोई इन्तजाम तो रहता नहीं है, इसलिये उनको पहले मदद करने की बात थी ।

श्री अब्दुल मुईज खाँ (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि बस्ती को ९ हजार क्विटल बीज सरकारी व कोआपरेटिव सोसाइटी के गोदामों में उपलब्ध है और यह सूचना ३० जून तक की है । तो क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बस्ती जिले के अधिकांश भागों में ३० जून तक बोवाई समाप्त हो चुकी थी ?

श्री जयराम वर्मा—

यह जो सूचना थी कि बुवाई ३० जून को समाप्त हो चुकी, मेरे खयाल में यह सही नहीं है ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

बीज की कमी है, लेकिन केन्द्रीय सरकार बार-बार सलाह देती है कि अकाल घोषित न करो तो क्या सरकार केन्द्र पर दबाव नहीं डाल सकती कि बीज को बढ़ा दें या आप कोई अन्य व्यवस्था करें ?

श्री जयराम वर्मा—

बीज की व्यवस्था है । अगर माननीय सदस्य बताते कि किसानों को बीज लेने में, पाने में कोई कठिनाई हो तो उसको हम दूर करें । बीज है, किसान लेने नहीं आता । मैं बस्ती के लिये और सूचना दे दूं कि कृषि से मुझे पता है कि ७००–८०० बांटा गया है और ६,६०० क्विटल कृषि और सहकारिता दोनों को मिलाकर बांटा गया है ।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि बीज नकद दिया गया है या उधार दिया गया है तो किस रेट से दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

आपत्कालीन तकावी उनको दी जाती है और उससे रुपया लेकर चाहे हमारे गोदामों से बीज खरीदें या कहीं और जगह से ।

श्री रामनाथ पाठक—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कहा जाता है कि कोई बीज लेने नहीं आता तो २ जुलाई को २,१०० क्विटल बंटा और फिर २,४३० क्विटल हो गया और १३,५२३ क्विटल धान, बाजरा और मक्का जो पहले से उपलब्ध है वह सरकारी अधिकारियों की अकर्मण्यता से नहीं बांटा गया ? क्या जांच करके उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे कि बीज रहते हुए नहीं दिया और किसान लेने के लिये लालायित है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि धान १२३ रुपया क्विटल, मक्का १३० रुपया क्विटल, ज्वार ११० रुपया और उसके लिये कुल १५ लाख रुपया तकावी दी गयी है जबकि उससे कई गुना हिसाब से आता है, तो उचित मूल्य क्यों नहीं आंका गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह जो सूचना दी, अगर वह सब लिखित दे दें तो विचार करने की कृपा करेंगे, इस पर आप कह दें ।

श्री जयराम वर्मा—

जांच करा लेंगे, लेकिन मेरे पास सारी इन्फार्मेशन है, उसको डिटेल में अधिकारी भेज कर पता लगवाया और अगर माननीय सदस्य मदद करें और अधिकारियों की तरफ से कोई गलती और लापरवाही हो रही हो तो हम उसको और ठीक तरह से करने की कोशिश करें, लेकिन काश्तकार जितना बीज लेने के लिये आ रहा, वह ले रहा है। १५ लाख रुपया हमने दे रखा है, लेकिन जितन रुपये की जरूरत होगी, अगर वह काफी नहीं है तो हम उतना देने के लिये तैयार हैं। लेकिन ले ही नहीं रहे हैं तो हम किसको दें।

श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

गत वर्षों में छोटे किसानों को गल्ला नहीं बंटा। बड़े किसानों को मिला। क्या माननीय मंत्री जी ने इन छोटे किसानों को गल्ला देने की व्यवस्था की ?

श्री जयराम वर्मा—

खयाल हमारा यह है कि आमतौर से बड़े किसान फसल के बाद अपनी बोवाई के लिये सामान रख लेते हैं। आमतौर से उनके पास बीज रहता है। छोटे काश्तकार के पास बीज नहीं रहता है। सब से ज्यादा परेशानी छोटे किसान को होती है। इसलिये छोटे काश्तकारों को बीज दिया जाता है।

श्री लालन शर्मा (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मिर्जापुर की स्थिति गम्भीर है। तो क्या ऐसे स्थिति में उनको सवाई पर बीज देने की कृपा करेंगे।

श्री जयराम वर्मा—

पहिली बात यह है कि कृषि विभाग सवाई पर बीज नहीं देता, हम तकावी दे रहे हैं और उस पर गल्ला ले रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि बीज की शिकायत प्रायः सारे सूखे क्षेत्र में है। यदि यह बात सही है, तो क्या माननीय मंत्री ने कभी यह पता लगाने की कोशिश की है कि वहां के किसान बीज क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

अभी तक तो कोई शिकायत नहीं हुई थी, लेकिन माननीय सदस्य जब कहते हैं कि वहां बीज की बहुत शिकायत है तो हमें लिखकर दें कि हमारे अधिकारियों की गड़बड़ियां हैं तो हम अवश्य जांच करायेंगे। हम तो चाहते हैं कि जिनको बीज और तकावी चाहिये वह मिले।

श्री राजाराम (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि बीज नहीं रहा है किसान लोग नहीं ले जा रहे हैं। बीज रखने का और बोने का समय होता है। देवरिया जिले के जिलाधिकारियों ने दो हजार क्विन्टल पैडी के बीज की मांग की थी। क्या जो बीज बच रहा है उसको देवरिया जिले में भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

देवरिया की लिस्ट मेरे पास नहीं है। जितनी उनकी मांग होगी, उतना उनको भेज दिया होगा। यहां चूंकि हालत खराब रही है इसलिये हमें देखना होगा।

श्री मुक्तिनाथ राय--

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि आजमगढ़ जिले में जड़हन धान का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और सरकार की ओर से केवल २६८ क्विन्टल बीज ही वहां भेजा गया है तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वहां किस तारीख को बीज भेजा गया और कब वितरण हुआ ? कितना हुआ ।

श्री जयराम वर्मा--

बीज की बुवाई शुरू होने से पहले ही आवश्यकतानुसार बीज वहां उपलब्ध था । पिछली बार जब प्रश्न किया गया था, उससे पहले ही बीज वहां उपलब्ध था ।

श्री रामलखन--

हरैया तहसील में प्रत्येक ब्लाक में कितना बीज भेजा गया किस तारीख को भेजा और वहां की मांग कितनी थी ?

श्री जयराम वर्मा--

अगर ब्लाक का नाम बता दें तो मैं उनको बता दूं ।

स्वामी ब्रह्माश्रम (जिला मिर्जापुर)--

ब्लाक हरैया, मिर्जापुर और लाल गंज में जितना बीज चाहिये, क्या सरकार उतना बीज देने की कृपा करेंगी ?

श्री जयराम वर्मा--

जो बीज वहां पर भेजा गया है, उसमें से अभी काफी उठना बाकी है ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१० जुलाई, १९६७ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५२१ पर।)

मुरादाबाद में मूंगफली का छिलका और गन्ने की खोई मिलने की मौखिक सूचना मिलने पर दिनांक १-३-६७ को नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में राजेन्द्र प्रसाद, उमेश चन्द्र के यहां से आटे के दो नमूने लिये गये और उन्हें जांच के लिये पब्लिक एनालिस्ट के पास भेजा गया। उन नमूनों में से एक विषय में पब्लिक एनालिस्ट ने कहा है कि क्योंकि घंगला आटा का पी० एफ० ए० ऐक्ट में कोई स्टैन्डर्ड नहीं दिया गया है अतः यह नमूना रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा नमूना ठीक पाया गया।

२—उपरोक्त दूकानदार के विरुद्ध दिल्ली से गन्ने की खोई मंगवाने की भी शिकायत मिली। परगना अधिकारी, मुरादाबाद ने तुरन्त मौके पर जाकर उक्त दूकान और फर्म के घर की तलाशी ली। खोई उनके यहां नहीं निकली परन्तु खोई के बीस बोरे फर्म मातादीन, रामविलास की दूकान के सामने रक्खे हुये मिले जिसको उसी समय कब्जे में लेकर मातादीन, रामविलास की सुपुर्दगी में दे दिया गया। खोई के मामले में स्वतंत्र रूप से कोई जुर्म नहीं बनता। अतः उसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पृष्ठ ५३९ पर।)

तालिका

तमकुही रोड (सेवरही) के निकटवर्ती पडरौना मंडी में खाद्यान्नों के थोक भाव प्रति क्विंटल

दिनांक	मंडी का नाम	गेहूं	चना	जौ	चावल तृतीय श्रेणी
		रु०	रु०	रु०	रु०
१-६-६७	पडरौना	१३३.४९	१२०.२८	९४.६९	१६८.५०
२-६-६७	,,	१३३.४९	१२०.३८	९४.६९	१६८.५०
३-६-६७	,,	१३३.९९	१२०.७८	९५.१९	१६९.००
४-६-६७	,,		बाजार बन्द		
५-६-६७	,,	१३३.९९	१२०.७८	९५.१९	१६९.००
६-६-६७	,,	१३३.९९	१२०.७८	९५.१९	१६९.००
७-६-६७	,,	१३३.६९	१२०.७८	९५.१९	१६९.००

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश